कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वार्षिक मूल्य : 70 रुपये

वर्ष 52 अंक : 7

मई 2006

मूल्य : 7 रुपये

श्रम और श्रमिक : इतिहास और विकास

बालश्रम : मानवता पर एक अभिशाप

बाल–श्रमिकों की स्थिति, समस्या और समाधान

बाल श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

सबके लिए स्वास्थ्य – लोकप्रियता की ओर

नेत्रदान – महादान

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना भवन
लोदी रोड, नई दिल्ली–110003

अनुवादकों/प्रूफ रीडरों का पैनल

प्रकाशन विभाग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुभवी अनुवादकों/प्रूफ रीडरों का पैनल बनाने का विचार कर रहा है। सूचीबद्ध अनुवादकों/प्रूफ रीडरों को समय–समय पर पाण्डुलिपियों के अनुवाद और प्रूफ रीडिंग के कार्य के लिए नियुक्त किया जाएगा। कार्य पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है और इसके लिए भुगतान प्रकाशन विभाग द्वारा निर्धारित/अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाएगा। अनुवाद कार्य के लिए 175 रुपये प्रति 1000 शब्द और प्रूफ संशोधन के लिए 40 रुपये प्रति 1000 शब्द की दर से किया जाएगा।

इस कार्य में दक्ष तथा अनुभवी व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक व्यक्ति शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव तथा सम्पर्क नम्बर आदि के विवरण सहित अपने आवेदन पत्र संयुक्त निदेशक (प्रशासन) प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ काम्पलैक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003 को इस विज्ञापन के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भेज सकते हैं। वे अपने आवेदन ई–मेल dpd@lb.nic.in के द्वारा भी भेज सकते हैं।

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख मासिक पत्रिका

वर्ष : 52 ● अंक : 7 ● पृष्ठ : 48

वैशाख–ज्येष्ठ 1928

मई 2006

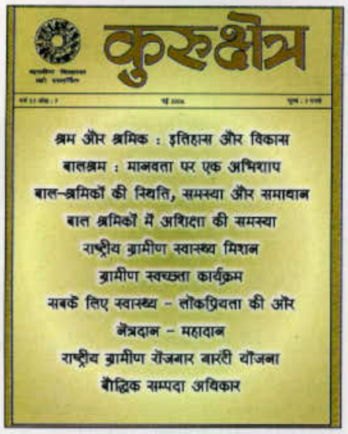

संपादक
स्नेह राय

संपादकीय पत्र–व्यवहार
संपादक, कुरुक्षेत्र
कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग,
गेट नं. 5, निर्माण भवन
ग्रामीण विकास मंत्रालय
नई दिल्ली–110011
दूरभाष : 23061014, 23061952
फैक्स : 011–23061014
तार : ग्राम विकास
वेबसाइट : Publicationsdivision.nic.in
ई–मेल : dpd@sh.nic.in dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
एन. सी. मजुमदार

व्यापार प्रबंधक
जगदीश प्रसाद
दूरभाष : 26105590,
फैक्स : 26175516

आवरण
संजीव सिंह

सज्जा
रजनी दवे

मूल्य एक प्रति : सात रुपये
वार्षिक शुल्क : 70 रुपये
द्विवार्षिक : 135 रुपये
त्रिवार्षिक : 190 रुपये
विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)
पड़ोसी देशों में : 500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में : 700 रुपये (वार्षिक)

इस अंक में

श्रम और श्रमिक : इतिहास और विकास	आशुतोष शुक्ल	4
बालश्रम: मानवता पर एक अभिशाप	ऋतु सारस्वत	6
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पहल	एम.एल.धर	8
श्रमिक और श्रमिक कानून	–	10
बाल–श्रमिकों की स्थिति, समस्या और समाधान	अखिलेश आर्येन्दु	14
बाल श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या	नीरज दूबे और तृप्ति दूबे	16
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	नवीन पंत	19
'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के परिप्रेक्ष्य में मीडिया का समेकित अभिगम : एक केस स्टडी	अमर नाथ जायसवाल	21
ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जीवन को बेहतर बनाने का अभियान	देवेन्द्र उपाध्याय	23
सबके लिए स्वास्थ्य – लोकप्रियता की ओर	रतन साल्दी	25
नेत्रदान – महादान	राकेश शर्मा ''निशीथ''	28
"आशा" की निष्ठा पर निर्भर है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	–	31
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	वेद प्रकाश अरोड़ा	32
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम	वासुदेव लवानियां	36
ग्रामीण विकास में वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति (ए.डी.आर.) की भूमिका	बंशी धर सिंह	38
बौद्धिक सम्पदा अधिकार	रवीन्द्र त्रिपाठी	41
किसानों के लिए कृषि लागत कम करने का जरिया बनी जीरो टिलेज तकनीक	हरीश तिवारी	44
सामुदायिक बीज बैंक से किसानों की बेहतरी	एल. सी जैन	45
स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच	–	46
बसंत सरस मेला–2006	जिल्ले रहमान	48

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से पत्र–व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए सहायक विज्ञापन प्रबंधक, प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, लेवल–7, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली–110 066 से संपर्क करें। दूरभाष : 26105590, फैक्स : 26175516

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो।

मत - सम्मत

मार्च 2005 से कुरुक्षेत्र का नियमित पाठक हूं। यह पत्रिका ग्रामीण विकास को समर्पित, ''गागर में सागर'' है। पत्रिका ग्रामीण समाज, रोज़गार, अवसर विपन्नता, सम्पन्नता, विकास, कृषि इत्यादि पर जो लेख प्रस्तुत करती है, वो एक मिसाल होते हैं। इसके सभी लेख ज्ञानवर्धक, तथ्यपरक, उत्साहवर्धक, संकलनीय और आंकड़ों पर आधारित होते हैं जिसके कारण मुझे पत्रिका का बेसब्री से इन्तजार रहता है।

कुरुक्षेत्र फरवरी 2006 का अंक लेते ही एक सप्ताह में इसके सारे लेख पढ़ गया, जबकि मैं इसके साथ अन्य बहुत–सी पत्र–पत्रिकाएं भी पढ़ता हूं फिर भी कुरुक्षेत्र का अंक हाथ लगते ही इसके लेखों को पढ़े बिना नही रहा जाता।

फरवरी 2006 के अंक ने मुझे आप को यह पत्र लिखने को अन्ततः मजबूर कर दिया, क्योंकि इसके लेख बहुत ही ज्ञानवर्धक है। जैसे–वरिष्ठ नागरिकों की बढ़ती संख्या, शुष्क खेती, मशरूम उत्पादन की वर्तमान स्थिति, हल्दी रखे हैल्दी, कैल्शियम की भूमिका और भारत की प्रमुख प्रवर्तन एजेन्सियां इत्यादि।

कुरुक्षेत्र का मार्च अंक पढ़ा। प्रांजलजी का लेख "महिलाए; नई दिशा की ओर" पढ़कर महिलाओं के विषय में मौलिक तथा आधारभूत अवधारणाएं स्पष्ट हुई तथा कई दुर्लभ आकड़ों से रूबरू हुआ। लेखक का सूचना प्रसार अत्यन्त प्रशंसनीय है और उम्मीद है कि इससे उन तमाम महिलाओं को खुद से सम्बन्धित योजनाओं का पता चल सकेगा जो सामाजिक कुचक्र रूढ़िवादिता, शोषण आदि के चलते इन अधिकारों से महरूम हैं। इस वस्तुनिष्ठ तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में खुद को स्थापित किया है, किन्तु अभी भी विकास की दौड़ मे लम्बा सफर तय करना है।

वास्तविक विकास के लिए जरूरत है योजनाओं को विकास की अंतिम सीढ़ी तक ले जाने की तथा इनका पालन वितरण मूलक न्याय' की तरह करवाने की। सरकार वर्तमान योजनाओं का क्रियान्यवन कितना करवा पाती है यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, किन्तु यदि पालन सुचारू रूप से होता है तो आने वाले समय में निःसन्देह भारतीय समाज में महिलाओं के सम्बन्ध में स्वर्णिम परिवर्तन होगा।

कमलेश कुमार, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुजानगंज, जौनपुर

महिलाओं पर केन्द्रित कुरुक्षेत्र का मार्च 2006 का अंक अत्यन्त ही रुचिकर, ज्ञानवर्धक व शिक्षाप्रद लगा। भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में हो रहे परिवर्तनों पर लक्षित यह अंक बताता है कि किस प्रकार से महिलायें, जो कि नेपथ्य में चली गयी थी, आज विभिन्न रूपों व विभिन्न क्षेत्रों में सामने आकर अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रांजलधर जी का लेख 'महिलायें : नयी दिशा की ओर' अत्यन्त प्रभावपूर्ण है जो महिलाओं की दशा में निरंतर हो रहे परिवर्तनों तथा उनकी स्थिति को बेहतर बनाने हेतु किये जा रहे प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है।

साथ ही पत्रिका में उपभोक्ता अधिकारों पर केन्द्रित सभी लेख अच्छे हैं। वस्तुतः एक समाज के विकसित होने के लिये उसके नागरिकों द्वारा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना व कर्तव्यों का निर्वहन करना अति आवश्यक है। यह जागरूकता भी काफी हद तक महिलाओं के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। यह अनुभव किया गया है कि जिस समाज में महिलायें जितनी ही अधिक शिक्षित व जागरूक होती हैं, वह समाज भी उतना ही अधिक प्रगतिशील होता है।

आलोक कुमार तिवारी, इलाहाबाद

गत चार माह से कुरुक्षेत्र को पाठक हूं। कुरुक्षेत्र में सभी निबंध उल्लेखनीय और उच्च स्तरीय होते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह पत्रिका ग्रामीण भारत का वास्तविक प्रतिनिधि है। सारगर्भित तथ्यों का उल्लेख इसकी विशेष उपलब्धि है।

जनवरी 2006 के अंक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उसके समस्या को लेकर प्रकाशित सभी निबंध अत्यंत सराहनीय हैं, जिनमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सही परिचय कराया गया है। इस संदर्भ में मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि निकट भविष्य में पत्रिका के उचित लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में संभव हो पाएगी और देश की ह्रदयस्थली गांव का विकास संभव हो पाएगा और कुरूक्षेत्र के क्रांतिकारी कदम द्वारा देश का ग्रामीण विकास का सपना साकार हो पाऐ।

संजीव कुमार, बोकारो, झारखंड

कुरुक्षेत्र का नव अंक (मार्च' 06) हर दृष्टि से बेहद प्रशंसनीय तथा अतुलनीय है। इसके माध्यम से प्राचीन तथा अर्वाचीन समाज में महिला तथा महिला–उत्थान का तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन बेहद रोचक लगा।

इससे यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से ही पुरुषों ने महिलाओं को 'देवी' का शाब्दिक अलंकरण देकर मंदिर रूपी घर की चहारदीवारी में कैद रखा।

पर, बदलते समय में उनका संघर्ष रंग लाया है। धीरे–धीरे वे लैंगिक समानता के स्तर को छू रही है पर अभी मंजिल बहुत दूर है।

जब तक स्वयं राजनीतिक नेत्रियां अपने को महिलाओं की विशेष प्रतिनिधि के रूप में महसूस नहीं करतीं, हमारा यह सपना, सपना हीं रह जाएगा।

संजीव पटेल, बी.एच.यू. वाराणसी

ग्रामीण विकास को समर्पित पत्रिका कुरूक्षेत्र का मैं जनवरी 2006 से नया पाठक बन गया हूं तथा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं। पूरे भारत की ग्रामीण विकास का ज्ञान इस गागर में सागर रूपी पत्रिका में इतने कम मूल्य में उपलब्ध है। इसके एक–एक लेख इतने प्रभावशाली है कि पत्रिका को छूते ही पूरा पढ़कर समाप्त करने का प्रयास करता हूं। इसके लिए आप का आभारी हूं।

राधेश्याम राव पारखी, मऊ (उ.प्र.)

'कुरूक्षेत्र' का नियमित पाठक हूं। मार्च 2006 का बेजोड़ अंक पढ़ा। नवोदित पत्रकार प्रांजल धर का लेख 'महिलाएं नयी दिशा की ओर' जो महिलाओं को क्रमबद्ध विकास और सामाजिक स्थिति को सजीव दर्शाया गया है। महिलाओं का दशकों से अधिकार के प्रति संघर्ष व कर्मठता ने यह साबित कर दिया है कि महिला कहीं भी अपनी भागीदारी के पीछे नहीं है। सच तो यह है कि अब महिलाओं को कहीं भी और किसी रूप में नकारा नहीं जा सकता और यही सच है।

अभिषेक रंजन सिंह, नई दिल्ली

पिछले 2 वर्ष से इस पत्रिका का नियमित पाठक हूं, तथा सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं।

इस पत्रिका ने मुझे अपने ज्ञान के आधार को सुदृढ़ और योजनाबद्ध करने में मदद दी है। इस पत्रिका का महत्व सिविल सेवा की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न योजनाओं का प्रकाशन समय–समय पर होता रहता है।

भारत का ग्रामीण विकास कृषि और किसानों के विकास से संबंधित है। अतः पत्रिका में कृषि की नवीनतम तकनीकों व योजनाओं की जानकारी प्राप्त करता रहता हूं चूंकि मैं किसान परिवार से संबंध रखता हूं इसलिए इन तकनीकों का अनुप्रयोग करने का प्रयास करता हूं। फरवरी के अंक में शुष्क खेती–एक विकसित कृषि प्रणाली अति रोचक व ज्ञानवर्धक सामग्री मुझे मिली। इसके लिए कुरूक्षेत्र परिवार का बहुत–बहुत आभार।

इन्द्र सिंह, जयपुर

विगत चार वर्षों से कसौटी पर पूर्णतः खरा उतरते कुरूक्षेत्र को देख रहा हूँ। इस बाजारवाड़ी संस्कृति के दौड़ में भी इतने कम कीमत पर जितने बेशकीमती सामग्री हमें उपलब्ध कराते हैं निःसंदेह एक अप्रतिम मिसाल है। अनुरोध है कि ग्रामीण परिवेश में इस पत्रिका के प्रचार–प्रसार की कवायद करे तभी सच्चे अर्थों में यह ग्रामीण विकास को समर्पित माना जाएगा, अन्यथा हालात यही है कि बहुत सारे लोगों को तो अभी भी इस पत्रिका के बारे में मालूम नहीं है, अगर ग्रामीण कृषक व मजदूर वर्ग के हाथ तक पत्रिका पहुंचेगी तो निश्चित रूप से पत्रिका में इतनी सामग्री होती है कि उनका उत्थान होगा तथा भारत की प्रगति में पत्रिका सशक्त रूप से अपनी योगदान देकर खुद की महत्ता रेखांकित करेगी।

मार्च, 2006 का अंक भी सिलसिलेवार पढ़ता चला गया। एक बात समझ में नहीं आती है कि आज के लेखक नारी विमर्श पर ही चिंतन करना अपेक्षाकृत आसान क्यूं मानते हैं ? यह कैसी विडम्बना है कि चहुं ओर नारी सशक्तीकरण की धूम सी मची है, एक ओर माना जा रहा है कि बुलंदियों पर पहुंचकर वे खुद को सशक्त कर रही हैं तो दूसरी ओर बढ़ते शिक्षा के प्रचार–प्रसार व तकनीकी प्रगति के युग में वे गर्भ तक में महफूज नहीं है। महिला बीड़ी कारीगर का जिक्र यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करता है, बल्कि यूं कहें कि वस्तुस्थिति तो कहीं और अधिक ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत करती है। उपभोक्ता संरक्षण पर आलेख भी प्रासंगिक ही रहा। जल संरक्षण की मिसाल की राह पर अगर सभी भारतीय चले तो देश की भयंकर समस्या का खात्मा हो जाएगा।

मिथलेश कुमार, भागलपुर, (बिहार)

कुरूक्षेत्र का मार्च 2006 का अंक पढ़ा। यह मुझे एक उत्कृष्ट अंक लगा, तत्पश्चात्, संकलनीय भी। लगे भी क्यों न ! आधुनिक तथा प्राचीन समाज की सच्चाईयां जो इसके माध्यम से जान पाया। जहां पहले, एक ओर पुरूष स्त्रियों को "माँ" और "देवी" का दर्जा देते थे थे तो दूसरी ओर शक की दृष्टि से देखते हुए उन्हें घरों में कैद रखते थे। वहीं आज महिला सशक्तीकरण संबंधी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं या तो फाइलों में अथवा राजनीतिक गलियारे में अपना दम तोड़ रही हैं। शर्म आती है, भारतीय समाज पर।

रामचन्द्र सिंह, सिसवार, (बिहार)

श्रम और श्रमिक : इतिहास और विकास

आशुतोष शुक्ल

समय–समय पर विद्वानों ने श्रम के उभरते नये–नये रूपों तथा श्रम से संबंधित समस्याओं पर कार्यशालाएं और गोष्ठियां आयोजित की है; विचार विनिमय किया है तथा नीतियां और कार्यक्रम बनाये हैं। इन तरीकों से समस्या के सभी पहलुओं को जानने–समझने की कोशिश की गयी है ताकि श्रम की समस्या का एक कुशल तथा प्रभावपूर्ण हल निकाला जा सके। भारत में अनेक क्षेत्रों में संगठित और असंगठित श्रमिक कार्यरत हैं जैसे बीड़ी उद्योग, कपड़ा उद्योग, गलीचा उद्योग आदि। इन श्रमिकों में वे महिलायें और बच्चे भी शामिल होते हैं जिनकी स्थिति तुलनात्मक रूप से और बेहतर करने की अपेक्षा है।

यूनीसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के एक तिहाई मजदूर भारत के हैं। इन मजदूरों की इतनी बड़ी संख्या का भारत में होना एक तरफ तो सकारात्मक बात है तो वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक भी। सकारात्मक इस अर्थ में की भारत के पास इतना विशाल, बेजोड़ और दक्ष श्रम है जिसका प्रयोग करके वह प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ नकारात्मक इसलिए क्योंकि कुल श्रमिकों का 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं जिनका न कोई अपना संगठन है और न ही निश्चित वेतन और सुविधाएं। श्रमिकों का इतिहास निरंतर संघर्षों और आंदोलनों का इतिहास रहा है, औद्योगिकरण ने जहां एक ओर श्रमिकों की मांग में वृद्धि की तो दूसरी तरफ मानवोचित दशाओं के अभाव में मजदूरी करने पर वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हुए। भारत में जब से उद्योग स्थापित हुये तभी से मजदूर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक अवश्य थे, यह बात अलग है कि उनकी जागरूकता का यह स्तर काफी कम रहा। पराधीन भारत में पहला भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में आया जो बालश्रम से संबंधित था। इसमें बच्चों के काम के घंटे तथा महीने की छुट्टियां निर्धारित की गयीं। दूसरे भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में स्त्रियों के काम के घंटे निर्धारित किये गये तथा बाल श्रमिकों के काम के घंटे और घटा दिये गये।

समतामूलक समाज के स्वप्न पर आधारित भारतीय संविधान में भी स्त्रियों और बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया है। जहां एक ओर मौलिक अधिकार मनुष्यों के मूलभूत अधिकारों की गारंटी देते हैं वहीं दूसरी ओर राज्य के नीति निदेशक तत्व स्त्रियों और पुरूषों को समान कार्य के लिए समान वेतन तथा अनिवार्य शिक्षा जैसे कई प्रावधान करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों या खानों या अन्य खतरनाक कार्यों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है। अनुच्छेद 23 स्त्रियों और बच्चों के बलात्‌श्रम को रोकता है। बच्चे जो किसी देश का सुनहरा भविष्य होते हैं और स्त्रियां जो किसी बच्चे की प्रथम पाठशाला, का निरक्षर रह जाना भी मजदूरी और शोषण के लिये उत्तरदायी कारकों में से एक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21(क) यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मुहैया करायेगा। इसके द्वारा बच्चों को उनका स्वाभाविक हक दिलाने की इच्छा व्यक्त की गयी है। इस इच्छा को कार्यरूप देने के लिये भारत सरकार ने मजदूरी की समस्याओं को समाप्त करने तथा मानवोचित दशाओं में मजदूरी करने के लिये अनेकों कार्यक्रम चलाये हैं। सरकार इन श्रम सुधारों के माध्यम से देश में उत्पादन और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के साथ ही श्रमिकों के हितों की पूरी–पूरी रक्षा भी करना चाहती है।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में केन्द्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत श्रमिकों की मजदूरी के निर्धारण, संशोधन और समीक्षा की व्यवस्था में है। न्यूनतम मजदूरी हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण श्रमिक आयोग की 1991 में की गयी सिफारिश पर न्यूनतम मजदूरी 35 रूपये की गयी। जो सन्‌ 2004 में बढ़ाकर 66 रुपये प्रतिदिन कर दी गयी। ठेका मजदूरों की मजदूरी के भुगतान और कुछ अन्य सुविधाओं के लिये सरकार ने ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम 1970 लागू किया। इस परंपरागत और रूढ़िवादी समाज में महिलाओं को अभी वह स्थान प्राप्त नहीं हो सका है जिसकी वे हकदार हैं। भारत के बाल श्रमिकों में महिला श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है जो तकरीबन एक चौथाई भाग है इनमें भी अधिकांश महिलायें कृषि कार्यों में लगी हैं। कृषि कार्यों से इतर 10 प्रतिशत महिलायें ही अन्य क्षेत्रों में रोजगार कर रही हैं। भारत के संगठित श्रमिकों में दसवां हिस्सा ही महिलाओं का है जहां इनको कर्मचारी भविष्य निधि और बीमा जैसी सुविधायें प्राप्त हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिकों को प्रसति लाभ, बीमा और रोजगार की गारंटी जैसी चीजें नही मिल पा रही हैं। हालांकि भारतीय संविधान अनुच्छेद 141 के अंतर्गत यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये कानूनी प्रावधान करता है लेकिन अभी अत्यंत सुधार की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर भी श्रमिकों के हितों के लिये विभिन्न प्रयास होते रहे हैं। उन्नीसवीं

सदी में पहली मई को एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आह्वान किया जिसमें सभी राष्ट्रों और नगरों के श्रमिकों से यह मांग करने को कहा गया कि उनके कार्यदिवस को आठ घंटे सीमित कर दिया जाय तभी से मई दिवस, विश्व भर के श्रमिकों के एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा उनके जीवन स्तर में सुधार के लिये 54 अनुच्छेदों का एक कनवेंशन पारित किया जो 1990 से चलन में आया। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा यहां पर श्रम का अधिकांश भाग लगभग 64 प्रतिशत कृषि में संलग्न है लेकिन विश्व के विकसित देशों की नीतियों के चलते हमारे देश के किसानों को उनके श्रम का उचित मूल्य नही मिल पाता। विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को दी जा रही घरेलू तथा निर्यात सब्सिडी से हमारे किसानों की कमर टूट जाती है और वे आत्महत्या या अपराध का रास्ता अपनाते हैं। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी गरीब देशों के श्रमिकों का भरपूर शोषण करती हैं। अभी हॉल ही में होंडा मजदूरों पर हुए जुल्म किसी से छुपे नहीं हैं।

भारत के मजदूरों में एक बड़ा भाग बाल श्रमिकों का भी है। इन बाल श्रमिकों को खतरनाक कारखानों पर काम करते, फुटपाथों पर ठेला लगाते और कूड़ा बीनते हुये देखा जा सकता है। इन बाल श्रमिकों के समक्ष दो ही चीजें आती है पहला तो बचपन और दूसरा बुढ़ापा। जवानी तो जैसे इनसे कोसों दूर है। गरीब मां–बाप बच्चों के पैदा होने के कुछ ही वर्षों बाद मजदूरी पर भेज देते हैं और यही बाल श्रमिक अपनी परेशानियों और गलत संगत के चलते नशे की लत के शिकार हो जाते हैं। रेल की पटरियों के बगल तथा पुलों के अंधेरे कोनों में इन्हें अफीम तथा चरस जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करते देखा जा सकता है। यही नशे की लत धीरे–धीरे इनसे अपराध भी करवाने लगती है। जाहिर है श्रम की समस्याओं का समूह काफी बड़ा होने के कारण सरकार के बड़े–बड़े प्रयास भी बौने साबित होते हैं। तीसरी दुनिया के बाल श्रमिकों की दशा बहुत खराब है एक तरफ जहां अफ्रीका में इन्हें एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है वहीं दूसरी तरफ अरब राष्ट्रों में शेखों के मनोरंजन के लिये इनकी जान तक की कोई परवाह नहीं की जाती। स्पष्ट है कि श्रमिकों की स्थिति एक समान नही है और उनके विकास के स्तर में वैषम्य है। यह समस्या किसी एक राष्ट्र तक ही सीमित न होकर अपनी प्रकृति में ही वैश्विक है। इसलिए विश्व के मानचित्र पर पसरे सभी राष्ट्रों को मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा तब कहीं जाकर मजदूरों की स्थिति सुधरेगी और उन्हे अपने अधिकारों की जानकारी होगी। भारत के संविधान में अनुच्छेद 39 (च) बच्चों के स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं सुनिश्चित करता है।

भारत सरकार ने भी बाल श्रमिकों की समस्याओं से निपटने का जोरदार प्रयास किया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बालश्रम उन्मूलन का लक्ष्य सरकार ने रखा है और साथ ही अन्य योजनाएं भी बनायी हैं। 'बाल श्रमिक प्रकोष्ठ' का गठन किया गया है जो बाल मजदूरों की समस्याओं से निपटने के लिये नीतियां और कार्यक्रम बनाता है। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं की योजना के तहत अनेक कार्यों हेतु धन जुटाता है और उनके कामकाज की निगरानी करता है। राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति 1987 इनके लिये परियोजनाओं और पुनर्वास का बंदोबस्त करती है। पुनर्वास के तहत शिक्षा, पोषाहार, व्यवसायिक प्रशिक्षण और स्वास्थ सुविधाओं को विशेष तौर पर शामिल किया गया है। सरकार स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता देती है। परियोजना लागत के कुल व्यय का 75 प्रतिशत अंश सरकार देती है तो 25 प्रतिशत खर्च गैर–सरकारी संगठन और स्वैच्छिक एजेंसियां अपने साधनों से वहन करती हैं। भारत का समाज एक रूढ़िवादी समाज रहा है जहां सामंतवादी और महाजनी सभ्यता से अब तक मुक्ति नही पायी जा सकी है। आर्थिक रूप से कमजोर तथा ऋणग्रस्त व्यक्ति को आज भी बंधुआ मजदूरी में खटना पड़ता है जिससे मालूम होता है कि बंधुआ मजदूरी के अवशेष भारत में आज भी कुप्रथा के रूप में विद्यमान हैं। हालांकि मानवाधिकार आयोग तथा स्वैच्छिक संगठनों के प्रयास से इसमें कमी आयी है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में भारी संख्या में मजदूर 'अमानवीय तथा असह्य परिस्थितियों' में काम कर रहे थे इनमें भी अधिकांश बंधुआ मजदूर थे उच्चतम् न्यायालय ने इनकी समस्याओं के लिए एक आयोग बैठाया तथा इनकी समस्या का समाधान किया। सरकार ने भी बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधि. 1976 के द्वारा बंधुआ मजदूरी कम करने का प्रयास किया जो कुछ हद तक कारगर भी रहा है लेकिन जरूरत ठोस नतीजों की है।

यह सच है कि श्रमिकों की समस्याओं का हल सिर्फ कानून बनाकर नहीं किया जा सकता क्योंकि अशिक्षा, जनसंख्या में निरंतर वृद्धि और जानकारी के अभाव के चलते ये समस्याएं मुंह बाये हमेशा खड़ी रहेगीं। अतः समस्याओं के सामधान के लिए स्वस्थ परंपराओं, सभ्य समाज की जीवन शैली और उन्नत आर्थिक स्तर होने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन मात्र इसी आधार पर कानूनों को अप्रासंगिक या महत्वहीन नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिये भारत विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र बन चुका है जिसने इतनी बड़ी जनसंख्या को न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी है। भारत में मजदूरों के हितों के लिए धीरे–धीरे ही सही जन चेतना का प्रसार हो रहा है। भारत के सभी मजदूरों पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है उससे कहीं ज्यादा ध्यान कृषि और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर देने की जरूरत है। हमें नहीं भूलना चाहिये कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और गांव भारत की हृदयस्थली।

(लेखक नवोदित पत्रकार हैं)

बालश्रमः मानवता पर एक अभिशाप

ऋतु सारस्वत

बालश्रम एक ऐसी समस्या है जिसका सामना सम्पूर्ण विश्व कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 10 करोड़ बच्चों को अपनी आजीविका के लिए मजदूरी करनी पड़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष होमर फॉक्स ने बालश्रम को परिभाषित करते हुए कहा है "बच्चों द्वारा किया जाने वाला कोई भी कार्य जिससे उनके पूर्ण शारीरिक विकास और न्यूनतम वांछित स्तर की शिक्षा के अवसरों या उनके लिए आवश्यक मनोरंजन में बाधा उत्पन्न होती है।" (श्रम जाँच समिति मुख्य रिपोर्ट, 1946)।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार विश्व के कुल बाल श्रमिकों में से 50 प्रतिशत बाल श्रमिक भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, नेपाल एवं श्रीलंका में हैं। सितंबर, 1994 में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका के श्रम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल श्रमिकों की संख्या विश्व में कार्यरत बालकों में सबसे अधिक है (संसार के बच्चों के श्रम बल का एक चौथाई)। 1983 में किये गये एक अनुसंधान के अनुसार भारत में 1.74 करोड़ कार्यरत बच्चे थे, जबकि आर्गेनाइजेशनल रिसर्च ग्रुप (ओ.आर.जी.) बड़ौदा के 1985 में किये गये सर्वेक्षण ने इसकी चौंकाने वाली 4.40 करोड़ की संख्या आंकी थी। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में एक अनुसंधान समूह द्वारा किये गये सर्वेक्षण ने यह बतलाया है कि देश के 10.23 करोड़ अनुमानित परिवारों में से 34.7 प्रतिशत परिवारों में कार्यरत बालक थे।

भारत में बाल श्रमिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी जारी है जिसका कारण गरीबी एवं अज्ञानता है। दिसंबर, 2005 में राजस्थान के अजमेर जिले में पश्चिम बंगाल के उन बंधुआ मजदूरों की जानकारी प्रकाश में आयी जो अजमेर में होने वाले आरीतारी के काम में लगे हुए थे। ये बच्चे अभिशप्त जीवन उन व्यक्ति के कारण जी रहे हैं जिन्हें हजारों मील दूर पश्चिम बंगाल के मैदनीपुर से लाकर अजमेर के फैक्ट्री मालिकों को कथित रूप से बेच दिया गया था। इस तरह के दुःखद उदाहरण दूसरे राज्यों में भी दृष्टिगोचर हुए हैं।

बिहार में हर साल करीब 25,000 बाल मजदूर दूसरे राज्यों में भेजे जाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार अकेले दिल्ली में ही बिहार के करीब 50,000 बाल मजदूर काम कर रहे हैं। बाल श्रमिकों की संख्या बीमारू राज्यों में अधिक है। बिहार में बाल श्रम कानून 1997 में जाकर लागू किया गया इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक पेशों में काम करने की मनाही है। मई, 1997 में जिलाधिकारियों के द्वारा किये गये सर्वेक्षण में पाया गया कि 21,281 बच्चे खतरनाक और 27,761 बच्चे गैर–खतरनाक पेशों में कार्य कर रहे हैं। 1994 से 2004 के बीच बालश्रम कानून उल्लंघन के 17,632 मामलों में से सिर्फ 1,468 मामलों में ही मुकदमा दर्ज किया गया।

राजधानी दिल्ली में करीब दो लाख बाल श्रमिक हैं। राजधानी का हर पाँचवा बच्चा बाल श्रमिक है।

भारत में कुल बाल श्रमिकों का 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है तथा 30 से 35 प्रतिशत तक कल–कारखानों में कार्यरत हैं, शेष भाग पत्थर–खादानों, चाय बागानों, कुटीर उद्योगों, दुकानों एवं घरेलू कार्यों में अभिशप्त जीवन जीने के लिए विवश हैं।

बाल श्रमिकों की भारत में जनसंख्या

करोड़ों में

वर्ष	आयु–समूह 0–4		5–9		10–14		कुल बाल जनसंख्या
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
1981	8.3	31.6	9.4	35.7	8.6	32.7	26.3
1991	11.0	35.7	10.3	34.3	9.5	30.0	30.8
2001	11.4	34.2	11.1	33.3	10.8	32.5	33.3

बालश्रम का विस्तार

बाल श्रमिकों के व्यवसाय को मुख्य तौर पर चार वर्गों में बांटा जा सकता है:

(अ) कृषि (ब) निर्माण (स) व्यापार एवं (द) घरेलू एवं वैयक्तिक सेवा।

बालश्रम के सबसे ज्यादा दोष असंगठित उद्योगों और वर्कशापों में पाये जाते हैं जहाँ ज्यादातर बच्चे काम करते हैं। अनेक ऐसे उद्योग हैं जहाँ बच्चे अपने जीवन की कोमलता खो रहे हैं–

- शिवाकाशी (तमिलनाडु) में दियासलाई उद्योग,
- जयपुर (राजस्थान) में बहुमूल्य पत्थर पालिश उद्योग,
- टाइल उद्योग, जग्गमपेट (आंध्र प्रदेश),
- मत्स्य पालन, केरल,
- हथकरघा उद्योग, तिरूवनंतपुरम, विरूपुर, कांचीपुरम एवं चिंनालमपट्टी,
- बीड़ी उद्योग, त्रिशूर (केरल), तिरूचिरापल्ली (तमिलनाडु),
- कालीन उद्योग – भदोही, मिर्जापुर पट्टी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश), राजस्थान एवं जम्मू कश्मीर,
- कांच उद्योग – फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश),
- चीनी मिट्टी के बर्तन – खुर्जा (उत्तर प्रदेश),
- ताला उद्योग – अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)।

बालश्रम के कारण

बालश्रम एक विश्वव्यापी समस्या है। बालकों का शोषण मानवाधिकारों का उल्लंघन है। विश्व के हर बच्चे का यह मौलिक अधिकार है कि वह जीवन की नैसर्गिक आवश्यकताओं को प्राप्त करे परंतु ऐसा नहीं हो रहा है।

बालश्रम का प्रथम एवं महत्वपूर्ण कारण आर्थिक विवशता है। गरीबी जो कि विकासशील देशों में व्यापक रूप से फैली हुई है, इस समस्या की जड़ है।

बालश्रम का दूसरा कारण, परिवार का बड़ा आकार होना है। ऐसे परिवार जहां सदस्यों की संख्या अधिक होती है वहाँ एक व्यक्ति की आमदनी से परिवार चलाना कठिन होता है ऐसी स्थिति में बच्चों की आय आजीविका का स्रोत बनती है।

बालश्रम का एक महत्वपूर्ण कारण बाल श्रमिकों का सस्ते में उपलब्ध होना भी है। नियोक्ता अल्प मजदूरी में ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और इसके लिए वे व्यस्क की बजाय बच्चों को श्रमिक के रूप में रखकर मुनाफा बढ़ा लेते हैं।

बालश्रम के दुष्प्रभाव

बालश्रम का प्रत्यक्ष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जहां माचिस एवं आतिशबाजी उद्योगों में लगे बाल श्रमिक पोटैशियम क्लोरेट, फॉस्फोरस एवं जिंक आक्साइड जैसे विषैले एवं खतरनाक रसायनों के बीच काम करते हैं वहीं मेघालय की निजी खदानों में बच्चे 90 सेंटीमीटर व्यास के छोटे–छोटे गढ्ढों में काम करते हैं। काँच उद्योग में लगे हुए बच्चे 700 डिग्री सेल्सियस के तापमान वाली भट्टी के इर्द–गिर्द काम करने को मजबूर है। इतनी विकट एवं वीभत्स दशाओं में काम करने के परिणास्वरूप ये बाल श्रमिक टी.बी., कैंसर, सांस की बीमारी, चर्म रोग, फोटोबिया, दमा जैसी अनेक बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।

बालश्रम में सलंग्न बच्चों के सिर्फ स्वास्थ्य को ही हानि नहीं पहुंचती बल्कि साथ ही साथ उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास को क्षति पहुंचती है। मैरिल का मानना है कि आय कम होने के कारण बच्चों को भी काम करना पड़ता है जिससे उनकी शिक्षा नहीं हो पाती। गरीबी के कारण इन बाल श्रमिकों की अनेक इच्छाएं अतृप्त रह जाती हैं। जिनकी तृप्ति के लिए वे अपराधों का आश्रय लेते हैं।

होटलों या उपहार गृहों में काम करने वाली बालिकाएं यौन अपराध की ओर शीघ्र प्रवृत होती हैं। सभी मनोवैज्ञानिक व अपराधशास्त्री बालश्रम का बाल अपराध से घनिष्ठ संबंध मानते हैं।

बालश्रम के संबंध में संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों के द्वारा बाल श्रमिकों को उनके नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाने हेतु राष्ट्र द्वारा प्रयास किया गया है–

अनुच्छेद 23 – मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध : मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिबंधित किया गया है।

अनुच्छेद 24 – कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध – चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

कारखाना एक्ट, 1922 – 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को बच्चे माना गया, काम करने की अवधि (आधे घंटे के विश्राम मध्यान्तर सहित) 6 घण्टे नियत की गयी है।

कारखाना एक्ट 1948 – 14 वर्ष की उम्र होने पर ही किसी व्यक्ति को काम पर रखा जा सकता है। काम के घंटे 4½ मध्यान्तर सहित 5 घंटे कर दिये गये।

खान एक्ट 1952 – इस एक्ट के तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान में किसी भी भाग में चाहे यह भूमिगत हो या खुले में खुदाई का कार्य हो, काम पर रखना मना किया है।

बागान श्रमिक एक्ट, 1951 – के अंतर्गत रोजगार के लिए न्यूनतम आयु 22 वर्ष रखी गयी है।

बाल श्रमिक (निषेध तथा नियमन) अधिनियम 1986 – इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि कुछ रोजगारों में उन बालकों का काम पर लगाने से रोका जाये जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तथा अन्य रोजगारों में बालकों की कार्य करने की दशाओं का नियमन किया जाए। अधिनियम में इस बात का भी प्रावधान है कि कोई भी बालक रात्रि के 7 बजे से प्रातः 8 बजे के बीच काम पर नहीं लगाया जाये।

इस अधिनियम में पारिवारिक कामधंधे या मान्यता प्राप्त स्कूल पर आधारित गतिविधियों को छोड़कर बच्चों से निम्न तरह के व्यवसायों में काम कराने की मनाही है–

(क) रेलवे द्वारा या माल या डाक का यातायात, (ख) रेलवे परिसर में राख में से कोयले के टुकड़े बीनना, राख के गड्ढों की सफाई, (ग) रेलवे में खान–प्रबन्ध की संस्थाएं, (घ) रेलवे स्टेशनों या रेल लाइनों के बहुत पास निर्माण से संबंधित कार्य, (ड़) बंदरगाह।

निम्नलिखित उद्योगों में भी बालकों को काम पर लगाना प्रतिबंधित है–

बीड़ी बनाना, कालीन बुनना, सीमेंट बनाना व उसे बोरियों में भरना, कपड़ों की छपाई, रंगाई, अभ्रक काटना तथा उसे कूटना, दियासलाइयां बनाना तथा विस्फोट व आतिशबाजी का सामान तैयार करना, साबुन बनाना, भवन निर्माण उद्योग, चमड़ा रंगना तथा ऊन साफ करना।

बालश्रम समिति

इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया गया है कि बालक प्रत्येक राष्ट्र की सबसे अहम् संपत्ति हैं और बालश्रम राष्ट्र के लिए कलंक है।

1987 में राष्ट्रीय बालश्रम नीति बनायी गयी। बालश्रम समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर विशेष बल दिया कि काम पर लगे बच्चों की समस्याओं से निपटने के लिए एक बहुल नीति दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है। समिति ने सिफारिश की कि बालश्रम को रोकने तथा उनका नियमन करने के लिये वर्तमान में जो कानून प्रचलित हैं उसके स्थान पर एक विस्तृत तथा व्यापक कानून बनाये जाने की आवश्यकता है तथा किसी भी कार्य में बच्चों के प्रवेश की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 15 वर्ष कर दिया जाना चाहिए।

सितंबर 1990 में श्रम मंत्रालय तथा यूनिसेफ की सहायता से राष्ट्रीय श्रम संस्था में एक बालश्रम सेल खोला गया है जिसका उद्देश्य बालश्रमिकों के संबंध में जानकारी एकत्र करना तथा उनकी मुक्ति हेतु प्रयास करना है।

बालश्रम की समस्या के निवारण हेतु अनेकानेक संवैधानिक प्रयास किये गये हैं परंतु क्या कारण है आज भी बाल श्रमिकों की संख्या में कमी नहीं आ रही है यह एक विचारणीय प्रश्न है। सामाजिक चेतना, शिक्षा तथा बाल वर्ग के प्रति दयालुता की भावना जागे बिना समाज में बालश्रम की प्रवृति का उन्मूलन संभव नहीं है। समाज का प्रत्येक वर्ग विशेषकर पूंजीपति वर्ग जब तक अपने आर्थिक लाभ को छोड़कर मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनायेगा तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है।

(लेखिका दयानन्द महाविद्यालय, अजमेर में समाज शास्त्र, की प्रवक्ता हैं)

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नई पहल

एम.एल.धर

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की दुर्दशा ने स्वतंत्रता से अब तक सभी सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है। उनका असंगठित होना ही उनके लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। वे आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। उनके कार्यस्थल छिट–पुट और छिन्न–भिन्न हैं। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच कोई तयशुदा संबंध नहीं हैं। संसाधनों की कमी तथा कुशल न होना और टिकाऊ नौकरी का अभाव जैसी कुछ अन्य समस्याएं भी इनकी दुर्दशा का कारण हैं।

पहले श्रम आयोग (1966–69) ने असंगठित श्रम को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जो अपने समान हितों की रक्षा के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर सका है। आयोग ने इसका कारण रोजगार की आकस्मिक प्रकृति, अज्ञानता तथा निरक्षरता आदि बताया। लगभग 20 वर्ष बाद राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (1987–91) ने भी यही कहा और इन्हीं कारणों को भारत में असंगठित मजदूरों की वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार देश में कुल रोजगार 1993–94 के 3740 लाख से बढ़कर 1999–2000 में 3970 लाख हो गया (आम सिद्धांत व सहायक स्थिति पर आधारित)। इसमें से लगभग 280 लाख संगठित क्षेत्र में तथा शेष 3690 लाख असंगठित क्षेत्र में हैं। असंगठित क्षेत्र के लगभग 60 फीसदी श्रमिक कृषि व सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे हुए हैं। इनमें छोटे व सीमांत किसान, भूमिहीन कृषि मजदूर और फसल बटाईदार शामिल हैं।

इन कमचारियों का कल्याण प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का एक प्राथमिक मुद्दा है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में इसे प्राथमिकता देते हुए संप्रग सरकार ने कहा श्रम कानूनों में हालांकि कुछ परिवर्तनों की जरूरत हैं लेकिन ये परिवर्तन ऐसे होने चाहिए जो कर्मचारियों व उनके परिवारों के हितों की पूरी तरह रक्षा करते हों और इस बारे में ट्रेड यूनियनों से पूरा परामर्श किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए न्यूनतम कार्यक्रम में कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा तंत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा।

असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के अभाव में, श्रम मंत्रालय ने समय–समय पर असंगठित क्षेत्र के पांच विशिष्ट वर्गों के लिए कल्याण निधियों की स्थापना की। इनमें भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी, बीड़ी कर्मचारी, सिनेमा कर्मचारी और गैर–कोयला खान कर्मचारियों के कुछ वर्ग शामिल हैं। इन निधियों से स्वास्थ्य देखभाल, आवास, बच्चों को शिक्षा तथा पेंशन व बीमा कवर जैसी सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायता मिली है।

बीड़ी कर्मचारियों का कल्याण

इन कल्याण निधियों में से कुछ की कवरेज बढ़ाने का प्रयास किया गया है और विभिन्न योजनाओं को उदार बनाने व इनमें सुधार करने के लिए नई पहलें की गई हैं। उदाहरण के लिए गरीब बीड़ी मजदूरों के कल्याण पर खर्च में निरंतर वृद्धि हुई है, जो 2000–01 में लगभग 50 करोड़ रुपये से बढ़कर 2004–05 में 88.88 करोड़ रुपये हो गया है। इसके लिए धन की और ज्यादा व्यवस्था करने के उद्देश्य से बीड़ी पर उपकर की दर 2 रुपये प्रति हजार से बढ़ाकर अप्रैल 2005 से 4 रुपये हजार कर दी गई है। इस वृद्धि से इस कल्याण निधि में 70 से 75 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आय होगी। बीड़ी कर्मियों व उनके आश्रितों के स्वास्थ्य देखभाल के लिए इस समय पूरे देश में 4 अस्पताल व 206 डिस्पेंसरियां हैं। तीन और अस्पतालों का निर्माण पूरा होने वाला है। इसके अलावा बीड़ी कर्मियों के लिए वर्तमान अस्पताल सुविधाओं के विस्तार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों या किसी अन्य संस्थान को इस प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपये की एक मुश्त अनुदान प्रदान करने की एक नई योजना शुरू की है। इसके अतिरिक्त गंभीर रोगों के उपचार के लिए चिकित्सा खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाती है। महिला बीड़ी कर्मियों को मातृत्व लाभ दिया जाता है। बीड़ी कर्मियों के लिए सामूहिक बीमा योजना चलाई जा रही है, जिसके लिए उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होता है। बीड़ी कर्मियों के वास्ते मकान निर्माण के लिए आवास योजना का भी संशोधित व उदार बनाया गया है। इस प्रयोजन के लिए बीड़ी कर्मियों को उपलब्ध आर्थिक सहायता को प्रति इकाई दोगुना करके 40 हजार रुपये कर दिया गया है और वेतन सीमा 3500/– रुपये से बढ़ाकर 6500/– रुपये करने के साथ–साथ पात्रता मानदंडों में भी छूट दी गई है। ये सुधार गैर–कोयला खान कर्मियों पर भी लागू हैं।

तथापि, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने के प्रयास तब तक अधूरे रहेंगे जब तक कि कृषि कर्मियों को इसमें शामिल न किया जाए, क्योकि असंगठित कर्मचारियों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। इन्हें सामाजिक सुरक्षा तंत्र में शामिल करने के लिए परीक्षण के तौर पर चलाई गई योजनाएं कोई खास सफल नहीं रही हैं। पिछली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा 2001 में आरंभ की गई कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना एक ऐसा ही मामला है। इन कर्मचारियों के मुद्दे और समस्याएं जटिल हैं। मौसमी रोजगार, बड़े पैमाने पर पलायन, नियोक्ता–कर्मचारी में औपचारिक संबंधों का अभाव तथा कल्याण योजनाओं को वित्त पोषित करने में संसाधनों का अभाव आदि ऐसे ही कुछ सहयोगी कारण हैं।

कर्मचारी कल्याण विधेयक

दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों पर एक लंबी बहस के बाद, श्रम मंत्रालय ने असंगठित क्षेत्र कर्मचारी कल्याण विधेयक 2004 के प्रारूप का प्रस्ताव किया है। इसे, सामाजिक भागीदारों, विशेषज्ञों तथा राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। प्रस्तावित विधेयक के प्रारूप में, केन्द्र में एक असंगठित क्षेत्र कर्मचारी कल्याण बोर्ड की स्थापना करने की व्यवस्था है। बोर्ड सुरक्षा और कल्याण से संबंधित नीतिगत मामलों में सरकार को असंगठित क्षेत्र में रोजगार नियमन और पेंशन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा देखभाल, नौकरी के दौरान चोट लगने पर प्रतिपूर्ति, मातृत्व लाभ, सामूहिक बीमा तथा आवास सुरक्षा पर भी सलाह देगा। बोर्ड योजना भी तैयार करेगा और उनकी कार्यान्वयन की समीक्षा करके ऐसी योजनाओं में समय–समय पर अपेक्षित परिवर्तनों के बारे में केन्द्र असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के नियोक्ताओं का पंजीकरण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा ये केन्द्र पंजीकृत कर्मचारी को एक सामाजिक सुरक्षा संख्या व एक पहचान–पत्र भी प्रदान करेंगे।

इस विधेयक के प्रारूप में कल्याण निधि के लिए कर्मचारी द्वारा अपने मासिक वेतन का 5 प्रतिशत दिया जाएगा और इतना ही अंशदान नियोक्ता द्वारा किया जाएगा। नियोक्ता न होने पर सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाएगा। केन्द्र सरकार भी प्रत्येक पंजीकृत कर्मचारी के मासिक वेतन का 2.5 प्रतिशत अंशदान के रूप में देगी।

असंगठित कर्मचारियों की पहचान और कल्याण निधि का वित्तपोषण, असंगठित कर्मचारियों के लिए कल्याण निधियों की स्थापना करने में एक प्रमुख बाधा रहे हैं। अनुभव से पता चला है कि ऐसी कल्याण योजनाएं जो असंगठित कर्मचारियों के अंशदान पर ही निर्भर हैं, बनाए रखी नहीं जा सकती। इसे ध्यान में रखते हुए और दूसरे श्रम आयोग की सिफारिशों को देखते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने हाल में ही प्रस्तावित असंगठित क्षेत्र कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा विधेयक – 2005 का प्रारूप सरकार को भेजा है। प्रारूप विधेयक में असंगठित कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रावधान है तथा इसके संचालन के लिए राष्ट्रीय असंगठित कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा प्राधिकरण बनाने की व्यवस्था है। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कर्मचारी को पुनः परिभाषित करने का प्रस्ताव है ताकि सभी प्रकार के असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारियों की परिभाषा में शामिल किया जा सके और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। प्रारूप विधेयक में सुविधा एजेंसियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले कर्मचारी सुविधा केन्द्रों के माध्यम से कर्मचारियों तक पहुंच की व्यवस्था है जिसमें डाकघर, सहकारी समितियां, माइक्रो वित्तीय संस्थान, ग्राम पंचायतें तथा शहरी स्थानीय निकाय शामिल हो सकते हैं।

कल्याण योजनाओं का वित्त पोषण

प्रस्तावित प्रारूप की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इन कल्याण योजनाओं का वित्तपोषण है। इसमें इन असंगठित कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए इन योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के आंशिक वित्तपोषण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक उपकर या उचित कर लगाने का प्रस्ताव है। कर्मचारियों की पंजीकरण फीस तथा सम्बद्ध सरकारों द्वारा अनुदान व ऋण इसके आय के अन्य स्रोत होंगे। सामाजिक सुरक्षा की जमीन स्तर की योजनाओं मे न्यूनतम बीमा, चिकित्सा देखभाल, बीमारी –लाभ, रोजगार के दौरान चोट लगने पर वित्तीय सहायता, मातृत्व लाभ, वृद्धावस्था पेंशन और उत्तरजीवी लाभ के घटक शामिल करने का प्रस्ताव है।

ये सभी कदम असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के प्रति प्रतिबद्धता को साकार करने के सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं। इसमें संसद की मंजूरी प्राप्त करने में अकारण कोई देरी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में कानून बनाना देश के श्रम इतिहास में एक युगांतकारी कदम होगा। ये उन कर्मचारियों की स्थिति में काफी सुधार करेगा जिसमें अधिकांश कमजोर व सीमांत वर्गों के हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। इसे जितनी जल्दी कार्यान्वित किया जाए उतना ही अच्छा है। ❁

(लेखक पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली में उप प्रधान सूचना अधिकारी हैं)

श्रमिक और श्रमिक कानून

भारत में श्रम नीति नियोजित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुई है और इसके दो प्रमुख उद्देश्य रहे हैं– औद्योगिक शांति बनाए रखना और श्रमिक के कल्याण का हर हाल में प्रोत्साहन देना।

श्रम सुधार

श्रम सुधारों का वास्तव में अर्थ है देश में उत्पादन, उत्पादकता तथा रोजगार के अवसर को बढ़ाना और साथ ही श्रमिकों के हितों की पूरी रक्षा करना। मुख्य रूप से श्रम सुधार का मतलब है श्रमिकों की कार्यकुशलता का विकास करना उन्हें बार–बार प्रशिक्षण देना, उनकी पुनः तैनाती करना, श्रमिक–अध्यापकों की जानकारी अपडेट करना, नेतृत्व के गुण विकसित करना इत्यादि। श्रम सुधारों में श्रमिक कानूनों को सुधार भी शामिल है। श्रमिक कानूनों में बदलाव (परिवर्तन–संशोधन) भी इस प्रकार किए जाते हैं कि श्रमिकों के हित सुरक्षित रहें।

मजदूरों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाए रखने के लिए केन्द्र सरकार ने परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता लागू किया है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ा है। यह महंगाई भत्ता हर छः महीने बाद, पहली अप्रैल और पहली अक्तूबर को बढ़ा दिया जाता है। अभी तक 24 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने न्यूनतम मजदूरी के घटक के रूप में परिवर्तनीय महंगाई भत्ते की व्यवस्था अपनाई है।

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था कि अधिनियम के आने वाले कर्मचारियों को उनके मालिक/नियोक्ता निर्धारित समय–सीमा में वेतन का भुगतान कर दें और कानून द्वारा अधिकृत कटौतियों के अलावा कोई और कटौती न करें। अभी इस कानून से वही मजदूर कवर होते हैं, जिनका मासिक वेतन 1600 रुपये से ज्यादा नहीं है। वेतन–सीमा बढ़ाकर 6500 रुपये प्रतिमाह करने और कुछ अन्य विसंगतियां/खामियां दूर करने के उद्देश्य से 'वेतन भुगतान (संशोधन) विधेयक, 2002' राज्यसभा में 2 दिसंबर, 2004 को पारित कर दिया गया है। अब इस विधेयक पर लोकसभा की स्वीकृति ली जानी है।

ठेका मजदूर

विभिन्न प्रकार के कुशल और अर्द्धकुशल कार्यों के लिए ठेका मजदूरों को काम पर लगाने की प्रथा अधिकतर उद्योगों में प्रचलित है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में भी यह मौजूद है और कुछ हद तक तो सेवा–क्षेत्र में भी ठेके पर मजदूर रखे जाते हैं। ठेका मजदूर ऐसा मजदूर है जिसे किसी ठेकेदार द्वारा भाड़े पर रखा जाता है और ठेकेदार की भरपाई उपयोगकर्ता उद्यमों द्वारा की जाती है। ठेका मजदूरों के काम करने के हालत और रहन–सहन के स्तर के प्रति चिंता और स्टैंडर्ड वैक्यूम रिफाइनरी कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच चले मुकदमे में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के बाद ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 लागू किया गया था।

ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उद्देश्य कुछ खास प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों को काम पर रखने को नियमित करना और कुछ परिस्थितियों तथा उनसे संबद्ध मामलों में इस प्रथा का उन्मूलन करना है। यह अधिनियम और ठेका मजदूर (नियमन तथा उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971, 10 फरवरी, 1971 से लागू हुए। इस अधिनियम में इसे लागू करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए मसलों पर संबद्ध सरकारों को परामर्श देने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर ठेका श्रमिक बोर्ड गठित करने का प्रावधान है। अधिनियम में ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान और कुछ अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में विशेष प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। फैसले में उच्चतम न्यायालय के पांच सदस्यों की संविधान पीठ ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड बनाम नेशनल यूनियन ऑफ वाटरफ्रंट वर्कर्स व अन्य के मामले में व्यवस्था दी कि इस अधिनियम के प्रावधानों में ठेका मजदूरों को निश्चित रूप से खपाने या परिणामस्वरूप स्वतः खपाने की बात शामिल नहीं है। अतः मूल नियोक्ता से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि संबंधित प्रतिष्ठान में काम पर लगे ठेका मजदूरों को अपने यहां खपाने का आदेश दे।

बाल श्रमिक प्रथा का उन्मूलन

बाल श्रमिक प्रकोष्ठों को और मजबूत बनानाः बाल श्रमिक प्रकोष्ठ को बाल मजदूरों की समस्याओं से निपटने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाने और उन्हें लागू करने का जिम्मा सौंपा गया है। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं की योजना के तहत चलाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए धन जुटाने और उनके कामकाज की निगरानी का भी दायित्व सौंपा गया है। प्रकोष्ठ बाल श्रमिकों के लिए कार्यशील परियोजना चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी आर्थिक सहायता देता

है। साथ ही यह प्रकोष्ठ बाल श्रमिक (प्रतिबंध तथा नियमन) अधिनियम, 1986 के क्रियान्वयन की निगरानी करता है और विभिन्न समितियों, कार्यशालाओं, परामर्श बोर्डों आदि की बैठकें आयोजित करता है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं

राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति, 1987 का एक दायित्व है बाल श्रमिकों की अधिकता वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं चलाना, ताकि बाल श्रमिकों का पता लगाकर उन्हें मुक्त कराया और फिर बसाया जा सके। बाल श्रमिकों के पुनर्वास पैकेज में अनौपचारिक/औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, स्वास्थ्य देख–रेख, स्टाइपेंड आदि शामिल हैं। अन्य गतिविधियों में बाल श्रमिकों से संबद्ध कानूनों को अधिक कठोरता से लागू करना, बाल मजदूरी की बुराई के प्रति लोंगों में जागरूकता पैदा करना और कल्याण–सुविधाओं को बाल श्रमिकों तक पहुंचाना शामिल हैं। बाल श्रमिकों से संबद्ध नीति के अंतर्गत 1988 में 12 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाएं शुरू की गई थीं। इनका उद्देश्य था खतरनाक और जोखिम वाले धंधों तथा प्रक्रियाओं से बाल श्रमिकों को बाहर निकालना और उनका पुनर्वास करना। नौवीं योजना में इन परियोजनाओं की संख्या 100 कर दी गई थी और अब दसवीं योजना में 21 राज्यों के 250 जिलों में इसका विस्तार कर दिया गया है।

स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान सहायता

इस योजना के तहत कार्रवाई–आधारित परियोजनाएं हाथ में लेकर उन्हें गैर–सरकारी संगठनों व स्वैच्छिक संगठनों के जरिये लागू किया जाता है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को परियोजना लागत का 75 प्रतिशत उपलब्ध कराया जाता है। शेष 25 प्रतिशत खर्च गैर–सरकारी संगठन और स्वैच्छिक एजेंसियां अपने साधनों से वहन करती हैं। इस योजना में लचीलेपन और नए तरीके खोजने की पूरी संभावना है।

भारत–अमेरिका–श्रम विभाग उपयुक्त अनुदान [इंडस (सिंधु) परियोजना] – अमेरिका के श्रम मंत्रालय और श्रम विभाग (श्रम मंत्रालय–अमेरिका–श्रम विभाग) की परियोजना 'बाल मजूदरी उन्मूलन के बढ़े हुए भारत–अमेरिका सहयोग' के अंतर्गत जारी संयुक्त वक्तव्य की फॉलोअप कार्रवाइ के रूप में चलाई जा रही है। इस संयुक्त वक्तव्य पर श्रम मंत्रालय और अमेरिका के श्रम विभाग ने अगस्त, 2000 में हस्ताक्षर किए थे। इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा विभाग के साथ तालमेल कायम करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुने हुए जिलों के चुने हुए खतरनाक उद्योगों से बाल श्रमिकों को हटाकर वहां बाल मजदूरी का चलन पूरी तरह समाप्त किया जाए। इस परियोजना के तहत पांच राज्यों–उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 21 जिले कवर करने का प्रस्ताव है।

इसके लिए अमेरिका श्रम विभाग दो करोड़ अमेरिकी डालर उपलब्ध कराएगा (1 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर श्रम–आधारित भाग केलिए और 70 लाख अमेरिकी डॉलर शिक्षा–आधारित भाग के लिए) तथा भारत सरकार भी इतनी ही राशि उपलब्ध कराएगी, जिसे श्रम मंत्रालय (1 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डालर) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (70 लाख अमेरिकी डॉलर) वहन करेंगे। यह परियोजना 16 फरवरी, 2004 को शुरू कर दी गई है। इंडस (सिंधु) जिले को धनराशि जारी कर दी गई है, ताकि वह अस्थायी शिक्षा केंद्र (टी ई सी) स्थापित कर सके और परियोजना सोसाइटी का खर्च वहन कर सके।

महिला श्रमिक

भारत की श्रमशक्ति में महिला श्रमिकों का एक प्रमुख हिस्सा है, लेकिन रोजगार के स्तर और गुणवत्ता की दृष्टि से वे पुरूषों से पीछे रह जाती हैं। भारत की जनगणना (2001) के अनुसार महिला श्रमिकों की संख्या 25.60 प्रतिशत है, यानी देश में महिलाओं की कुल संख्या 49 करोड़ 60 लाख में से 12 करोड़ 72 लाख 20 हजार महिलाएं श्रमिक हैं। अधिकांश श्रमिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिला श्रमिकों में 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्र में 80 प्रतिशत श्रमिक महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे–मोटे व्यवसायों और नौकरी तथा भवन–निर्माण जैसे असंगठित क्षेत्रों में काम कर रही हैं। संगठित क्षेत्र (निजी और सार्वजनिक दोनों) में 31 मार्च, 2002 को महिला श्रमिकों की संख्या लगभग 49 लाख 35 हजार थी। यह देश में संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार का 17.8 प्रतिशत है। प्रमुख उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकतर महिलाएं सामुदायिक, सामाजिक और निजी सेवा–क्षेत्र में कार्यरत हैं। बिजली, गैस,पानी इत्यादि क्षेत्रों में सबसे कम संख्या में महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। सन् 2000 मे फैक्टरियों और बागानों में महिला श्रमिको की संख्या कुल कर्मचारियों का क्रमशः 10 प्रतिशत तथा 5 प्रतिशत थी। सन् 2000 में ही खनन प्रतिष्ठानों में महिला श्रमिकों की संख्या कुल श्रमिकों की 5 प्रतिशत थी। महिला श्रमिकों के बारे में सरकार की नीतियों में मुख्य ध्यान उनके काम में आने वाली अड़चनें समाप्त करने, वेतन के बारे में सौदेबाजी कर पाने की उनकी क्षमता बढ़ाने, उनका वेतन और उनकी कार्यस्थितियों में सुधार लाने, उनकी कुशलता बढ़ाने और उनके लिए रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर रहता है।

इस समस्याओं के समाधान के लिए श्रम मंत्रालय में 'महिला श्रम प्रकोष्ठ' नाम का अलग प्रकोष्ठ कायम किया गया है। कामकाज के स्थान पर महिला मजदूरों के हितों की सुरक्षा के लिए प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961 और समान मजदूरी अधिनियम, 1976 संरक्षणात्मक तथा शोषणानिवारक कानून हैं। समान मजदूरी अधिनियम के तहत एक ही तरह के काम के लिए पुरूष तथा महिला श्रमिकों को एक समान मजदूरी देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती एवं सेवा शर्तों में महिला और पुरुष का भेदभाव दूर करने का भी प्रावधान है। अधिनियम के तहत केंद्र में एक समिति कायम की गई है, जो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के बारे में सरकार को सलाह देगी और अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा करेगी। राज्य सरकारों और केंद्रशासित शासनों ने भी ऐसी ही समितियां गठित की हैं। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड तथा राज्य स्तर पर सलाहकार समितियां सक्षम अधिकारियों के साथ मिलकर समान मजदूरी अधिनियम, 1976 के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती हैं।

साथ ही, मंत्रालय में कार्यरत महिला प्रकोष्ठ भी महिला श्रमिकों के लिए अनुदान–सहायता योजना लागू कर रह है। यह योजना स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है और इन संगठनों को उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुदान सहायता दी जाती है, जिका उद्देश्य है महिला श्रमिको में उनके अपने अधिकारों तथा महिलाओं से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना, जिन्हें केंद्र/राज्य सरकारें चला रही हैं। दसवीं योजना में इस विषय पर और सघन दृष्टिकोण विकसित करने तथा अपनाने के उद्देश्य से इस योजना के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है।

उच्चतम न्यायालय ने 13 अगस्त, 1997 को विसाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार व अन्य के मामले मे दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में काम के स्थान पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक दिशानिर्देश/मानक निर्धारित किए थे। इन दिशानिर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 141 के अंतर्गत कानूनी ताकत भी प्राप्त है।

बंधुआ मजदूर

भारत में बंधुआ मजदूरों की प्रथा कुछ खास तरह की ऋणग्रस्तता के कारण है, जो समाज के कुछ आर्थिक रूप से शोषित, बेसहारा और कमजोर वर्गों में लंबे समय से चली आ रही है। यह प्रथा सामंतवादी और अर्द्धसामंती परिस्थितियों से उत्पन्न असमान सामाजिक ढांचे की देन है।

बंधुआ मजदूरी का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में उस समय प्रमुख रूप से सामने आया, जब 1975 में इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया। बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अध्यादेश जारी किया गया। बाद मे इसका स्थान लेने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 लाया गया। इससे बंधुआ मजदूरों के कर्ज खत्म करने के साथ ही उन्हें एकतरफा रूप से बंधुआ मजदूरी की बेड़ियों से मुक्त कर दिया गया।

जिला और सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेटों को सांविधिक प्रावधानों को लागू करने के वास्ते कुछ दायित्व सौंपे गए हैं। इस अधिनियम में कानूनी प्रावधानों को लागू करने के लिए जिला और सब–डिविजन स्तर पर सतर्कता समितियां गठित करने की व्यवस्था भी की गई है। इस अधिनियम में किसी व्यक्ति को बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करने वाले या इसके लिए कर्ज देने वाले को तीन साल की कैद और 2,000 रुपये तक के जुर्माने की व्यवस्था की गई है। बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार, बंधुआ मजदूरों की पहचान करना और उन्हें छुड़ाना तथा उनका पुनर्वास करना संबंधित राज्य सरकार की सीधी जिम्मेदारी है।

बंधुआ मजदूरी के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में जनहित याचिकाओं के रूप में बहस हुई है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को बंधुआ मजदूरी से संबंधित मामलों में भागीदार बनाया जाना चाहिए।

केंद्र प्रायोजित योजना मई 2000 में संशोधित की गई थी। संशोधित योजना में प्रति बंधुआ मजदूर पुनर्वास सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने के साथ–साथ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की जागरूकता बढ़ाने, बंधुआ मजदूरों के सर्वेक्षण और आकलन संबंधी अध्ययनों के लिए केंद्रीय अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया। संशोधित योजना के अनुसार राज्य सरकार को जागरूकता पैदा करने के लिए 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष, तीन साल में एक बार जिले में बंधुआ मजदूर सर्वेक्षण के लिए दो लाख रुपये प्रति जिला और आकलन संबंधी अध्ययनों के लिए पांच लाख रुपये सालाना दिए जाते हैं। अब तक 2,86,245 बंधुआ मजदूरों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 2,66,283 मजदूरों का पुनर्वास 6830.42 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता से किया जा चुका है।

असंगठित क्षेत्र

'असंगठित क्षेत्र' से तात्पर्य उन मजदूरों से है, जो रोजगार के अस्थायी स्वरूप, अज्ञानता और निरक्षरता, छोटे तथा विखरे प्रतिष्ठानों आदि कुछ कारणों से अपने साझा हितों के लिए स्वयं को संगठित नहीं कर पाए।

राष्ट्रीय सैंपल सर्वे संगठन 1999–2000 में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, देश में संगठित और असंगठित, दोनों ही

क्षेत्रों में श्रमिकों की कुल संख्या 39.7 करोड़ थी। इनमें से 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में थे और बाकी 36.9 करोड़, यानी कुल रोजगार का 92 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में थे। असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ मजदूरों में से 23.7 करोड़ कृषि क्षेत्र में लगे थे, जबकि 1.7 करोड़ मजदूर निर्माण क्षेत्र में, 4.1 करोड़ मजदूर विनिर्माण गतिविधियों में और व्यापर में 3.7 करोड़ लोग संलग्न थे। इसके अलावा, परिवहन, और संचार सेवाओं के क्षेत्र में 3.7 करोड़ लोग लगे हुए थे।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की देख–रेख के लिए सरकार ने विधायी उपायों तथा कल्याण योजनाओं और कार्यक्रमों की द्विपक्षीय नीति अपनाई है। विधायी उपायों में न्यूनतम मजदूरी कानून, 1948; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; मातृत्व अभिलाभ अधिनियम, 1961; बंधुआ मजदूर प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976; ठेका मजदूर (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970; अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979; भवन और अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1966 आदि शामिल हैं।

भारत सरकार ने बीड़ी मजदूरों, कोयले को छोड़कर अन्य खानों के मजदूरों और सिने–कर्मियों के कल्याण के लिए कल्याण कोष का गठन किया है। इन कल्याण कोषों को उपयोग मजदूरों को उनके बच्चों की शिक्षा, मनोरंजन, सामूहिक बीमा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, मकानों के निर्माण आदि पर किया जाता है। भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1966 के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार कल्याण बोर्ड/कोष की स्थापना कर निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के कल्याण/समाजिक सरक्षा के लिए कदम उठाए। कुछ राज्यों जैसे– केरल ने असंगठित क्षेत्र के इन श्रमिकों के लिए कल्याण कोष की स्थापना की है।

सरकार ने हाल ही में असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों की समस्याओं के समाधान के लिए डॉ. अर्जुन सेनगुप्ता की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की हैं आयोग असंगठित क्षेत्रों के उद्यमों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करेगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए व्यापक कानून बनाने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव के मसौदे में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सेवा–शर्तों, उनकी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थय तथा अन्य कल्याण संबंधी मामलों पर विचार किया जाएगा। विधेयक के सभी पहलुओं पर विचार करने तथा असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग की सहमति के बाद शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। ❁

(साभारः भारत–2006)

इंडस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 80 हजार बाल श्रमिकों का पुनर्वास

बाल श्रम को खत्म करने के लिए इंडस (इंडो–यूएस) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत वर्ष 2007 तक बाल श्रमिकों के रूप में कार्य कर 80 हजार बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जायेगा। तीन वर्ष की अवधि वाले इंडस प्रोजेक्ट को "बाल श्रम को समाप्त करने के लिए भारत–अमरीका के बीच सहयोग में वृद्धि" पर जारी संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में फरवरी, 2004 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा विभाग के साथ सक्रिय ताल–मेल से पहचाने गए जिलों के खतरनाक पेशों में काम कर रहे बाल श्रम को समाप्त करना है। इस प्रोजेक्ट के लिए अमरीका का श्रम विभाग 200 लाख अमरीकी डालर की सहायता उपलब्ध करा रहा है तथा इतनी ही राशि की सहायता भारत सरकार द्वारा भी उपलब्ध कराई जाउएगी। इस प्रोजेक्ट को दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में लागू किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एनसीएलपी) को श्रम मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 1994 को शुरू किया गया था और दसवीं परियोजना के दौरान इसे पुनः संशोधित करके 250 जिलों में लागू किया गया। संशोधित योजना में अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण पर बल दिया गया है। इस संशोधित योजना के अन्यर्गत 9 से 14 आयु वर्ग के बाल श्रमिकों को औपचारिक शिक्षा तंत्र के अन्तर्गत लाने और 5 से 8 वर्ष आयु वर्ग के बाल श्रमिकों को सीधे ही सर्वशिक्षा अभियान से जोड़ा जायेगा। इसके अतिरिक्त इस संशोधित योजना में अन्य घटकों जैसे स्वास्थ्य जांच, पोषण की जरूरतें और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि को मजबूत किया जायेगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना के 250 करोड़ रुपए की तुलना में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन कार्यों के लिए 602 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है।

श्रम मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता योजना के अन्तर्गत बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए रहे प्रोजेक्ट की लागत का 75 प्रतिशत सहायता मंत्रालय द्वारा दी जाती है। वर्ष 2004–05 के दौरान इस योजना में लगभग 87 स्वयं सेवी संस्थाओं को कवर किया गया है।

बाल-श्रमिकों की स्थिति, समस्या और समाधान

अखिलेश आर्येन्दु

भारत में बाल–श्रमिकों की संख्या तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी लाखों में है। केन्द्र और राज्य सरकारों की तमाम बाल–श्रमिक उन्मूलन करने की कोशिशों से बाल–श्रम रूका जरूर है, लेकिन अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। संविधान की धाराओं (अनुच्छेद 24 व 39) में बाल–श्रमिकों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। सरकार बाल श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाए हुए है, इससे बाल श्रमिकां के पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।

आजादी के बाद देश में बाल–श्रम उन्मूलन की दिशा में कई कदम उठाए गए। सरकार ने 1986 में बाल–श्रम प्रतिबंधित अधिनियम लागू किया। केन्द्र सरकार ने राज्यों को संविधान की धाराओं के तहत बाल–श्रम उन्मूलन उनके जीवन स्तर को सुधारने और पुनर्वास के निर्देश दिए। राज्य सरकारों ने इन दिशा निर्देशों का कितना पालन किया यह इससे साबित होता है कि अभी भी करोड़ों की तादाद में देश के विभिन प्रान्तों में बाल–श्रमिक कार्य कर रहे हैं।

बाल–श्रम की समस्या से निपटाने के लिए 1992 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत बाल–श्रमिकों को कार्यों से छुटकारा दिलाना था। लेकिन राज्य सरकारों का पूरा सहयोग न मिलने के कारण सभी बाल–श्रमिकों को शोषण और क्रूरता से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकी। 1991 के सरकारी आंकड़े के अनुसार 5–14 वर्ष के बीच बाल–श्रमिकों की संख्या 1.12 करोड़ थी। इनमें से 90 प्रतिशत बाल–श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ये बाल–श्रमिक मुख्य रूप से खेतिहर मजदूर, भट्ठों पर काम करने वाले और घरों में बंधुआ मजदूर के रूप में रहते हैं। इनमें से शत–प्रतिशत बच्चे निरक्षर या नाम मात्र के पढ़े–लिखे हैं। इनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरत की चीजों से दूर–दूर तक का नाता नहीं है। बहुत से बाल मजदूरों की स्थिति पालतू कुत्तों से भी बदतर है। इनसे 8 से 18 घंटे तक पशुओं जैसा काम लिया जाता है और वेतन या दिहाड़ी के नाम पर 10 या 15 रुपए से अधिक नही दिया जाता। लड़कियों को तो लड़कों से भी अधिक कार्य लिया जाता है और रात में केवल कुछ सूखी रोटियां भूख मिटाने के लिए दी जाती हैं।

देश में सबसे अधिक बाल मजदूर आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश में हैं। ये बाल मजदूर अधिकतर 8 से 16 वर्ष के बीच के हैं।

ये बाल मजदूर ऐसे गरीब और मजबूर परिवार के हैं जो कमाकर पूरे परिवार का खर्च चलाते हैं। सरकार बाल मजदूरी खत्म करने के लिए कारगर कदम तो उठा रही है लेकिन इन बाल मजदूरों का काम छूटने के बाद इनके घर का खर्च कैसे चलेगा, इसपर सरकार मौन है। पिछले वर्षों में जिन बाल–श्रमिकों को उद्योगों, खेतों, भट्ठों और होटलों से हटाया गया उनमें से अधिकांश का पुनर्वास नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कारगर कदम उठाना चाहिए।

पिछले पांच वर्षों में केन्द्र और राज्य सरकारों ने बाल श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2000 में खतरनाक कामों और बाल शोषण रोकने के लिए क्षेत्र आधारित कार्यक्रम का प्रारम्भ किया था, जिसके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। सरकार के अलावा बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी और बाल शोषण के खिलाफ देश में अनेक संस्थाए और संगठन कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूर–दराज के गांवों, कस्बों और शहरों में बड़ी तादाद में जो बाल श्रमिक लगे हुए हैं उनके तक, इनकी (स्वयंसेवी संस्थाओं की) पहुंच नहीं हो पाई है। इसलिए बाल–श्रमिकों की सही तादाद के बारे में बता पाना मुश्किल है। सरकार व स्वयं सेवी संस्थाओं की सक्रियता से इस दिशा में सार्थक परिणाम आने की आशा की जानी चाहिए।

बाल–श्रमिकों की बेहतरी के बारे में सार्थक कदम 1995 में 'दिल्ली घोषणा–पत्र' के माध्यम से उठया गया। भारत सरकार द्वारा आमंत्रित गुट निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों के श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 19 से 23 जनवरी 1995 में ऐसे वक्त पर सम्पन्न हुआ जब संयुक्त–राष्ट्र संघ अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा था। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय श्रम–संगठन 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। ऐसे मौके पर बाल–श्रम पर विस्तार से गंभीर चर्चा की गई और बाल–श्रमिकों की बदतर स्थिति, उनका रहन–सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उनकी बेहतरी के बारे में सार्थक कदम उठाने पर जोर दिया गया, जिसे–'दिल्ली घोषणा–पत्र' में विस्तार से चर्चा की गई। इसमें कहा गया कि बाल–श्रमिकों की स्थिति का पता लगाकर उनकी बेहतरी के बारे में कदम उठाए जाने चाहिए। इसके लिए निम्न उपाय करना जरूरी है:–

- यदि पहले बाल–श्रमिकों की वास्तविक जानकारी के लिए सर्वेक्षण न किया गया तो, बाल–श्रमिकों की स्थिति (संख्या) के बारे में पता लगाया जाना चाहिए।
- तत्काल खतरनाक नियोजनों से निर्धारित अवधि में बाल–श्रमिकों को हटाया जाना चाहिए। धीरे–धीरे इन्हें हर नियाजनों से हटाने की योजना बनाई जाए।
- बाल–श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित कर वहां ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे यहां से शिक्षा प्राप्त किए बच्चे औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा में प्रवेश पा सकें।
- काम से हटाकर शिक्षण में लाए गए बच्चों के माता–पिता की पहचान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। ऐसे माता–पिताओं को ऐसे कार्य सिखाए जाएं जिससे वे स्वरोजगार या मजदूरी करके परिवार का पालन कर सकें। इसके साथ–ही–साथ उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से भी सहयोग दी जाए।
- नियोजनों से बच्चों को हटाकर शैक्षिक–संस्थानों में रखा जाए और उसके लिए विशेष निवेश किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाए।
- बाल–श्रमिकों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की संगत धाराओं को सख्त कर दिया जाए, साथ ही उनका कार्यान्वयन कड़ाई से किया जाए।
- गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिससे बाल–श्रम उन्मूलन की परियोजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण हो सके।
- जहां एक से अधिक सरकारी एजेन्सियां बच्चों से संबंधित कार्यक्रम चला रही हो, वहां उन सेवाओं और कार्यक्रमों में तालमेल बिठाया जाए, जिससे बालश्रम समाप्त करने की त्वरित कार्रवाई हो सके।

बाल मजदूरों से संबंधित कानून

बच्चों से काम कराने की समस्या कुछ वर्षों की नहीं है। आजादी के पहले अंग्रेजी शासन के दौरान ग्रामीण इलाकों के हजारों बच्चे खेतिहर मजदूर और विभिन्न उद्योगों में काम करते थे। उस समय पहली बार 1881 में अंग्रेज सरकार ने मजदूरों के लिए गठित "राजकीय श्रम आयोग" (जिसे विह्टले आयोग कहा जाता है) बनाया गया था। इसमें भारतीय उद्योगों में बाल–श्रमिकों के व्यापक इस्तेमाल को एक बुराई के रूप में चिन्हित किया गया था। अंग्रेजी शासन ने 1946 में बच्चों को उद्योगों में लगाना गैर–कानूनी माना। 1901 में खदान अधिनियम बनाकर 12 वर्ष की उम्र से नीचे काम करने वाले बच्चों से काम लेना गैर–कानूनी घोषित किया गया। शिशु श्रम से सम्बंधित अधिनियम 1933 में बनाया गया। आजादी के बाद स्वतंत्र भारत में कारखाना अधिनियम (बच्चों 10 से 18 उम्र के बीच) 1948 में बनाया गया। इसके तहत बच्चों को घातक मशीनों पर काम करने की मनाही की गई। खदान–अधिनियम 1952। इसमें खदान में काम करने के लिए 18 वर्ष की आयु वाला होना आवश्यक बताया गया। अन्तर्राज्य विस्थापित अधिनियम 1980 व बाल–श्रमिक अधिनियम 1983 बनाया गया।

संविधान के अनुच्छेद 39 में "राष्ट्रीय बाल नीति" का प्रारूप मिलता है। इसमें कहा गया है,– "बच्चे राष्ट्र की सर्वोच्च महत्वपूर्ण सम्पत्ति हैं। उनकी देखभाल करना और उनके बारे में सोचना–समझना हमारी जिम्मेदारी है।

बाल–नीति दस्तावेज के नीति एवं उपाय के अनुच्छेद 4 में कहा गया है–"राष्ट्र 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उचित उपाय करेगा। साथ ही राष्ट्र के आर्थिक स्त्रोतों के अनुरूप इस कार्य के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाएगा।

नीति एवं उपायों के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि: "जो बच्चे विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं, उनकी आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा के दूसरे तरीकों का विकास करना चाहिए।

अनुच्छेद 8 के अनुसारः "बेहाल सामाजिक परिस्थिति में रहने वाले, अपराधी बन चुके, भिखारी बनने के लिए मजदूर तथा विभिन्न अन्य परेशानियों में ज़िन्दगी गुजार रहे बच्चों को शिक्षण, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास दिलाया जाएगा तथा उन्हें देश के समक्ष नागरिक बनने के लिए मदद की जाएगी।"

अनुच्छेद 9 एवं 10 में कहा गया : "बच्चों की उपेक्षा क्रूरता और शोषण (जुल्म) से बचाने के लिए संरक्षण दिया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को जोखिम वाले या खतरनाक कामों में नियुक्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारी काम में लगाना भी अपराध माना जाएगा।

बाल–नीति के अन्तर्गत 'बाल श्रम निषेध अधिनियम' में बाल–श्रमिकों के काम की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस अधिनियम के भाग तीन अनुच्छेद 7 में कहा गया है– "काम के घंटे व अवधि में बच्चे से किसी संस्थान में उतने घंटों से अधिक काम करने की अपेक्षा नही की जाएगी जो ऐसे संस्थानों के लिए तय किए जाएं।

(स्वतंत्र पत्रकार)

बाल श्रमिकों में अशिक्षा की समस्या

नीरज दूबे और तृप्ति दूबे

बाल श्रम का अस्तित्व एक विश्वव्यापी परिघटना है। विकसित देश हों अथवा विकासशील या गरीब सभी बाल श्रमिक समस्या से जूझ रहे हैं। लाखों बच्चे ऐसे पेशों वे उद्योग में लगे हैं जो जोखिम भरे, खतरनाक व शोषणकारी हैं तथा उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य में रुकावटें पैदा करके उनके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार सन् 2000 में विश्व जनसंख्या का 25 प्रतिशत बच्चे थे, जिनमें से 40 प्रतिशत बच्चे 15 वर्ष से कम आयु के बाल श्रमिक हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 4.44 मिलियन बाल श्रमिक भारत में हैं, जो संसार में सबसे ज्यादा हैं। मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार मध्यप्रदेश में 19 लाख बालक व किशोर स्कूल जाने से वंचित हैं। जिनमें से पूरे नहीं तो भी अधिसंख्या बच्चों के कहीं न कहीं बालश्रम में लगे होने के अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, घर में अथवा घर से बाहर, वैतनिक अथवा अवैतनिक।

वर्तमान में 180 मिलियन बालक कठिनतम प्रकार के बालश्रम में तल्लीन हैं। संसार भर में 20 मिलियन 5 से 14 वर्ष के बच्चे पूरे समय वैतनिक रूप से कार्य करते हैं।

भारत में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के ताजा प्रतिवेदन के अनुसार देश में 33 करोड़ बच्चों में से 6 करोड़ बच्चों से अधिक बाल श्रमिकों के रूप में विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है।

चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अनुमान के अनुसार 100 मिलियन बाल–श्रमिक भारत में है। जबकि सहगल आंकलन के अनुसार यह संख्या 140 मिलियन है। इसी क्रम में उल्लेखनीय तथ्य है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर कराए गए सर्वेक्षण के संदर्भ में भारत के श्रम मंत्री ने स्वीकार किया कि राज्य सरकारों ने 4,81,698 बालश्रमिकों की पहचान की है, जो कि ग्रामीण, शहरी व अल्प शहरी क्षेत्रों में खतरनाक गतिविधियों में कार्यरत हैं। आंकड़ों की भाषा में कहें तो देश के 90 फीसदी बाल श्रमिक गांव में है। बालश्रम के कारण–भारत में बालश्रम के बारे में सामान्य दृष्टिकोण "गरीब का बच्चा काम करेगा ही" बाल श्रमिकों के लिए उर्वरक भूमि उपलब्ध कराता है, वहीं अन्य कारण, यथा–बेघर व अनाश्रितता, गरीबी, अभिभावकों के निजी स्वार्थ, अशिक्षा एवं अज्ञानता, जाति व्यवस्था, खेतिहर व्यवस्था का टूटना, बालश्रमिकों में नशे व अपराध की वृत्ति, श्रम कानूनों का लचीलापन आदि बालश्रम करने हेतु उत्साहित करते हैं। जिनमें अशिक्षा के बारे मे यह अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य तथा क्षेत्र

प्रस्तुत शोध बाल श्रमिकों का अध्ययन व्यावहारिक उद्देश्य के अंतर्गत करता है, जिसमें मध्य प्रदेश के रायसेन (जिला मुख्यालय), गौहरगंज व बरेली से 100–100 बालश्रमिकों का चयन किया गया है, वहीं बालश्रमिकों के जीवन के अभिन्न अंग उनके अभिभावकों में से 150 अभिभावकों (प्रत्येक तहसील से 50) तथा कुल 100 नियोजकों को भी अध्ययन में शामिल किया गया है ताकि बाल श्रमिक की व्यथा को प्रत्येक दृष्टि से जाना जा सके। ज्ञातव्य हो कि रायसेन जिला मध्यप्रदेश में सर्वाधिक बाल श्रमिक वाले जिलों में दूसरा स्थान रखता है।

बालश्रमिक की शिक्षा के प्रति रुचि, अरुचि के कारण, पालकों का बाल–श्रमिकों की शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण व अरुचि के कारण जानना तथा नियोजकों द्वारा काम के साथ शिक्षा जैसी सुविधाओं पर क्या रवैया अपनाया जाता है और क्यों? अशिक्षा के अभाव में बाल श्रमिक के जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव तथा बालश्रमिक की शिक्षा हेतु उचित उपायों की तलाश करना अध्ययन के उद्देश्य है।

स्कूली शिक्षा को बालश्रम के खिलाफ तात्कालिक संघर्ष का सशक्त हथियार माने जाने के बावजूद यह तथ्य है कि सार्वभौम शिक्षा लागू नहीं की जा रही है। भारत में 40 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण अभी भी निरक्षर हैं। कई राज्यों में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत 70 तक है, वहीं गांवों के 90 प्रतिशत बच्चें दसवीं की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, 50 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे 5वीं कक्षा से पहले ही स्कूल छोड़ जाते हैं। यूनिसेफ के सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक स्कूल की पांचवी कक्षा तक पढ़ते बच्चों का प्रतिशत 60 है, जिनमें कुल बालकों में 59 प्रतिशत तथा बालिकाओं में 39 प्रतिशत शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। 2001 में भारत की साक्षरता पर 65.38 थी।

भारत की स्थिति तकनीकी मानव शक्ति व प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से अन्य कई विकासशील देशों की अपेक्षा बहुत अच्छी है, किंतु फिर भी भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई, खासतौर पर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। भारत द्वारा शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मात्र 3.4 प्रतिशत व्यय किया जाता है, जो भारत की वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों व जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है। शिक्षा गरीबी मिटाने की कुंजी है– इस सोच के तहत अन्य देशों ने अपनी समस्त निर्धन दशाओं के बावजूद दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के प्रति सकारात्मक कदम उठाए, यथा–जापान ने 1972 में अनिवार्य शिक्षा लागू की वहीं उत्तरी कोरिया, चीन ने गरीबी के बावजूद द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

लागू की, परिणामस्वरूप उल्लेखनीय रूप से यहां बाल–श्रम में कमी दर्ज की गई।

मध्यप्रदेश में 1991 से 2001 के दरम्यान जिन जिलों में सर्वाधिक साक्षरता दर वृद्धि दर्ज की गई, उनमें रायसेन जिले को प्रथम स्थान है। संपूर्ण मध्यप्रदेश में महिला साक्षरता वृद्धि वाला दूसरा जिला रायसेन है वहीं म.प्र. में सर्वाधिक बाल श्रमिक वाले जिलों में इसे दूसरा स्थान प्राप्त है।

रायसेन तहसील में कुल साक्षरता दर 78.3 है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 68.7 व नगरीय क्षेत्रों में 78.3 है वहीं गौहरगंज में कुल साक्षरता दर 69.1 है। जिसमें ग्रामीण साक्षरता दर 64.8 व नगरीय 78.1 है। बरेली में कुल साक्षरता दर 72.7 है, ग्रामीण में 71.3 व नगरीय 77.8 है।

तालिका

बाल श्रमिकों की शिक्षा का स्तर

क्रं.	बालश्रमिकों की शिक्षा की स्तर	संख्या	नगरीय
1.	निरक्षर	176	58.66
2.	साक्षर	3	1.00
3.	प्राथमिक	114	38.00
4.	माध्यमिक	7	2.33
	योग	300	100(99.99)

उपर्युक्त तालिका उत्तरदाता बालश्रमिकों की शिक्षावस्था स्पष्ट कर रही है, जिसके अनुसार 176 अर्थात 58.66 प्रतिशत बालश्रमिक पूर्ण रूप से निरक्षर हैं वही तीन अर्थात 1 प्रतिशत बालश्रमिक साक्षर हैं अर्थात स्कूल नहीं जाते पर अपने दस्तखत कर लेते हैं और थोड़ा पढ़ सकते हैं, लिख नहीं सकते। 114 बालक प्राथमिक कक्षाओं (1 से 5) में अध्ययनरत हैं या रहे हैं वहीं 7 प्रतिशत बाल श्रमिक माध्यमिक कक्षाओं में नामांकित हैं।

कभी स्कूल न जाने वाले 176, साक्षर 3 व बीच में स्कूल छोड़ देने वाले 40 बच्चों को शामिल किया गया है जबकि शेष अध्ययनरत हैं अतः 81 बच्चों को शामिल नहीं किया जा रहा है। स्कूल न जाने वाले 219 बच्चों में से 195 ने स्कूल जाने में रुचि दिखाई कि यदि मौका मिला तो जरूर पढ़ेंगे, जबकि 24 बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते। पूछने पर कारण बताया–"वहां मार पड़ती है।" उनको बताने पर कि वहां दोपहर का खाना मिलेगा, कुछ ने कहा "खाना तो सिर्फ मेरे को मिलेगा, मेरे घर के दूसरे लोगों का क्या" अथवा मैं स्कूल जाऊंगा तो छोटे भाई–बहनों को कौन देखेगा" आदि कारण गिनाए।

150 अभिभावकों में से 118 का मानना है कि यदि परिवार में बच्चों के काम करने पर भी पर्याप्त हेतु आय उपलब्ध है तो अवश्य अपने बच्चों को शिक्षा के साधन उपलब्ध करायेंगे जबकि 32 पालक बच्चों की शिक्षा को किसी भी रूप में उपयोगी नहीं मानते

100 नियोक्ताओं से जिनके कार्यस्थल पर बालश्रमिक कार्यरत है, बालश्रमिकों की शिक्षा के प्रति प्रयास के बारे में जानकारी चाही गई तो मात्र 24 नियोक्ताओं ने माना कि पढ़ने से न केवल बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा, उनका देर रात तक इधर–उधर घूमना बंद हो जाएगा, जिससे उसके गलत संगत में पडकर बिगड़ने का भय भी कम हो जाएगा, जिसका नुकसान को भी उठाना पड़ता है। वहीं 76 नियोक्ता इस तरह की पहल करने हेतु अनिच्छुक हैं, कारण वे शिक्षा को बालश्रमिक हेतु अनुपयोगी व समय व्यर्थ करना चाहते हैं। जो 24 नियोक्ता बच्चों की पढ़ाई के प्रति इच्छुक हैं, उनमें भी अपेक्षित ठोस प्रयास का नितांत अभाव दिखाई दिया।

बाल श्रमिक की शिक्षा संबंधी सुझाव

बालश्रम से मुक्ति अचानक संभव नहीं हैं अतः सरकार गरीब परिवार के शिक्षार्थियों के लिये स्वयं ऐसे रोजगार की व्यवस्था करें, जिसमें शिक्षा व रोजगार साथ–साथ चल सके। एक व्यवस्था यह भी हो सकती है कि शालाओं में स्वैच्छिक रोजगार मूलक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाए, जहां प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की सहायता से उत्पादित वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त आय में से उन्हें उचित पारिश्रमिक प्राप्त हो, जिससे शिक्षोपरांत वे स्वरोजगार की योग्यता से भी पूर्ण हों। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन आदि पर इस प्रकार के प्रयोग किये जा सकते हैं।

भारत मे बाल–श्रमिक समस्या के निदान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1994 (सितम्बर) में राष्ट्रीय बालश्रम उन्मूलन प्राधिकार का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय श्रममंत्री हैं। केंद्र द्वारा उन क्षेत्रों में जहां किसी खास व्यवसाय अथवा उत्पादन प्रक्रिया में बाल श्रमिक बड़ी संख्या में कार्यरत हैं, उनके लिये विशेष विद्यालय खोले गए हैं। वर्ष 1989–90 में 5800 बच्चों के लिये 102 विशेष विद्यालय स्वीकृत किये गए। बिहार में 1994–95 में 190 विद्यालय स्वीकृत किये गये। बालश्रम उन्मूलन हेतु 1995–96 के दौरान कुल 6.54 रुपये का प्रावधान था जो 1996–2000 में 850 करोड़ होने की संभावना है। इसके अलावा भी सरकार द्वारा विभिन्न पुनर्वास बाल श्रमिक योजनाएं, प्रशिक्षण योजनाएं लगातार लागू की जा रही हैं, वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं भी निरंतर प्रयासरत हैं। चूंकि बालश्रमिक शालाओं व प्रशिक्षण शालाओं की उपयोगिता अब प्रमाणित हो चुकी है, अतः इनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जाए तथा औद्योगिक परिसरों में, जहां श्रमिक वर्ग की रिहाइश हो, बच्चों की शिक्षा अनिवार्य की जाए।

जिला, तहसील व ग्रामीण स्तर पर बच्चों को स्कूल भेजने वाले संदेशों का प्रचार प्रसार कार्यशालाओं व दूरसंचार के साधनों द्वारा किया जाए साथ ही बच्चों की शिक्षा के फायदे घर–घर पहुंच कर बताने का कार्य व पालकों व बच्चों के संशय

को दूर करने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाएं बखूबी निभा सकती है। शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षित अभिभावक ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पालकों को रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में आने के लिये प्रेरित किया जाए, जिसके लिये इन केन्द्रों में उनके लिये पढ़ाई के अतिरिक्ति भी कुछ ऐसा आकर्षण अवश्य हो, जो उन्हें आने हेतु प्रोत्साहित करे, यथा – उनके पेशे व रोजगार से संबंधित जानकारियाँ, उनके जीवन को सरल व सुखद बनाने हेतु आवश्यक स्वास्थ्य व अन्य जीवनोपयोगी जानकारियाँ आदि प्रदान करना एक आकर्षण हो सकता है।

जैसा कि अध्ययन के दौरान पाया गया बच्चे स्कूल में मार व पक्षपात को स्कूल न जाने का प्रमुख कारण बताते हैं और अध्ययन के दौरान स्कूलों में कुछ शिक्षकों का कर्कश रवैया उनकी बात की प्रत्यक्ष गवाही थी, अतः आवश्यक है कि खासतौर से प्राथमिक शाला के शिक्षकों को अध्यापन की शिक्षा के साथ–साथ बच्चों के प्रति सहिष्णुता, विनम्रता व अशिक्षित परिवारों से आनेवाले गरीब, शोषित बच्चों के प्रति कृपापूर्ण व्यवहार की शिक्षा भी अवश्य देनी चाहिए, जो स्कूल में बच्चों के नामांकन की ही नहीं बल्कि स्कूल में बच्चों की स्थिरता की भी एक आवश्यक शर्त है, तभी ड्राप–आउट पर नियंत्रण पाना संभव है।

रोजगार की तलाश में स्थान बदलने वाले घुमंतू श्रमिकों के बच्चे स्थायित्व के अभाव में शाला जाने से वंचित रह जाते हैं अतः ऐसे आवासीय निःशुल्क स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए, जिनमें ऐसे अभिभावक अपने बच्चों को छोड़ सकें, जिससे घुमंतू परिवार के बच्चों को उचित शिक्षा का मार्ग प्रशस्त होगा।

निष्कर्ष

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि बाल–श्रमिक की विभीषिका कागजी आंकड़ों की तुलना में कई गुना व्यापक है। सरकारी प्रयासों में कमी नहीं है न कानून कमजोर है, कमजोर पक्ष है प्रयासों व कानूनों का क्रियान्वयन। श्रम निरीक्षक नियोजकों से लाभ लेकर बाल–श्रमिकों की सही संख्या दर्ज नही करते।

दोपहर के भोजन की व्यवस्था सरकार की बेहद सफल योजना है, इससे बच्चों में शाला जाने का आकर्षण कई गुना बढ़ा है किंतु स्कूलों में खाद्यान्न के भण्डारण की अपर्याप्त व्यवस्था, पकाने के अस्वास्थ्यकर तरीके इसके महत्व को कम कर देते हैं अतः इस प्रकार की अव्यवस्थाओं को दूर करने हेतु विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

अध्यापकों का दृष्टिकोण गरीब परिवारों के बच्चों के प्रति सकारात्मक हो व व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण निश्चित ही यह एक संवेदनशील मुद्दा है कि गरीब बच्चों को स्कूल में उपयुक्त वातावरण मिले, जो स्कूल के प्रति उसके मन में उल्लास का कारण बने, न कि भय का, अन्यथा औपचारिक शिक्षा में व्यवधान से उपजा गतिरोध आगे चलकर स्थाई रूप से बच्चों को शिक्षा से दूर कर देता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बालश्रमिक प्राथमिक स्तर की शिक्षा की भी यदि ईमानदारी से प्राप्त कर सकें तो कानून व मालिकों से निपटने के मामले में आत्मनिर्भर होकर कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पढ़–समझकर उनका उचित उपयोग कर सकते हैं। उचित/अनुचित, पोषण/शोषण, हिसाब–किताब का मर्म समझ सकते हैं, नियोक्ता द्वारा दी गई मजदूरी का हिसाब–किताब स्वयं रखकर आर्थिक शोषण से बच सकते हैं। अंत में बाल श्रमिक की शिक्षा हेतु आवश्यक है कि जनमानस की इस सोच को हटाया जाए कि "गरीब का बच्चा है, तो काम तो करेगा ही"। बिना जन जागृति, जन–सहयोग व जन क्रांति के समस्या का समाधान संभव नहीं।

(लेखक शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बरेली में समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष हैं)

अमर बलिदानी !

भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जिन्हें 23 मार्च, 1931 को ब्रिटिश शासकों ने लाहौर जेल में फांसी दे दी थी।
इनका साहस और देशभक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।

राष्ट्र इन शहीदों की हिम्मत और त्याग के लिए इन्हें सलाम करता है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

davp 2005/1481
KH-05/06/02

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

नवीन पंत

पिछले वर्ष वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम ने नगरों और गांवों की खाई को पाटने के लिए ग्रामीण विकास की एक महत्वाकांक्षी योजना "भारत निर्माण" की घोषणा की थी। इस योजना पर चार वर्ष के दौरान ग्रामीण भारत का स्वरूप बदलने और वहां बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1 लाख 74 करोड़ रु. खर्च किए जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन इस योजना का हिस्सा है। यह योजना 2005–12 वर्षों के दौरान कार्यान्वित की जाएगी। योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों, औरतों और बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

अच्छा स्वास्थ्य आर्थिक विकास की गति तेज करने और गरीबी हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस समय स्वास्थ्य क्षेत्र पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 0.9 प्रतिशत खर्च किया जाता है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 2 से 3 प्रतिशत कर देने के लिए वचनबद्ध है।

देश में सर्वत्र स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता बराबर नहीं है। देश के 18 राज्यों में, जिनमें आठ हिन्दी भाषी राज्य शामिल हैं, स्थिति विशेष रूप से असंतोषजनक है। मिशन के कार्यक्रम के अंतर्गत इन राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बढाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसी के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता के असंतुलन को दूर किया जाएगा, साधनों का एकीकरण किया जाएगा, स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को अधिक उपयोगी और कार्यक्षम बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य रक्षा के लिए गांवों में प्रचलित आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणालियों का भी पूरा उपयोग किया जाएगा।

गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा की राष्ट्रीय योजना शुरू की जाएगी। सभी संक्रामक (छूत की) बीमारियों की रोकथाम के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा और उनमें सरकारी निवेश बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य जन शक्ति का भरपूर उपयोग किया जाएगा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा और उनके संचालन–प्रबंध में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों (सरपंच) को शामिल किया जाएगा।

मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम संबंधी चेतना फैलाने और सुविधा प्रदान करने के साथ मलेरिया, अंधता, आयोडीन की कमी, फाइलेरिया, काला अजर, तपेदिक, कुष्ठ रोग की रोकथाम के भी उपाय करेगा। सभी तरह के रोगों पर नजर रखने की भी व्यवस्था की जाएगी। घर और पास पड़ोस की सफाई, पोषाहार, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन और शुद्ध पीने के पानी की उपलब्धता अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। मिशन इस सबसे ग्राम निवासियों को परिचित करा रहा है।

स्वास्थ्य के अन्तर्गत जन स्वास्थ्य और चिकित्सा दो अलग विषय हैं। जन स्वास्थ्य का अर्थ आम जनता की बीमारियों से रक्षा करना है, लोग बीमार ही न पड़ें इसकी व्यवस्था करना है। यह सब आम जनता को शुद्ध पीने का पानी और खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा कर किया जा सकता है। केन्द्र सरकार स्वजलधारा के अन्तर्गत 74 हजार गांवों को, जहां यह सुविधा नहीं है, शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है। कचरे का निपटान, गन्दे पानी की निकासी की व्यवस्था और गांवों में नालियों और खड़ंजों के निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। सरकार स्वच्छ शौचालयों के निर्माण के लिए उदार आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।

इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वत्र बीमारियों की रोकथाम और उपचार की व्यवस्था नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने देश के सभी गांवों में मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता, 'आशा' नियुक्त करने की व्यवस्था की है। गांव स्तर पर कार्यकर्ती आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों और इस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों की सहायता करेंगी। इनका मुख्य काम संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए लोगों को प्रतिरक्षण प्रदान करना अथवा टीका लगाना, सुरक्षित निरापद प्रसव की व्यवस्था करना, जच्चा–बच्चा की देखभाल, पानी से फैलने वाले और अन्य संक्रामक रोगों की रोकथाम करना और जनता को पोषाहार और सफाई के महत्व से परिचित कराना है।

सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ती का चयन पंचायत द्वारा किया जा रहा है और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होगी। वह समाज और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के बीच सम्पर्क का कार्य करती है। राज्यों को इस बात की अनुमति है कि वे राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने लिए माडल चुनें।

'आशा' को नियमित वेतन नहीं, उसके द्वारा प्रतिरक्षण, स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा के क्षेत्र में किए गए अन्य कार्यों के आधार पर मानदेय दिया जाएगा। उसे वर्ष में 23 दिन का जन स्वास्थ्य कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जनता के साथ घनिष्ठ सहयोग में कार्य करे। वह आंगनवाडी कार्यकर्ती के साथ मिलकर गांव की स्वास्थ्य योजना तैयार करेगी। वह अन्य विभागों, स्वावलम्बी गुटों के सदस्यों और पंचायत की स्वास्थ्य समिति के सदस्यों की सहायता लेगी। उसे दवाओं का एक बक्सा दिया जाएगा जिसमें आम बीमारियों की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाएं होंगी। समय–समय पर बक्से के लिए नई दवाओं की आपूर्ति और पुरानी दवाओं की प्रतिपूर्ति की जाती रहेगी।

सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों को अधिक कुशल, कारगर और उपयोगी बनाने के लिए भी कुछ

कदम उठाए हैं। प्रत्येक उप केन्द्र को वर्ष भर स्थानीय कार्रवाई के लिए 10 हजार रुपये दिए जाएंगे। यह निधि एएनएम और सरपंच के नाम संयुक्त खाते में जमा कर दी जाएगी। एएनएम गांव की स्वास्थ्य समिति की सलाह से इस धन को खर्च करेगा। उप–केन्द्र को नियमित रूप से एलोपैथिक और आयुष दवाएं आपूर्ति की जाएंगी।

'प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पर्याप्त मात्रा में और नियमित रूप से आवश्यक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की जाएगी। इस बात का पूरा प्रयास किया जाएगा कि कम से कम 50: प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध रहें। इसी के साथ आवश्यकता समझे जाने पर अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक और डाक्टर की नियुक्ति करने, वहां संक्रामक और नए असंक्रामक रोगों के उपचार की व्यवस्था करने पर विचार किया जा सकता है।

सरकार 3,222 वर्तमान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (30–50 शैया) का स्तर उठा कर वहां ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को भर्ती करने की सुविधा प्रदान कर रही है। इन केन्द्रों पर एक निश्चेतक (बेहोश करने वाला यानी क्लोरोफार्म देने वाला डाक्टर) भी नियुक्त किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर बुनियादी सुविधाओं, कर्मचारियों, उपकरणों की वृद्धि की जा रही है और उनके प्रबंध में सुधार लाया जा रहा है। केन्द्रों के प्रबंध में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रोगी कल्याण समितियां गठित की जा रही है।

मिशन भारत सरकार और राज्यों के संयुक्त प्रयास का नतीजा है। मिशन को वित्तीय और तकनीकी समर्थन भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है, उसका कार्यान्वयन पूरी तरह राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिलावार/राज्य की स्वास्थ्य योजना तैयार करें और केन्द्र सरकार से उनका अनुमोदन करा लें।

मिशन के काम में काफी प्रगति हुई है। 28 राज्यों में राज्य स्वास्थ्य मिशन और 23 राज्यों में जिला स्वास्थ्य मिशन स्थापित किए जा चुके हैं। जन स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़े 18 में से 15 राज्यों में मिशन का काम शुरू किया जा चुका है। भारत सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभागों का विलय कर दिया गया है और आशा है कि राज्यों में भी कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

मिशन का उद्देश्य ग्रामीण जनता के रहन–सहन, खान–पान में सुधार लाकर स्वास्थ्य और सबल ग्रामीण समाज का निर्माण करना है। इसी के साथ उन्हें सामान्य बीमारियों के लिए घर के पास उपचार उपलब्ध कराना और जटिल बीमारियों में समीपस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या जिला अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना है।

जनसंख्या वृद्धि देश की ज्वलंत समस्या है। मिशन का मानना है कि बाल मृत्यु दर और प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाकर, महिला शिक्षा का प्रचार करके और महिलाओं का सशक्तीकरण करके जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान किया जा सकता है। पिछले वर्षों के दौरान इस दिशा में किए गए कार्य के परिणामस्वरूप शिशु मृत्यु दर घट कर 30/1000 जन्म रह गई है। प्रसव के दौरान गर्भवती औरतों की मृत्यु संख्या 100/100,000 रह गई है। सकल जनन क्षमता दर घट कर 2.1: रह गई है। देश के दस राज्यों में 10 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्तियों की नियुक्ति की जा चुकी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ने 15 राज्यों में काम शुरू कर दिया है। धीरे–धीरे चरणबद्ध रूप से यह अगले छह वर्षों के दौरान समस्त देश में काम करना शुरू कर देगा। मिशन के काम में कालान्तर में स्वास्थ्य ग्रामीण समाज का निर्माण होगा, ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन और सुख समृद्धि बढ़ेगी एवं उपचार के अभाव किसी की जान नहीं जाएगी।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

सदस्यता कूपन

मैं/हम कुरुक्षेत्र का नियमित ग्राहक बनना चाहता हूं/चाहती हूं/चाहते हैं।

शुल्क : एक वर्ष के लिए 70 रुपये, दो वर्ष के लिए 135 रुपये, तीन वर्ष के लिए 190 रुपये का (जो लागू नहीं होता, उसे कृपया काट दें)

डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर क्रमांक .... दिनांक .... संलग्न है।

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

पता ....

.... पिन ....

इस कूपन को काटिए और शुल्क सहित इस पते पर भेजिए :

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक

प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड–4, तल–7, रामकृष्णपुरम,

नई दिल्ली–110 066

*कृपया ध्यान रखें, आपका डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर **निदेशक, प्रकाशन विभाग** को नई दिल्ली में देय हो।*

'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' के परिप्रेक्ष्य में मीडिया का समेकित अभिगम : एक केस स्टडी

अमर नाथ जायसवाल

चाहे आजादी की मशाल जलाए रखने की बात हो या फिर समाज को स्वस्थ्य, शिक्षित, जागरूक या संगठित करने की बात हो मीडिया ने सदैव ही सुनहरा इतिहास रचा है। समाज को सचेत, जागरूक कर देश की सामाजिक, नैतिक एवं आर्थिक तस्वीर को आम जनमानस के पटल पर रखना मीडिया का परम दायित्व होता है। आधुनिक भागदौड़ की जिंदगी में अब लोग मीडिया को ही अपना सबसे करीबी दोस्त, हमदर्द और जागरूक पहरेदार पाते हैं। मीडिया विविध घटनाओं, समस्याओं और विचारों के सम्बन्ध में जनता को सूचना प्रदान करने का कार्य करते है और साधारणतया मीडिया में प्रदर्शित सूचनाओं और विचारों के आधार पर ही जन साधारण अपने विचारों का निर्माण करते हैं। मीडिया जनता की बात शासन और शासन सम्बन्धी तथ्यों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है।

मीडिया एवं सूचना क्रांति के युग में आज तरह–तरह के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है। अभी हाल ही में मीडिया का सफल प्रयोग जनपद कुशीनगर में आयोजित मल्टीमीडिया अभियान में देखने को मिला। जिसमें भारत सरकार की पांचों सूचना इकाइयों आकाशवाणी, दूरदर्शन, गीत एवं नाटक प्रभाग, प्रेस सूचना ब्यूरो (पी.आई.बी) और क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के द्वारा क्षेत्र में अपने–अपने संचार माध्यमों के द्वारा लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया वहीं भारत सरकार के द्वारा 15 अप्रैल, 2005 को लागू किये गये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों एवं क्रिया–कलापों से आम जनमानस को अवगत कराया।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन ने श्रव्य–दृश्य सामग्रियों का प्रयोग किया तो वहीं गीत एवं नाटक प्रभाग ने गीत–संगीत एवं नुक्कड़ नाटकों को हथियार के रूप में प्रयोग किया। साथ ही क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय ने आयोडीन, एड्स, सुरक्षित प्रसव, एनिमिया, टीकाकरण एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों पर मुद्रित सामाग्रियों के माध्यम से ग्रामीण जनता पर एक छाप छोड़ी।

16 से 21 जनवरी 2006 तक चले मल्टीमीडिया अभियान एवं स्वास्थ्य मेलों के तहत क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, भारत सरकार की पांच टीमें गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोण्डा एवं सुल्तानपुर के संयुक्त प्रयास से जनपद कुशीनगर में आयोजित के तहत कुशीनगर जनपद के तीन विकास खण्डों कसया, हाटा एवं रामकोला का चयन कर वहां की ग्रामीण स्वास्थ्य स्थिति का अवलोकन किया गया। मल्टीमीडिया के प्रयोग माध्यमों से तीनों विकास खण्डों के ग्रामीण समुदाय को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के निम्नलिखित लक्ष्यों से रू–ब–रू कराया गया।

- गांव में रहने वाले गरीब, महिलाओं, तथा बच्चों को उत्तम स्तर की स्वास्थ्य परिचर्या एवं आम जन को उत्तम स्वास्थ्य परिचर्या सुलभ कराना।
- पोषण तत्वों सफाई, स्वच्छता, पेयजल जैसे बेहतर स्वास्थ्य के नियामक तत्वों से स्वास्थ्य को सम्बद्ध कर एक सहक्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाना।
- शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- महिला स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य जल सफाई तथा स्वच्छता, प्रतिरक्षण और पोषण जैसी जन स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ बनाना।
- स्थानीय महामारियों सहित संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथम एवं नियंत्रण।
- एकीकृत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या की सुलभता।
- जनसंख्या स्थिरीकरण, लिंग और जन साख्यिकी संतुलन सुनिश्चित करना।
- स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं का जीर्णोद्धार और आयुष को मुख्यधारा का अंग बनाना।
- स्वास्थ्य जीवन शैलियों को बढ़ावा देना।

अलावा इसके मिशन के प्रमुख घटकों से भी परिचित कराया गया।

- प्रत्येक गांव में एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की तैनाती।
- पंचायत की स्वास्थ्य और सफाई समिति की अध्यक्षता में एक स्थानीय दल के माध्यम से एक स्वास्थ्य योजना का निर्माण।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत करना।

- कारगर नैदानिक परिचर्या के लिए ग्रामीण अस्पतालों को सुदृढ़ बनाना और।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों के जरिए उसे मूल्यांकन योग्य तथा सामुदाय के प्रति जवाबदेह बनाना।

'मल्टीमीडिया अभियान एवं स्वास्थ्य मेला' का समापन कुशीनगर जनपद मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बनवारी टोला नामक एवं छोटे से गांव में किया गया। समापन के अवसर पर संप्रेषण के सशक्त माध्यम कठपुतली का भी प्रयोग किया गया। गोरखपुर–बस्ती मण्डल स्तर पर ग्रामीण विकास के लिए कार्यरत स्वयंसेवी संस्था पूर्वांचल ग्रामीण सेवा समिति की कठपुतली टीम के द्वारा कठपुतली का जीवन्त प्रदर्शन किया गया। संस्था की कठपुतली टीम सम्पूर्ण पूर्वांचल में एक विशिष्ट पहचान रखती है। कठपुतली प्रदर्शन की सूचना कई दिनों पूर्व ही क्षेत्रवासियों को दे दी गयी थी। जिससे कठपुतली नाटक को देखने के लिए लगभग 6000 ग्रामीण जिसमें बच्चे, बुर्जुग, युवा, महिलाएं काफी दूरदूर के गांवों से पैदल चलकर सुबह से ही वहां इकट्ठा थें। कठपुतली टीम ने दो घन्टे की तैयारी के बाद अपना प्रदर्शन शुरू किया। सच्ची घटना पर आधारित नाटक के माध्यम से रंग बिरंगी कठपुतलियों को मार्च पर स्थानीय बोली भाषा में रुदन, हास्य एवं संवेदना पर आधारित सुगम एवं सुग्राहयता के द्वारा विराट जन समुदाय पर एक अमिट छाप छोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया।

सूचना क्रान्ति के इस युग में मीडिया का इस तरह का नव प्रयोग निःसंदेह ही ग्रामीण विकास के लिए लाभकारी होगा। सामाजिक क्षेत्र की समस्याओं के खिलाफ मीडिया को एक हथियार के रुप में प्रयोग कर सुसमाज की स्थापना की जा सकती है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, टी.वी. चैनल्स, दृश्य प्रचार निदेशालय एवं प्रिंट मीडिया का प्रयोग इस दिशा में सार्थक भूमिका निभा सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी पूरी करने की जरूरत
भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने देश के स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में खामियों को दूर करने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीमारियों की रोकथाम के अलावा स्वास्थ्य से जुड़े विषयों अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसंख्या विज्ञान और पर्यावरण जैसे विषयों में पेशेवर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन का शुभारंभ करते हुए डा. मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य प्रबंधन और बीमारियों की रोकथाम के क्षेत्र में पेशेवर लोगों का एक नया कॉडर विकसित करने पर जोर दिया।

स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी की चर्चा करते हुए डा. सिंह ने घोषणा की कि "यदि इन खामियों को दूर नहीं किया गया तो गरीबों के लिए बनाए गए कार्यक्रम गरीब कार्यक्रमों में तब्दील हो जाएंगे"। उन्होंने कहा "यदि हम देश के लोगों के ज्ञान और कौशल का विकास नहीं करते हैं और उनके स्वास्थ्य की रक्षा तथा इसे बढ़ावा देने के लिए सोद्देश्य कदम नहीं उठाते हैं तो हम इस बहुमूल्य मानव संसाधन को बर्बाद करने का जोखिम उठा रहे हैं"।

प्रधानमंत्री ने अच्छे स्वास्थ्य को देश के प्रत्येक नागरिक का अक्षुण्ण मानव अधिकार बताते हुए कहा कि दुनिया में खासकर विकासशील देशों में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक घटकों से मजबूती से संबद्ध हैं। उन्होंने कहा "इसलिए हमें वे ही कदम उठाने की जरूरत है जो इन घटकों के पारस्परिक संबंधों को समझते हो"।

प्रधानमंत्री ने फाउंडेशन से शिक्षा तथा अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में एक भारतीय एजेंडा विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा "कई उष्णकटिबंधीय बीमारियों में अभी भी अनुसंधान कार्य बहुत कम हुआ है और यह संस्थान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों के जरिए उष्णकटिबंधीय बीमारियों की रोकथाम के लिए नए हल तलाश सकता है"।

डा. सिंह ने देश के मेडिकल कॉलेजों में सामाजिक तथा रोकथाम संबंधी औषधि विभागों को फिर से सक्रिय और मजबूत बनाने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने देश के सभी वर्गों में स्वास्थ्य के बारे में जानकारी बढ़ाने, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यक्रम शुरू करने और समुदायों को अधिकार संपन्न बनाने के महत्व का भी उल्लेख किया। डा. सिंह ने कहा "भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन की स्थापना से सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों में सार्वजनिक–निजी भागीदारी का एक अभिनव मॉडल विकसित करने का अवसर मिला है"।

ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम
जीवन को बेहतर बनाने का अभियान

देवेन्द्र उपाध्याय

भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी आज भी गांवोंमें रहती है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम एवं परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलायी जाती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर कम होने की वजह से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के कार्य को बढ़ावा देने तथा गांववासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी है।

गांवों में स्वच्छता की पर्याप्त व्यवस्थाओं के अभाव में वहां पोलियो, टाइफाइड, अतिसार जैसी अनेक घातक बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। ग्रामीण आबादी को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने का कार्य 1986 में प्रारंभ हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पहल पर प्रौद्योगिकी मिशन नीति अपनायी गयी। इसके साथ ही केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। सन् 1999 में इसमें व्यापक सुधार कर इसे संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में विस्तार दिया गया। इस अभियान को आबंटन–आधारित पद्धति के स्थान पर मांग–जनित और समुदाय–आधारित कार्यक्रम बनाया गया।

अनुमान है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी बीमारियों से करीब तीन करोड़ लोग ग्रस्त रहते हैं जिसकी वजह से न केवल 18 करोड़ श्रम दिवसों की हानि होती है बल्कि 1200 करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति भी होती है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास के साथ स्वच्छता अभियान को भी जोड़ा गया है ताकि गांवों के लोग स्वच्छता की कमी की वजह से होने वाली बीमारियों से मुक्त हो सकें।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान में प्रत्येक जिले को एक इकाई मानते हुए घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण स्वच्छता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। सन् 2001 में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 22 प्रतिशत था जो फरवरी, 2006 में 38 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं योजना के आखिर तक शतप्रतिशत घरों में शौचालयों के निर्माण को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

फिलहाल यह कार्यक्रम 6240 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय से देश के 559 जिलों में चलाया जा रहा है। इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 3675 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 1424 करोड़ रुपए तथा समुदाय का हिस्सा 1141 करोड़ रुपए हैं। अब तक 2 करोड़ 5 लाख ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है जिसमें 1 करोड़ 35 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे के हैं। इसी योजना के अंतर्गत स्कूलों में 2 लाख 8 हजार शौचालय ब्लाकों का निर्माण किया गया है। वर्ष 2001–02 में ग्रामीण स्वच्छता के लिए 130 करोड़ रुपए रखा गया था, जो वर्ष 2005–06 में 700 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2006–07 में इसे बढ़ाकर 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

अप्रैल 2005 से फरवरी, 2006 तक 83 लाख, 14 हजार पारिवारिक शौचालय, 65 हजार स्कूल शौचालय, 23 हजार 23 आंगनवाड़ी शौचालय तक 2716 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया गया। वर्ष 2006–07 तक इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा ताकि भारत में खुले में शौच की प्रथा का अंत हो जाए। सभी ग्रामीण स्कूलों में भी जल आपूर्ति तथा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। इस कार्य को व्यापक बनाने तथा लक्ष्य को पूरा करने के लिए पारिवारिक शौचालय के लिए 1500 रूपए दिए जायेंगे। इसमें 20 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी का होगा।

घरों के बाद सभी विद्यालयों में भी शौचालय व्यवस्था अनिवार्य की जा रही है। हरियाणा और तमिलनाडु में यह कार्य पूरा हो चुका है। एक वर्ष के भीतर राज्यों के सभी विद्यालयों में पानी और शौचालय व्यवस्था पूरी हो जाने की उम्मीद है। इसमें 70 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार तथा शेष 30 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। ठोस एवं तरल कूड़ा करकट प्रबंध की व्यवस्था को गांवों में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। हर जिले में 50 लाख रुपए का रिवाल्विंग फंड बनाया जा रहा है जिससे स्व–सहायता समूह व दुग्ध सहकारी भी इसका लाभ उठा सकें। निश्चित रूप से यह कवरेज बढ़ाने में मददगार होगा।

संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता पंचायती राज संस्थाओं, समुदाय और गैर–सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 2003 से निर्मल ग्राम प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत उन पंचायत राज संस्थाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने संपूर्ण स्वच्छता कवरेज प्राप्त कर लिया है। पुरस्कार राशि आबादी के अनुसार ग्राम पंचायत के लिए 2 से 4 लाख रुपए, ब्लाक पंचायत समिति के लिए 10 से 20 लाख रुपए और जिला पंचायत के लिए 30 से 50 लाख रुपए हैं।

24 फरवरी, 2005 को राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने पहले राष्ट्रीय निर्मल ग्राम पुरस्कार 6 राज्यों की 40 पंचायती राज संस्थाओं को प्रदान किये। दूसरा राष्ट्रीय निर्मल ग्राम पुरस्कार 23 मार्च, 2006 को 18 राज्यों की 761 ग्राम पंचायतों और नौ ब्लाक पंचायतों को दिया गया। इन्हें 2 हजार 60 लाख रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम ने इस वर्ष पुरस्कार प्रदान करते हुए देश के विकास के लिए समाज के प्रत्येक क्षेत्र के लोगों से ईमानदारी का मूल मंत्र अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने मंत्रोच्चार करते हुए कहा– जब हृदय में ईमानदारी होती है तो चरित्र सौंदर्यवान बनता है और जब चरित्र सुंदर होता है तो घर में सौहार्द्र उत्पन्न होता है। जब घर में सौहार्द्र रहता है तो राष्ट्र में सुव्यवस्था होती है। जब राष्ट्र में सुव्यवस्था होती है तो पूरे विश्व में शांति कायम होती है। पंचायत प्रतिनिधियों ने उनके साथ इसका सामूहिक मंत्रोच्चार किया तो पूरा विज्ञान भवन गूंज उठा।

राष्ट्रपति ने संपूर्ण स्वच्छता अभियान को एक सुंदर अभियान बताते हुए कहा कि ग्राम पंचायतों और गैर–सरकारी संगठनों तथा नागरिक सहभागिता के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। ऐसे ही कार्यक्रमों से महात्मा गांधी का सपना पूरा हो सकता है।

सांसद निधि से 2 करोड़ रुपए की राशि ग्रामीण स्वच्छता अभियान के लिए खर्च करने पर आंध्र प्रदेश के राजा मुंदरी से सांसद अरूण कुमार बंदावल्ली को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा चार गैर–सरकारी संगठनों को पांच–पांच हजार रुपए नकद पुरस्कार, स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र दिये गये।

ग्रामीण विकास मंत्री श्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि शौचालय इकाइयों की लागत राशि में वृद्धि से ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में तेजी आयेगी। विद्यालयों और आंगनवाड़ियों में शौचालय खंडो के निर्माण की गति तेज करने के लिए अब समुदाय अंशदान को हटा दिया गया है। अब भारत सरकार इनके लिए इकाई लागत का 70 प्रतिशत निधि देगी तथा 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। ❁

सरकार पेशेगत सुरक्षा और स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय नीति तथा कानून

सरकार पेशेगत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य (ओएसएच) पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने के बारे में विचार कर रही है। इससे कानूनी कार्रवाई के लिए प्राथमिकताएं तय की जा सकेंगी। श्रम मंत्रालय द्वारा नीति पर बनाया गया दस्तावेज इस समय अंतर–मंत्रालयी परामर्श की प्रक्रिया से गुजर रह है। श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री श्री साहू ने कहा कि उनका मंत्रालय कार्यस्थलों पर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में भी एक आम कानून की व्यावहारिकता की जांच कर रही है। बनाया जाने वाला यह कानून बदलती जरूरतों के अनुरूप होगा और विभिन्न क्षेत्रों के अधिसंख्य कर्मचारियों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के बारे में न्यूनतम बुनियादी मानक उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि श्रम सचिव की अध्यक्षता में पेशेगत सुरक्षा तथा स्वास्थ्य पर एक कार्यदल का गठन किया गया है। इस कार्यदल में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा पेशेवर संस्थानों एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया हैं मंत्री महोदय ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन से प्राप्त निष्कर्ष इस कार्यदल के लिए काफी मददगार साबित होंगे। योजना आयोग द्वारा 11वीं योजना के लिए की जा रही तैयारियों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यकाल का गठन किया गया है।

कुल कर्मचारियों का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। इस क्षेत्र की चर्चा करते हुए श्री साहू ने कहा कि इस क्षेत्र में केवल कानून बनाने से सूरक्षा तथा स्वास्थ्य मानक लागू नहीं किए जा सकते। इसके लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं में जागरूकता लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के बाद सबसे ज्यादा कर्मचारी निर्माण क्षेत्र में हैं। इस क्षेत्र में दुर्घटना सबसे ज्यादा होती हैं। यहां नया सुरक्षा कानून अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। श्री साहू ने कहा कि राज्य सरकारों को भवन तथा अन्य निर्माण कर्मचारी अधिनियम के तहत नियमों का अंतिम रूप देने तथा इन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की सलाह दी गई है।

सबके लिए स्वास्थ्य – लोकप्रियता की ओर

रतन साल्दी

इस वर्ष के विश्व स्वास्थ्य दिवस की विषयवस्तु 'स्वास्थ्य के लिए मिलकर काम करें' स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की विश्वव्यापी कमी की ओर ध्यान आकर्षित करता है और स्वास्थ्य के लिए काम के मूल्य और सम्मान पर बल देता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाले उपक्रम पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने स्वास्थ्य संबंधी विषयों जैसे रोगप्रबंधन, जनसंख्या एवं पर्यावरण के लिए पेशेवर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देकर उनकी कमी को दूर करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गरीबों के लिए बनाए गए कार्यक्रम निरर्थक हो जाएंगे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

पिछले कई वर्षों से भारत विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संबंधित संगठनों के साथ मिलकर सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहा है। इसके बावजूद मंजिल अभी दूर है और राष्ट्रीय महत्व का यह कार्यक्रम अभी अपूर्ण है। डब्ल्यूएचओ के सहायक महानिदेशक डॉ टिम इवांस ने एक अधिकृत वक्तव्य में कहा है कि पेशेवर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी से सभी देश प्रभावित हैं। इसका परिणाम स्पष्ट है– अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं या स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं हैं या फिर अस्पतालों में दवाइयों और अन्य आवश्यक स्टाफ की कमी है। डॉ इवान्स ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की कमी के पीछे दशकों से इनकी शिक्षा, प्रशिक्षण, वेतन, कार्य संबंधी वातावरण और प्रबंधन ने निवेश की कमी होना है। वर्ष 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आम लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। नीति में सभी के लिए विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में अधिक निवेश और सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक स्थान पर उपलब्ध कराना और उनको आम आदमी के लिए उपयोगी बनाए जाने पर बल दिया गया है। मनमोहन सिंह सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्वास्थ्य के 8 कार्यक्रमों को लागू करने पर बल दिया गया है। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी तीन कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और पूर्ण सफाई अभियान इन 8 प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं। इस साल के बजट में इन कार्यक्रमों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आवंटन में 93 अरब 32 करोड़ रूपए की वृद्धि की गई है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को पिछले वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद के 0.9 प्रतिशत से बढ़ाकर अगले पांच वर्षों में 2 से 3 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना

केन्द्र और राज्यों की सभी सरकारों के लिए लोगों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार की धीमी गति चिंता का विषय रही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही सार्वजनिक स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास और कुछ खास बीमारियों पर जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 12 अप्रैल, 2005 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरूआत करते हुए स्वीकार किया कि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने में योजनाकारों ने बड़ी गल्तियां की हैं। इन वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदान करने के जो प्रादर्श निश्चित किए गए उनमें संसाधनों का अभाव बना रहा और लोगों की ऊर्जा भी बिखरी हुई रही। भारत गांवों में बसता है लेकिन ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। बहुत से गांवों में अभी भी स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी बड़ी भयावह है, और जो हैं भी उनमें डॉक्टरों और गैर–चिकित्सकीय स्टाफ और दवाइयों की कमी बनी हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की संख्या 1981 में कुल मिलाकर 57350 थी जो 2004 में बढ़कर 1,59,000 हो गई। इसके साथ ही इन 24 वर्षों के दौरान आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के डॉक्टरों की संख्या भी 2,68,700 से बढ़कर 6,25,000 हो गई है। जनसंख्या के आकार को देखते हुए देश में लोगों और डॉक्टरों तथा लोगों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बीच का अनुपात बेहद कम है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश की आबादी 1981 के 68 करोड़ से बढ़कर 2001 में 1 अरब 2 करोड़ 70 लाख हो गई।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन पिछले वर्ष अप्रैल में देश के ग्रामीण आबादी को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सात वर्षों के लिए शुरू किया गया था। मिशन में उन 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य के सूचकांक बहुत क्षीण हैं या बुनियादी ढांचा कमजोर है। इन राज्यों में पूर्वोत्तर के 8 राज्य– अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के साथ–साथ बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, जम्मू–कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। मिशन का उद्देश्य जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य संबंधी अधोसंरचना, सामुदायिक भागीदारी और स्वामित्व तथा सामुदायिक स्वास्थ्य

केन्द्रों को कामकाजी अस्पतालों के लायक बनाने में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना है। असल उद्देश्य सभी लोगों को उनके दरवाजे पर ही स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के लिए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आवंटन पिछले वर्ष के 65 अरब 53 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इस वर्ष के बजट में 82 अरब 7 करोड़ रुपए कर दिया है।

आशा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक मुख्य अंग ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने हेतु प्रत्येक गांव में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ ऐक्टिविस्ट आशा) को खड़ा करना है। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री श्री पी.चिदम्बरम ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि वर्ष 2006–07 के दौरान दो लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता काम करने लगेंगे और 1000 से अधिक ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 24 घंटे की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा चयनित आशा कार्यकर्ता उसी के प्रति जवाबदेह होगा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायक नर्सों और दाईयों के साथ पूर्ण समन्वय के साथ काम करेगा। पंचायतें गांवों में स्वास्थ्य के मानक को प्राप्त करने के लिए क्षेत्रवार योजनाएं तैयार करेंगे।

आयुश एवं पंचायती राज संस्थाएं

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रत्येक गांव के लिए निश्चित समय में क्रियान्वयन योग्य स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य योजना के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर जोर दिया गया है। यह काम पंचायतों की ग्राम स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से होगा। उप केन्द्रों को स्थानीय योजना बनाने और उनके क्रियान्वयन तथा बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के और पदों के सृजन के लिए अधिक राशि दी जाएगी। प्रत्येक केन्द्र के पास स्थानीय कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रूपए की एकीकृत राशि होगी। मिशन का उद्देश्य मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मजबूत बनाने और प्रत्येक एक लाख की जनसंख्या पर उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 30 से 50 बिस्तरों वाले सामुदायिक अस्पतालों की व्यवस्था करना है। जिला परिषद के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य मिशन जिले की स्वास्थ्य योजना का क्षेत्रवार कार्यक्रम तैयार करेगा और उसे लागू भी करेगा। इन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य देखभाल, साफ–सफाई, हाईजीन, पौषक आहार और सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना शामिल है। पूर्ण सफाई अभियान, जिसमें अभी 400 से भी कम जिले हैं, को दसवीं योजना तक देश के हर जिले में लागू करने का प्रस्ताव है। मिशन सभी स्तरों पर बचाव संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्षमता के विकास में मदद करेगा। इसके अलावा स्वस्थ जीवन शैली के प्रोत्साहन और तंबाकू एवं शराब के सेवन में कमी लाने के लिए भी मिशन प्रयास करेगा। पारंपरिक चिकित्सा संबंधी ज्ञान की भारत की सम्पन्न धरोहर को और प्रोत्साहन देते हुए स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी परम्पराओं, भारतीय चिकित्सा प्रणाली एवं आयुश कार्यक्रम (आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को सुदृढ़ बनाना भी इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। इन प्रणालियों के तहत देश में 7 लाख योग्य चिकित्सक हैं। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के 1,300 अस्पताल और 22,700 आयुश औषधालय देश के विभिन्न केन्द्रों में काम कर रहे हैं। ❁

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को मंजूरी

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अपनी दूसरी बैठक में केंद्रीय मंजूरी और मानिटरिंग कमेटी (सीएसएमसी) ने 5 शहरों में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के लिए 524 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये पांच शहर हैं विजयवाड़ा, हैदराबाद, इंदौर, सूरत और राजकोट। इन परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता के तौर पर कुल 215 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी और पहली किश्त के रूप में 54 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाने की संस्तुति भी की गई है।

इस परियोजना के अंतर्गत विजयवाड़ा शहर के अभावग्रस्त क्षेत्रों में पानी की सप्लाई और भूमिगत निकासी सुविधाओं के निर्माण, हैदराबाद में फ्लाईओवर का निर्माण, पाईप लाईनें बिछाने और गंदे पानी की निकासी, इंदौर में पानी की सप्लाई योजना, सूरत में गंदे पानी की निकासी और राजकोट शहर में पानी की सप्लाई तथा गंदे पानी की निकासी जैसे कार्य किये जाएंगे। शहरी विकास मंत्रालय जल्द ही इन परियोजनाओं की मंजूरी वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को भेजेगा ताकि विभाग मंजूर की गई राशि की पहली किश्त जारी कर सके। शहरी नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत मंजूर की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुसार मंत्रालय केंद्रीय सहायता को चार किश्तों में जारी करेगा।

इससे पहले सीएसएमसी ने अपनी पहली बैठक में 400 करोड़ रुपए की लागत वाली 11 परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी। इन परियोजनाओं में नागपुर, हैदराबाद, अहमदाबाद और भोपाल में पानी की सप्लाई की सुविधाओं का विस्तार और उन्नयन, पानी के रिसाव का पता लगाना, पानी की निकासी, पानी की पाईप लाईनें, जल संशोधन संयंत्र, नहरें और सड़कों पर उपरि पुल बनाने का कार्य शामिल है।

GRAMODAYA COLLEGE AND RESEARCH INSTITUTE

Amarpurkashi, P.O. Bilari, Distt. Moradabad-202411, U.P.
Tel : 05921-270567 Mob : 09412140798, 09412236547
E-mail : apk_gram@yahoo.co.uk
website : www.villageindia.org

Affiliated to
M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly
Admission Notice

Applications are invited from Graduates of any discipline for a residential

One-Year Post-Graduate Diploma in RURAL RESOURCE MANAGEMENT
2006-2007

- Innovative, relevant and groundbreaking course
- 50% theory, 50% practical
- Unique pairing of Indian and international students
- English and Hind Medium
- Prepares students to be change agents in society
- Outstanding opportunity for career in rural sector
- Both state and merit scholarships available

For more information contact to the Principal

LAST DATE OF RECEIVING AND SUBMISSION OF APPLICATION - 30 JUNE 2006

KH-05/06/03

नेत्रदान – महादान

राकेश शर्मा ''निशीथ''

प्राचीन काल में विश्व में दृष्टिहीनों एवं अन्य विकलांगों की अवस्था शोचनीय थी। दृष्टिहीनों को अपने माता–पिता की सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं था। इसका कारण उनकी धन रक्षा करने की शक्ति का अभाव रहा होगा। राजवंशों में भी दृष्टिहीनों को अपने अधिकार से वंचित रखा जाता था। धृतराष्ट्र को विचित्रवीर्य के बड़े लड़के होने पर भी राजसत्ता से वंचित रखा जाना तथा पाण्डु को राजसिंहासन पर बैठाया जाना इस बात का प्रमाण है। दूसरी तरफ दृष्टिहीनों ने ऐसे भी कार्य किए हैं जो उनकी विकलांगता की कमी को महत्वहीन बना देते हैं। ऐसे ही एक भक्त कवि सूरदास ने जिस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया, वह किसी भी नेत्रवान कवि से कम नहीं आंका जा सकता।

18वीं शताब्दी तक दृष्टिहीनों के लिए पढ़ने–लिखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यहां तक की दृष्टिहीन के लिए शिक्षा की कोई औपचारिक व्यवस्था 19वीं शताब्दी के मध्य तक भी नही हो पाई। दृष्टिहीनों के लिए सर्वप्रथम शिक्षण संस्था की स्थापना फ्रांस के एक अवकाश प्राप्त सरकारी अधिकारी वलेंटिन होवे ने 1784 में पेरिस में की थी। इस संस्था में मौखिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसी विद्यालय के एक छात्र लुई ब्रेल ने अंध लिपि का आविष्कार किया। इनका जन्म 4 जनवरी 1809 में फ्रांस के एक साधारण परिवार में हुआ था। इन्होंने 1832 में दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए एक सुगम लिपि (ब्रेल लिपि) का आविष्कार किया।

1887 में अमृतसर में कुमारी एनी शाप्र नामक एक मिशनरी सेविका ने दृष्टिहीनों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। अमृतसर के बाद ईसाई मिशनरी ने मुम्बई के दादर में अंध विद्यालय की स्थापना 1890 में की तथा आनन्द राज शाह ने कलकत्ता में 20वीं शताब्दी के आरंभ में दृष्टिहीनों के लिए एक विद्यालय खोला। 1922 में पटना में दृष्टिहीन विद्यालय की स्थापना की गई थी। आजादी के पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त मैकेनली आयोग ने अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट ऑन ब्लाइंडनेस 1944 में सरकार को सौंपा था।

कुछ तथ्य/भ्रांतियां

एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 7 करोड़ दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार भारत में लगभग 120 लाख से भी अधिक नेत्रहीन हैं। देश में प्रति वर्ष 50 हजार व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दृष्टिहीन हो जाते हैं। भारत में अंधता की समस्या विकसित देशों की समस्या से भिन्न है। चेचक, कुपोषण, अनुपचारित संक्रमणों तथा अन्य कारणों से, हमारे यहां नेत्रहीनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

नेत्रदान एक जीवन को प्रकाश से भरने में मदद का एक अवसर है। लेकिन नेत्रदान से जुड़ी कुछ भ्रांतियां भी समाज में मौजूद हैं। इस कारण व्यक्ति नेत्रदान करने से कतराते हैं। कुछ व्यक्ति यह मानते हैं कि नेत्रदान करने से मृत्यु के उपरांत मृत व्यक्ति का चेहरा विद्रूप हो जाता है। जबकि मृत्यु के पश्चात मृत व्यक्ति की आंखों में स्थित लेंस (कॉर्निया) ही निकाला जाता है। चिकित्सकों के अनुसार 45 प्रतिशत व्यक्तियों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें दृष्टि दोष सुधार की आवश्यकता है। जब स्थिति एकदम खराब हो जाती है और रेटिना बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और इसके ऊपर की झिल्ली फट जाती है तो आंख की रोशनी वापस लाना नामुमकिन हो जाता है। ऐसी स्थिति में नेत्र का प्रत्यारोपण ही एकमात्र विकल्प बचता है। परन्तु रीति–रिवाजों व अंधविश्वासों की वजह से लोग नेत्रदान करने में हिचकते हैं।

- कोई भी व्यक्ति अपनी आंखें दान कर सकता है। उसकी इच्छा को उसकी मृत्यु के बाद उसके निकट संबंधी पूरा कर सकते हैं।
- जो व्यक्ति नजर का चश्मा लगाते हैं या जिन्होंने आंखों का सफल ऑपरेशन करवाया है या जिन लोगों को डायबिटीज, ब्लडप्रेशन जैसी बीमारियां हैं, वे भी नेत्रदान कर सकते हैं।
- आंखें मृत्यु होने के तुरंत बाद व 24 घंटे के अंदर तक निकाली जा सकती है। इससे उनमें मौजूद द्रव सूखता नहीं है। यदि द्रव सूख जाता है तो आंखों का उपयोग नहीं किया जा सकता।
- चिकित्सकों के अनुसार सामान्य तौर पर 48 घंटे के अंदर मृत व्यक्ति का कॉर्निया नेत्रहीन को प्रत्यारोपित किया जा सकता है।
- नेत्रहीन व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति की आंखें लगाई जा सकती हैं। नेत्रहीन व्यक्ति को मृत व्यक्ति का केवल कॉर्निया ही लगाया जाता है।
- यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो भी पोस्टमार्टम के समय कॉर्निया निकालकर उसका उपयोग किया जा सकता है।

नेत्रदान क्या होता है?

देश में प्रतिवर्ष 50 हजार व्यक्ति किसी न किसी कारणवश दृष्टिहीन हो जाते हैं। ऐसे अनेक व्यक्तियों को दृष्टि दी जा सकती है यदि मृत्यु के पश्चात आंखों का दान करने वाले संकल्पदाताओं के घर–परिवार के लोग सम्बद्ध व्यक्ति की मृत्यु

के चार से छह घंटे की अवधि के अंदर आई बैंक को सूचना दे सकें तो। अक्सर ऐसा होता कि अपेक्षित सूचना आई बैंक तक पहुंचाने और आंखों के चिकित्सक अथवा इस काम में प्रशिक्षित नर्स का संकल्पदाता मृतक के निवास तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है।

नेत्रदान में मृत्यु के बाद पूरी आंखें नहीं निकाली जाती हैं। केवल आंखों का कॉर्निया लेकर किसी ऐसे व्यक्ति की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है, जिसकी रोशनी कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। अगर किसी बीमारी, चोट या संक्रमण के कारण कॉर्निया धुंधला जाये तो दृष्टि एकदम कम हो जाती है। कार्निया एक स्वच्छ तथा वक्र ऊतक होता है। यह पुतली के सामने रहता है। जब इसे आंख से निकालते हैं तो यह कंटेक्ट लैंस जैसा लगता है। अभी तक कॉर्निया का कोई कृत्रिम विकल्प तैयार नहीं किया जा सका है। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष एक लाख कॉर्निया की आवश्यकता होती है जबकि आपूर्ति लगभग 20,000 ही है।

भारत में पहला नेत्र बैंक वर्ष 1945 में मद्रास में स्थापित किया गया था और पहले नेत्र प्रत्यारोपण 1948 में डा. आर.ई. एस. मुथैला ने किया था। 1966 में प्रतिवर्ष देश में नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। विश्व ज्योति दिवस (अक्तूबर माह का दूसरा गुरुवार) के दौरान व्यापक जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाते हैं। मृत्यु के पश्चात अपनी आंखें दान करने वाले संकल्प दाताओं में स्कूली बच्चों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बच्चों से लेकर बुजुर्ग दृष्टिहीनों के लिए प्रतिवर्ष एक लाख नेत्रों की आवश्यकता होती है। परन्तु जागरूकता की कमी तथा अंधविश्वास के कारण एक साल में केवल 30,000 नेत्रों का ही स्वैच्छिक दान हो पाता है। पिछले 50 वर्षों से दृष्टिहीन लोगों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। 1978 में भारत सरकार और डेनमार्क के बीच अंधता नियंत्रण के लिए सहायता देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्ष 1994–95 से विश्व बैंक की मदद से मोतियाबिंद अंधता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

शत–प्रतिशत केन्द्र समर्थित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत प्रादेशिक नेत्र विज्ञान संस्थानों की स्थापना और मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों तथा ब्लॉक स्तर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना शामिल है। कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद के आपरेशनों तथा नेत्र बैंक सहित नेत्र सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं सेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। अब तक सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र में 200 से अधिक नेत्र बैंक विकसित किए गए हैं।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य है– दृष्टिहीनता की व्याप्तता को 1.4 प्रतिशत से कम करके 0.3 प्रतिशत करना है। वर्ष 2001–02 के एक सर्वेक्षण के अनुसार दृष्टिहीनता की व्याप्तता लगभग 1.1 प्रतिशत है। दसवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 2007 तक दृष्टिहीन की व्याप्तता घटकर 0.8 प्रतिशत करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। इसके लिए निम्न प्रयास किए जा रहे हैं– दृष्टिहीनों की पहचान और उपचार करके दृष्टिहीनता के बैकलॉग को कम करना, प्रत्येक जिले में नेत्र परिचर्या सुविधाएं विकसित करना, नेत्र सुविधाएं विकसित करना, नेत्र परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकसित करना, नेत्र परिचर्या में स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी प्राप्त करना।

यह कार्यक्रम सात राज्यों–आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु में चलाया जा रहा है, जहां 1.49 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में अंधता की प्रतिशत अधिक पाई गई है। इस परियोजना के अंतर्गत, इन राज्यों को नेत्र वार्ड व आपरेशन थियेटरों के निर्माण, उपकरणों की खरीद, गैर–सरकारी संगठनों को सहायता, आईओएल, आईईसी में सर्जनों को प्रशिक्षण आदि के लिए सहायता प्रदान की गई।

अंधता की समस्या गांवों में बड़ी गंभीर है, इसलिए इस कार्यक्रम के तहत इन इलाकों में नेत्र विज्ञान सेवाओं का दायरा बढ़ाने की कोशिश की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार नवीनतम तकनीकों की मदद से 80 प्रतिशत मामलों का इलाज व रोकथाम संभव है। परन्तु जानकारी के अभाव में लोग इलाज के लिए देर से पहुंचते हैं। इससे समस्या गंभीर हो जाती है। गांवों में अधिकांश मोतियाबिंद आपरेशन चलते–फिरते नेत्र शिविरों में किए जाते हैं।

दसवीं योजना के लक्ष्य

दसवीं योजना के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारिति किए गए हैं– मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा की दर को बढ़ाकर प्रति लाख की आबादी पर 450 करना, मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के दृष्टि–संबंधी परिणाम में सुधार के लिए 2007 तक 80 प्रतिशत से अधिक आपरेशनों में आईओएल आरोपित करना, 50 बाल नेत्र चिकित्सा यूनिट स्थापित करना, ग्लूकोमा और मधुमेह रेटिनोपैथी का जल्दी निदान एवं उपचार, ग्रामीण क्षेत्रों में 20,000 दृष्टि केन्द्र स्थापित करना, पूरी तरह कार्यशील 25 नेत्र बैंकों का विकास करना तथा विभिन्न स्तरों पर नेत्र शल्य चिकित्सकों तथा अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण देकर, नेत्र चिकित्सा उपस्कर की आपूर्ति करके और गैर–सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देकर नेत्र परिचर्या के लिए मानव संसाधनों और संस्थागत क्षमता को विकसित करना। स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां चलाने में स्वैच्छिक संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश भर में जिला कलेक्टर/उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसायटियां (डीबीसीएस) स्थापित की गई हैं। अब तक ऐसी 575 सोसाइटियां स्थापित की जा चुकी हैं।

दृष्टिहीनों के कल्याण हेतु छूट

भारत में विकलांगों की आजीविका का प्रश्न बहुत जटिल है। बहुत से आयोजक उन्हें रोजगार नहीं देना चाहते। इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने दृष्टिहीनों के लिए अनेक तरह की आजीविका सुनिश्चित की हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज टेलीफोन आपरेटर, रेल में रिसेपश्निस्ट, अधिवक्ता, कार्यालयों में लिपिक और टंकक के पद पर भी दृष्टिहीन कार्यरत हैं। वे जीवन बीमा और राष्ट्रीय बचत योजना के सक्रिय एजेंट के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। दृष्टिहीनों के लिए आजीविका की प्राप्ति में आयु सीमा में छूट दी गई है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि दृष्टिहीनों का कार्यस्थल यथासंभव उनके निवास स्थान के निकट हो। यात्रा में दृष्टिहीनों की सुविधा के अतिरिक्त उन्हें ब्रेल साहित्य पर छूट, बाहर से मांगने वाली लेखन सामग्रियों (स्लेट, कलम, ब्रेल टाइपराइटर, ब्रेल घड़ियां) आदि कर मुक्त, आयकर में छूट तथा दृष्टिहीनों के कल्याण में लगी स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान भी दिया जा रहा है।

दृष्टिहीनों को पहले परम्परागत काम–धंधे जैसी कुर्सी बुनाई, कैनिंग वर्क्स, संगीत साधना आदि कार्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता था परन्तु अब कॉल सेन्टर एवं कम्प्यूटर जैसी आधुनिक तकनीक दृष्टिहीन लोगों के लिए भी वरदान साबित हो रही है। इनके माध्यम से उन्हें रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिलने लगे हैं। इस प्रकार प्राचीन काल के दृष्टिहीनों के प्रति व्यवहार और आधुनिक यंग में दृष्टिहीनों के प्रति व्यवहार में काफी बदलाव आया है। दृष्टिहीन व्यक्ति जो पहले समाज में उपेक्षा का स्थान प्राप्त किए हुए थे, वे आज समाज का अभिन्न अंग बन चुके हैं। व्यक्ति, परिवार और समाज को और तेजी से अंधेरी आंखों में रोशनी के लिए प्रयास करने होंगे।

निर्यात क्षेत्र रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत

विकासशील देशों के लिए अनुसंधान तथा सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा संकलित रिपोर्ट रोजगारोन्मुखी निर्यात कार्यनीति की दिशा में : कुछ नये निष्कर्ष" के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात क्षेत्र रोजगार सृजन के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में उभरा है। केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने आज सुबह विदेश व्यापार नीति (2004–09) के वार्षिक अनुपूरक की घोषणा करते समय इस रिपोर्ट का विमोचन किया।

रिपोर्ट की भूमिका में श्री कमलनाथ ने कहा है "संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। देश के लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना एक महत्ती चुनौती है और इस चुनौती से निपटने के लिए सघन बहुमुखी और बहुआयामी प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि निर्यातोन्मुखी उत्पादन में रोजगार सृजन की विशाल क्षमता है।"

रिपोर्ट के अनुसार 2004–05 में निर्यात के जरिए पिछले वर्ष की तुलना में सीधे वृद्धिगत रोजगार के 14.85 लाख अवसर पैदा हुए। इस प्रकार निर्यात क्षेत्र के द्वारा रोजगार के कुल 90.06 लाख अवसर पैदा किए गए, जबकि इस वर्ष लगभग 80 अरब डॉलर का निर्यात हुआ। ये रोजगार के अवसर बैकवर्ड लिंकेज और उपस्कर तथा इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के द्वारा निर्मित रोजगार के सीधे 69.66 लाख अवसरों के अलावा हैं। कुल मिलाकर जिन्स निर्यात गतिविधियों के जरिए इस समय एक करोड़ 60 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

2009–10 तक निर्यात को दुगुना यानी 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य की चर्चा करते हुए रिपोर्ट में कहा गया है "निर्यात के इस लक्ष्य को प्राप्त करने से अगले पांच सालों में देश की अर्थव्यवस्था में नये रोजगार के 136 लाख (81.57 लाख प्रत्यक्ष और 54.61 लाख अप्रत्यक्ष) अवसर पैदा होने की संभावना है।" रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि यदि भारत श्रम बहुल जरिए अपनाता है तो 2009–10 में भारत का निर्यात 165 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकता और इससे रोजगार के 210 लाख नये अवसर (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) पैदा होंगे।

रिपोर्ट में नीचे दिए गए 12 निर्यात क्षेत्रों की रोजगार बहुल क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है–

• वस्त्र तथा परिधान • चमड़े से बनी वस्तुएं • जवाहरात तथा आभूषण • खाद्य उत्पादों का निर्यात • बागवानी निर्यात • पुष्प, फल तथा सब्जियां • डेयरी उत्पाद • प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ • खिलौने तथा डेल की वस्तुएं • औषधि उद्योग • मोटर वाहन तथा मोटर वाहन उपकरण • उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर

रिपोर्ट में कहा गया है "खिलौना उद्योग में रोजगार सृजन की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका हिस्सा 80 अरब डॉलर का है और जबकि भारत ने इस क्षेत्र में अपनी कोई पहचान नहीं बना रखी है। अंतरराष्ट्रीय खिलौना बाजार में चीन का वर्चस्व है। इस बाजार का 75 प्रतिशत हिस्सा चीन के कब्जे में है, जबकि भारत का हिस्सा इस बाजार में केवल 0.4 प्रतिशत है। यह एक ऐसा उद्योग है, जहां भारत को विश्व बाजार में प्रवेश के लिए सघन प्रयास करने होंगे।"

"आशा" की निष्ठा पर निर्भर है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

ग्रामीण जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बुनियादी चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा येाजना है। इस योजना को लक्षित जनता तक पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी "आशा" की है। एक हजार की आबादी पर एक "आशा" नामक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की नियुक्ति ग्राम पंचायत करेगी, "आशा" मूलतः उसी गांव की कम से कम कक्षा आठ तक पढ़ी लिखी 25 से 45 वर्ष तक विवाहित, विध ावा अथवा तलाकशुदा महिला होगी, जिसका चयन ग्राम पंचायत की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, समिति करेगी। "आशा" को किसी प्रकार का कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा लेकिन ग्राम पंचायत "आशा" को अनुमोदित करेगी जिससे सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त होगी। "आशा" को किसी प्रकार का नियत वेतन नहीं मिलेगा लेकिन कार्यों के अनुसार इसे पारितोषिक मिलेगा। वर्ष 2006 में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 65 हजार "आशा" कर्मियों की तैनाती हो जायेंगी।

"आशा" की अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही भी निर्धारित होगी। वह आंगनवाड़ी और ए.एन.एम. के साथ मिलकर कार्य करेगी तथा कार्यनिष्पादन की आख्या ग्राम पंचातय की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति को सौंपेगी। "आशा" को एक दवा का बस्ता (ड्रगकिट) भी मुहैया कराया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य एवं चिकित्सा से संबंधित दवाएं रहेंगी, "आशा" को प्रशिक्षण दिया जायेगा और उसके बाद ही उसे "ड्रगकिट" उपलब्ध कराई जायेगीं। इस प्रकार से देखा जाय तो "आशा" गांव की एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता होगी जो महिलाओं–बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकेंगी क्योंकि आज भी हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं जहां उपलब्ध नहीं है वहीं अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक कुरीतियों आदि के कारण अनेक बीमारियां समय–समय पर फैलती रहती है। कुपोषण, अशुद्ध जल, प्रदूषण आदि के कारण जठरांत्रशोथ, श्वसनीय संक्रमण रोग से मानव का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। ऐसी बीमारियों को सावधानियों से जहां रोका जा सकता है वहीं सस्ते एवं प्रभावी ढंग से उपचार कियाज ा सकता है, यह सब काम गांव की नयी स्वास्थ्य कार्यकत्री "आशा" निश्चित रूप से पूरा करेगी, लेकिन ऐसी "आशा" का चयन करने की जिम्मेदारी ग्राम सभाओं पर है जो ग्रामवासियों की आशाओं को पूरा कर सके, जो महिलाओं एवं बच्चों के साथ अच्छा कार्य कर सकें, इनकी समस्याओं को समझ सके तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए पूरा समय दे सके। सहायक नर्स मिडवाइफ, आशा और आंगनवाड़ी कर्मी एक साथ मिलकर प्रतिकूल स्त्री–पुरुष अनुपात, जन्मपंजीकरण और लिंग आधारित हिंसा जैसे कतिपय संवेदनशील/महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। महिला स्व–सहायता दल एक प्रभावकारी मंच हो सकते हैं जिसका "आशा" कारगर ढंग से उपयोग कर सकती है।

"आशा" का चयन गांव की गुटाबाजी से उपर उठकर होना चाहिए तभी "आशा" अपने नाम को सार्थक कर सकेगी क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोगों के जीवन को सुधारने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता "आशा" आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक नर्स, धात्री (मिडवाइफ) और पंचायती राज संस्थाओं के साथ तालमेल कर कार्य करेगी। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि "आशा" आंगनवाड़ी और एएनएम के कार्य को मिलकर अकेले कर सकती है। बाल पोषण, रोग प्रतिरक्षण, लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं की अधिकारिता के बारे में जानकारी बढ़ाना और व्यवहार परिवर्तन करना "आशा" का एक प्रमुख कार्य क्षेत्र हो सकता है। इसलिए "आशा" को जागरूक एवं कार्य के प्रति निष्ठावान होने की जरूरत होगी तभी जन–जन के लिए शुरू की गयी यह योजना सार्थक होगी। ❁

तपेदिक, मलेरिया और एड्स कार्यक्रमों पर नए सिरे से जोर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. अन्बुमणि रामदास ने कहा है कि सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एड्स पर राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। एचआईवी के उन्मूलन की रणनीति को सभी विभागों की मौजूदा गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में शामिल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की इन नीतियों को उद्देश्य समुदायों तक शीघ्रता से पहुंचना है। उन्होंने एचआईवी के टीके के विकास के लिए अनुसंधान की जरूरत पर भी जोर दिया।

मलेरिया तथा डेंगू और ऐसी ही कीटाणुओं से फैलने वाली बिमारियों से निपटने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा की ऐसी नीतियां और कार्य नीतियां तत्काल बनाए जाने की जरूरत है, जो एक समान विकास के साथ–साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित करती हों। ऐसी सार्वजनिक नीतियां पर्यावरण के भागीदारी प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। इसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों की भागीदारी के साथ–साथ अंतर–क्षेत्रीय अभिसरण की जरूरत होगी।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

वेद प्रकाश अरोड़ा

आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले का बादलापल्ली गांव एक छोटा सा बेरंग–बदरंग गांव है। यहां मुश्किल से 719 परिवार रहते हैं जिनके सदस्यों की कुल संख्या 4200 है। बादलापल्ली का अर्थ है पत्थरों का गांव। इसका नाम ही गांव की दयनीय स्थिति और घोर पिछड़ेपन का परिचायक है। यहां की छोटी–छोटी पहाड़ियां–या–यूं कहें टीले बंजर, झाड़ियां सूखी, खेत सूने और मौसम खुश्क है। लेकिन इस पथरीले–पत्था–गांव की बेरौनक, बेजान गलियों के पीड़ामय संसार में सांस लेने वाले परिवारों के जीवन ने गत 2 फरवरी को एक नई और सुखद करवट ली। सारे जिले से उमड़ी उमंग भरी भीड़ के बीच प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कानून को विधिवत लागू करने की घोषणा की और दो दलित महिलाओं समेत पांच ग्रामीणों को रोजगार कार्ड दिए। इस गांव के कुल परिवारों में से आधे से अधिक 432 परिवारों ने काम के लिए आवदेन दिए हैं। इन सबको एक महीने में रोजगार कार्ड देने की व्यवस्था की गई है। योजना का इतना जादुई प्रभाव पड़ा के गांव छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर गए 20 परिवार अपने गांव वापस आ गए हैं। रोजगार योजना का श्रीगणेश करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना से गरीबों को गरिमा और आत्मसम्मान से जीने का अवसर सुलभ होगा। उसी दिन यह योजना देश के 27 से अधिक प्रदेशों के 200 चुनिंदा जिलों में लागू हो गई। प्रधानमंत्री ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत इसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि करार दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी का ग्राम पंचायतों और ग्रामसभाओं का जो सपना था उसे इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए उन्होंने राज्य सरकारों को निगरानी प्रणाली स्थापित करने की सलाह भी दी ताकि गांववासी काम की खोज से न सिर्फ अपने गांवों से शहरों की ओर पलायन बंद कर दे, बल्कि उनके जीवन में व्याप्त निराशा और बेबसी की भावना भी दूर हो जाये। जनजन के सशक्तिकरण की इस योजना में यह महत्वपूर्ण प्रावधान है कि आवेदक को अपने निवास से पांच किलोमीटर के दायरे में काम दिया जायेगा और इससे रोजगार पर लगाए जाने की हालत में उसे 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।

इससे पहले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने गरीबी हटाने और रोजगार को कानूनी गारंटी देने के इस नए ऐतिहासिक प्रयास और पहल से लोगों की भागीदारी का जोरदार आहवान करते हुए कहा कि यह पहला सुनहरी मौका है जब गांवों के स्वशासन है और स्वराज के सपने को आकार देते हुए इस कार्यक्रम को मूर्तरूप देने की गांव पंचयतों को सीधे और सशक्त भागीदार बनाया गया है।

यहां इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि यह योजना काम के बदले अनाज देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम की ही परिवर्तित और परिवर्धित कड़ी है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम का भी आरंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 14 नवम्बर 2004 को आंध्र प्रदेश में ही हैदराबाद के पास रंगारड्डी जिले के अलूर गांव में किया था। देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू इस पहले कार्यक्रम का पूरा खर्च केन्द्र द्वारा दिए जाने का प्रावधान था। इस राशि का 75 प्रतिशत हिस्सा अनाज के रूप में और 25 प्रतिशत नकद देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र 90 प्रतिशत और राज्य 10 प्रतिशत सहायता देंगे। हां अगर कोई राज्य धन न जुटा सके ओर इसका ठोस आधार या कारण हो, तो केंद्र उसकी भी परवाह करेगा।

पिछले तीन–चार वर्षों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम सहित रोजगार देने की जो योजना शुरू की गई उनकी संख्या आंकी नहीं जा सकती है।

इनमें काम के बदले अनाज देने के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शामिल है। पहली योजनाओं से इस योजना में अंतर यह है कि इसमें रोजगार गारंटी को कानूनी रूप दिया गया है। अब गांव के किसी भी काम के लायक जरूरतमंद व्यक्ति को रोजगार का आवेदन करने पर रोजगार देना ही पड़ेगा। गांव पंचायत में पंजीयन के बाद उसे रोजगार कार्ड दिया जायेगा। यह सारा कार्यक्रम आम आदमी, गरीब से गरीब ग्रामीण का निर्माण में आस्था का तथा उसकी ताकत और श्रमशक्ति में विश्वास का, सामाजिक न्याय का तथा अर्थिक अवसर पैदा होंगे। अगर पंजीकरण के बाद 15 दिन में किसी ग्रामीण को रोजगार नहीं मिला तो उसे बराबर की ही राशि रोजगार भत्ते के रूप में दी जाएगी। पेट की आग बुझाने तथा रोजगार की पक्की पुख्ता व्यवस्था इसलिए करनी पड़ी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी हटाने के भरपूर प्रयासों के बावजूद गरीबी तथा गरीबों की संख्या का प्रसार, सुरसा के मुंह की तरह निरंतर बढ़ता चला गया है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि बढ़ती आबादी के प्रतिशत की तुलना में रोजगार वृद्धि का प्रतिशत प्रायः बौना बना रहा। कभी विकास की रोजगार सृजन क्षमता में गिरावट देखने में आई, तो कभी लक्षित दर के अनुरूप अर्थ व्यवस्था का विस्तार नहीं हुआ। उधर कृषि के

विशाल क्षेत्र में भी रोजगार वृद्धि दर और उत्पादकता दर में गिरावट का सिलसिला बना रहा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष कराए गए सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि बेरोजगारों के आंकड़े, यहां वहां कुछ अपवादों को छोड़, बढ़ते चले गए हैं।

लेकिन राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक ही झटके में इस प्रतिकूल प्रवाह को सुखद मोड़ दे देगी। इससे ग्रामीण भारत के 72 करोड़ लोगों के परिवारों में एक–एक सक्षम एवं पुष्ट सदस्य को रोजगार देने से अनगिनत घरों में बुझे दिये जल उठेंगे, उनके मुरझाए चेहरों पर मुस्काने बिखर जायेगी और उदास राहें खुशियों से भर उठेगी। इस योजना के अंतर्गत गांव में ही लोक निर्माण और जनहित कार्यों में लग जाने से लोगों के शहरों की ओर पलायन और गांवों से आए लोगों का शहरों के फुटपाथों पर सोने और डेरा डालने पर पूर्ण विराम नहीं तो कम से कम अर्धविराम तो हो ही जायेगा। निस्संदेह यह शहरों और गांवों के बीच की दूरी कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

इस ऐतिहासिक विधेयक को संसद में लाने और सर्वसम्मति से पास कराने के दो विशेष उद्देश्य थे, एक, खाद्य सुरक्षा प्रदानकर भूख मिटाना और दो, श्रम परक निर्माणों से स्थाई सम्पत्तियां बनाकर और गांवों के पिछड़ेपन का कलंक धोकर खुशहाली लाना। इन निर्माण कार्यों में सर्वोच्च प्राथमिकता जल संचयन, जल संरक्षण और सिंचाई नहरों जैसे कामों को दी जायेगी। तालाबों, जलाशयों और अन्य पारम्परिक जल निकायों को नया रूप दिया जायेगा, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी कार्य हाथ में लिए जायेंगे, भूमि का विकास किया जायेगा और बारहमासी सड़कें बनाने के अलावा सूखा रोकने के लिए वृक्षारोपण किया जायेगा और वनभूमि का विस्तार विकास किया जायेगा।

पंचायतों द्वारा अपने इलाके की विशिष्ट जरूरतों उपलब्ध साधनों तथा परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों का चयन कर, उन्हें तराशने संवारने तथा मंजूरी की मोहर लगाने से लोकतंत्र की बुनियाद कही अधिक मजबूत हो जाएगी। पंचायतें कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और परिणामों पर नजर रखकर आउट कम बजट की तरह प्रगति, परिणाम और व्यय का बराबर जायजा लेती रहेगी। ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने सरकार की नीतियों को ग्रामोन्मुखी और गरीबोन्मुखी बताते हुए कहा कि उनका प्रयास यह है कि वर्ष 2020 तक देश में कोई भी व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे न रहे। लोकतंत्र की इन नन्हीं फैक्टरियों अथवा प्रयोगशालाओं में तथा बाहर गांवों के स्वच्छ सात्विक वातावरण में हेराफेरी बेईमानी और भ्रष्टाचार से घातक जहरीले कीड़े जन्मने और पनपने न पाएं। इसके लिए ग्राम समिति स्तर पर नजर रखी जायेगी। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस मद में धन को जाया होने से रोकने के लिए जवाबदेही पारदर्शिता और सतर्कता के सिद्धांत को कड़ाई से लागू करने और सामूहिक भागीदारी के बिरले परीक्षण को सफल बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वैसे भी विधेयक में ही निर्दिष्ट क्षेत्र के सारे परिवारों को काम देने और देश भर के लिए समान मजदूरी निश्चित होने से कुछ पारदर्शिता तो स्वतः आ जायेगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और नौकरशाही की बेमौसमी दखलअंदाजी और मनमानी पर एक तरह से लगाम लग जायेगी। इससे चरित्र निर्माण अखिल भारतीय स्वरूप लेगा। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित होने के बाद स्थानीय प्रशासन और संस्थाओं को सभी प्रकार की सूचना प्रकट करनी होगी। विधेयक में प्रावधान है कि भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलने पर उस क्षेत्र विशेष के लिए योजना राशि का आवंटन रोका जा सकता है। इसके अलावा जो दंड मिलेगा, वह अलग ग्राम सभा को आडिट यानी लेखा–परीक्षा का अधिकार होगा और कार्यक्रम अधिकारी की नियुक्ति पंचायत की सहायता के लिए होगी। जिला और खंड स्तर के अधिकारी पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत काम करेंगे और उनकी जगह ये संस्थाएं ही योजना को लागू करेगी। अगर राज्य, जिला, खंड और ग्राम स्तर पर लागू करने वाली एजेंसियों और नोडल एजेंसी के बीच तालमेल और समझसूझ का माहौल पनपता रहा तो भ्रष्टाचार के कीड़ों को पैदा होने के लिए, जमीन ही नहीं मिलेगी। अब वक्त आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद जी के भावना के अनुसार पंचायतों को सही मायने में कार्यात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक स्वायतत्ता प्रदान की जाए। पहले वर्ष यह स्कीम 15 जिलों में लागू की जा रही है बाद में इसे 50 अन्य जिलों में लागू किया जायेगा। मूल विधेयक में डेढ़ सौ जिले चुने गए थे, जिन्हें बढ़ाकर दो सौ कर दिया गया। जिलों का चुनाव अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी, जिलों में मिल रही मजदूरी तथा वहां की उत्पादकता के स्तर इन तीन बातों को ध्यान में रखकर किया गया है। बाद में अन्य 50 जिलों का चयन भी इन्हीं तीन मानदंडों के आधार पर योजना आयोग करेगा। इस चुनाव में राजनीति अथवा दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। 200 गांवों में वे 150 गांव भी शामिल है, जो काम के बदले अनाज देने के कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। न्यूनतम मजदूरी वर्ष में कम से कम 100 दिन 60 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से मिलेगी। इसका अभिप्राय यह नहीं कि दूसरी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिलेगा। वर्ष के बाकी 265 दिनों में ग्रामीण अन्य कोई भी काम कर सकते हैं। रोजगार गारन्टी योजना में प्रावधान है कि अगर किसी राज्य में न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 60 रुपए से अधिक मिल रही हो तो उसे कम नहीं किया जायेगा। जैसे केरल में न्यूनतम मजदूरी 134 रुपए है, वहां यह पूर्ववत मिलती रहेगी। न्यूनतम वेतन देना राज्यों की विषय सूची में आता है, इसलिए केंद्र उनके इस अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन जहां न्यूनतम वेतन 60 रुपये प्रति दिन से कम हो, जैसे मेघालय में यह मात्र 25 रुपए दिहाड़ी है, तो वहां केंद्र कानून में निर्धारित न्यूनतम वेतन देने के लिए राज्य को बाध्य कर सकता है। इस संदर्भ में राज्यों का दायित्व है कि वे केंद्र से अधिक राशि लेने के चक्कर में न्यूनतम वेतन की सीमा बढ़ाते चले न जायें। उन्हें अकारण वेतन बढ़ाने की मानसिकता से बचना होगा। इसी तरह रोजगार के लिए दी गई एक सौ दिन की गारंटी का मतलब यह नहीं कि इससे

अधिक दिन रोजगार नहीं दिया जा सकता। प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह का कहना है कि यह तो पूरक रोजगार है। असाधारण अथवा अनहोनी घटना घटने पर रोजगार के दिन बढ़ाए जा सकते हैं। रोजगार के मामले में एक परिवार का मतलब उस परिवार में एक व्यक्ति को एक सौ दिन नौकरी देना होगा। लेकिन अगर किसी परिवार में सक्षम चार व्यक्ति हों, तो उनमें प्रत्येक को 25–25 दिन काम दिया जा सकता है। कार्य स्थलों में महिलाओं को कम से कम 33 प्रतिशत भागीदारी मिलेगी। अगर किसी कार्यस्थल पर महिला मजदूरों के साथ उनके छह वर्ष से कम आयु के पांच या अधिक बच्चे आते हों तो उनकी देखभाल इन्हीं महिला मजदूरों में से कोई एक महिला करेगी। पुरूषों और महिलाओं को बराबर मेहनताना मिलेगा जो हर सप्ताह दिया जायेगा। परियोजनाओं के काम से ठेकेदारों, और बिचौलियों को दूर रखा जायेगा। साथ ही मशीनों के प्रयोग से बचते हुए मजदूरों के हाथ ही जगन्नाथ बनकर निर्माण कार्य करेंगे। इसके अलावा मजदूरों को उनके निवास से पांच किलोमीटर के दायरे में ही रोजगार देने की व्यवस्था की जायेगी। काम के दौरान चोट लगने या घायल होने पर निःशुल्क डाक्टरी इलाज किया जायेगा। अस्पताल में भर्ती होने पर कम से कम आधी मजदूरी बराबर दैनिक भत्ता दिया जायेगा। स्थाई रूप से काम के अयोग्य होने या मौत होने पर सम्बद्ध मजदूर या उसके कानूनी उत्तराधिकारी को 25000 रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों के सभी जिलों में अगले पांच वर्षों में लागू कर दी जायेगी। इस अवधि में लगभग पांच करोड़ परिवारों को योजना का लाभ मिलने की आशा है। योजना के लिए केंद्र 10 प्रतिशत और राज्य 10 प्रतिशत सहायता देंगे, लेकिन अगर कोई राज्य वास्तव में धन जुटा न सके और इसका ठोस आधार या कारण हो, तो केंद्र उसकी भरपाई करेगा। इस वर्ष ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। वैसे इस योजना को मूर्तरूप देने के लिए सरकार को हर वर्ष लगभग 40,000 करोड़ यानी चार खरब रुपए खर्च करने पड़ेंगे। योजना का खर्च चलाने के लिए केंद्र द्वारा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष तथा राज्य सरकारों द्वारा राज्य रोजगार गारंटी कोष बनाया जायेगा।

योजना की सफलता के लिए जरूरी है कि साल दर साल, इसकी व्यय राशि में कोई कमी न हो और इसका एक–एक पैसा सही कार्यों पर खर्च हो तथा सही हाथों में जाए। निगरानी की व्यवस्था पंचायती राज्य के तीनों स्तरों पर इतनी त्रुटिहीन होनी चाहिए कि गांवों में खुशनुमा बदलाव लाने वाली यह योजना भ्रष्टाचार की बलि न चढ़ जाए। प्रधानमंत्री ने 24 अगस्त को राज्य सभा में इस विधेयक पर बहस में हस्तक्षेप करते हुए न सिर्फ ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूती से खड़ा करने की भारत निर्माण योजना, ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क सभी गांवों में बिजली नेटवर्क के विकास, एक करोड़ हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधाओं, 60 लाख नए ग्रामीण मकानों के निर्माण, प्रत्येक गांव में एक टेलीफोन लगाने के कार्यक्रम, नूतन ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान में विस्तार, और सभी विद्यार्थियों को दोपहर का खाना देने की योजना जैसे विशाल कार्यक्रमों की सफलता के लिए विशाल पूंजी जुटाने की आवश्कता पर बल दिया। कामयाबी के मूल मंत्र की व्याख्या करते हुए डॉ. मनमोहन सिंह ने एक प्रखर अर्थशास्त्री के रूप में कहा कि अर्थव्यवस्था में 7 प्रतिशत से 8 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, अर्थतंत्र में सकल घरेलू उत्पाद के 30 प्रतिशत के बराबर प्रत्यक्ष पूंजी निवेश करना होगा तथा केंद्र और राज्यों के बढ़ते राजकोषीय घाटे को पाटने के उपाय करने होंगे। अभी यह घाटा 10 प्रतिशत है जो विश्व में सर्वाधिक है। पूंजी संग्रहण और पूंजी समाजीकरण को अर्थतंत्र के रोगों का रामबाण करार देते हुए उन्होंने नवरत्न उद्योगों तथा सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयों के घाटे रोकने और मुनाफा बढ़ाने तथा सब्सिडी संस्कृति तथा इस के वर्तमान स्वरूप को सुधार कर इसे ऐसे लोगों और क्षेत्रों को न देने की जोरदार वकालत की जो किसी भी लिहाज से इसे पाने के पात्र हैं ही नहीं। उन्होंने पते की एक अन्य बात यह भी कही कि सार्वजनिक क्षेत्र को अब डाकघर के समाजवाद की तर्ज पर चलने का वक्त लद गया है। इस क्षेत्र को तो अर्थव्यवस्था में तगड़ी क्रियाशील भूमिका निभानी होगी तथा उद्योगों को कटिंग एज टेक्नालॉजी का प्रयोग कर नई ऊँचाइयों पर ले जाना होगा तथा देखना होगा कि वे समाज और सरकार के लिए वरदान बने, भार नहीं। यह एक अकाटय सत्य है कि प्रचुर संसाधन जुटाए जाने पर ही ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा अन्य कल्याण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू कर नया इतिहास रचा जा सकेगा।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने कुछ ऐसी अन्य वृहद योजनाएं भी हाथ में ली हैं, जिन्हें विशाल संसाधनों केसहारे ही मूर्तरूप दिया जा सकेगा। सिंचाई जल सप्लाई, सड़कों, मदानों, बिजलीकरण और दूरसंचार जैसे बुनियादी ढांचे केछह क्षेत्रों पर आधारित विराट भारत निर्माण योजना पर एक करोड 7 हजार करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सहित राष्ट्रीय राजमार्ग को पक्का पुखता दो से छह लेन का बनाने नया उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक के दो बड़े सड़क गलियारे बनाने पर लगभग एक लाख 86 करोड रुपए, दिल्ली, कलकत्ता और दिल्ली मुम्बई के बीच विशेष रेलगाड़ी मार्ग बनाने पर 25000 करोड़ रुपए का व्यय होना। इस वित्त वर्ष में सभी वर्गों को बुनियादी शिक्षा देने के सर्व शिक्षा अभियान पर 7156 करोड रुपए सात महानगरों, तथा दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले और दूसरे नगरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण शिक्षा पर 5500 करोड़ रुपए का अनुमानित व्यय होना ऐसी ही कई अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं लागू करने का संकल्प व्यक्त किया गया है, जिनके लिए बहुत धन राशि अपेक्षित है। इस शिक्षा को जुटाने के तीन विकल्प हैं– या तो सार्वभौम शिक्षा योजना की यह एक दो प्रतिशत उपकर लगाया जाए, या अन्य मदों में कर्तव्यों कर बचाई गई रकम इन योजनाओं में लगाई जाए अथवा विभिन्न योजनाओं की पूरी तस्वीर सामने

रखकर उनकी समान मदों एवं कार्यों को एकीकृत कर लागू किया जाए। यह निश्चित है कि नए उपकर लगाए जाने का सरकार को जबरदस्त रोष–आक्रोश एवं विरोध का सामना करना पड़ेगा।

प्रचुर– संसाधन जुटाना इसलिए और भी जरूरी हो गया है कि 1990 के दशक से भारत में कच्चे तेल का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा ह। 1991 में विदेशी तेल पर भारत की निर्भाता 30 प्रतिशत की जो बढ़ते–बढ़ते अब 70 प्रतिशत हो गई है। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्य प्रति बेरल बढते हुए प्रति बेरल लगभग 70 डालर के कुछ ऊपर नीचे रहने से खजाने पर दबाव बढ़ गया है। व्यापार घाटा और राजकोषीय घाटा भी बराबर बना हुआ है। कृषि उत्पादन भी चार प्रतिशत से घटकर डेढ़ दो प्रतिशत पर सिमट गया है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू करने की अन्य अड़चनें और दिक्कतों की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। सभी स्तरों पर निगरानी की कड़ी व्यवस्था कर यह देखना होगा कि सभी स्तरों की पंचायतों में भ्रष्टाचार के कीडे पैदा होकर पनप कर गांवों के निर्मल और सात्विक वातावरण को दूषित न कर दें। यह भी देखना होगा कि ग्रामीण मजदूरों को सही मायने में सौ दिन का रोजगार मिले तथा साथ ही पूरी पगार मिले। काम के बदले अनाज की योजना धन की लूट योजना बन गई थी। मजदूर से मात्र पांच दिन काम लिया जाता और मस्टर रोल में 60 दिन दिखाया जाता कहीं श्रमिक को 60 रुपए के न्यूनतम वेतन से आधे से भी कम 25 रुपए तो कहीं 30 रुपए देकर उसे चलता कर दिया जाता। लेकिन ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में इस तरह की बेईमानी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि विभिन्न निर्माण कार्य उनके काम और मेहनत की जीती–जागती तस्वीर पेश करेंगे। प्रधानमंत्री की इस क्षेत्र को आकार देने की जरूरत है कि गांव–गांव में पूरी की जाने वाली इन परियोजनाओं और कार्यक्रमों से इस वृहद योजना का खर्च उन से मिले साधनों और लोगों से ही पूरा हो जायेगा। उन्होंने नई दिल्ली में राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के सम्मेलन में इस योजना की सफलता के ये तीन सूत्र दिए गए जितना व्यय करो, उसके अनुसार लाभ (परिणाम) प्राप्त करो, सम्पदा बनाओ – काम का खर्च चलाओ, सही गारंटी – हरेक की नियति। अब देखना यह है कि इन सभी सूत्रों पर कितना अमल होता है और इनको मूर्तरूप देने पर गांववासी कितने खुश और खुशहाल होते हैं। ❁

(स्वतंत्र पत्रकार)

कामकाजी महिलाओं की संख्या बढ़ी

कामकाजी महिलाओं की संख्या में 1981 से निरंतर वृद्धि का रुख नजर आ रहा है। भारत के महापंजीयक के अनुसार 1981 में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी दर 19.67 प्रतिशत थी जो 2001 में बढ़कर 25.68 प्रतिशत हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी भागीदारी दर (11.55 प्रतिशत) कहीं अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाएं सामान्यतया खेतीबाड़ी तथा कृषि श्रमिकों के रूप में कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में लगभग 80 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं घरेलू उद्योगों, छोटे–मोटे कारोबारों और निर्माण कार्यों जैसे असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

असंगठित क्षेत्रों में 31 मार्च, 2003 के अनुसार 18.41 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं हैं। इस क्षेत्र (सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र) में लगभग 48.68 लाख महिलाएं कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 28.12 लाख महिलाओं सामुदायिक, सामाजिक तथा कार्मिक सेवा क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

लेकिन श्रम शक्ति में कामकाजी महिलाओं की भागीदारी अभी भी काफी कम है। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा और कौशल के मामले में महिलाओं का पुरुषों से पीछे रहना है।

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय का रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय 1977 से कौशल प्रशिक्षण/विकास के जरिए महिलाओं को वेतन/स्वरोजगार के क्षेत्रों में काम दिलाने की दिशा में प्रयासरत है। निदेशालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में एक राष्ट्रीय तथा 10 क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (एनवीटीआई/आरवीटीआई) स्थापित किए हैं।

यह संस्थान महिलाओं के लिए बुनियादी, उच्च प्रशिक्षण उपरांत स्तर के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। ये पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा प्राप्त महिलाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। संस्थान इस समय इलैक्ट्रॉनिक, परिधान निर्माण, कम्प्यूटर ऑपरेटर तथा प्रोग्रामिंग अस्टिटेंट, अंग्रेजी तथा हिन्दी में आशुलिपि, केश तथा सौन्दर्य देखभाल, इंस्ट्रूमेंट, मैकेनिक, वास्तुविद नक्शानवीस, डेस्क टॉप पब्लिशिंग, कढ़ाई–बुनाई कला, फल तथा सब्जी संरक्षण, इंस्ट्रक्टर (सामान्य) पाठ्यक्रम अध्यापन तथा फैशन प्रौद्योगिकी के सिद्धांत जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अलावा संस्थान गृहणियों, छात्राओं तथा पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं के लिए छोटी अवधि तथा तदर्थ प्रकार के पाठ्यक्रम और उच्च कौशल के क्षेत्र में पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

अभी तक इन संस्थानों से लगभग 43, 336 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और विभिन्न संस्थानों में फिलहाल प्रशिक्षण के लिए 3,332 सीटें महिलाओं के लिए पेश की जा रही हैं। राज्यों ने महिलाओं के लिए 322 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा महिला और पुरुष दोनों के लिए 515 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं। प्रशिक्षण संस्थानों में बुनियादी कौशल प्रशिक्षण के लिए महिलाओं के वास्ते 47, 391 सीटें रखी गई हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम

वासुदेव लवानियां

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सम्पूर्ण सामाजिक दर्शन एवं दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित था कि 'भारत गांवों में बसता है।' जिसकी लगभग तीन–चौथाई जनता ग्रामीण है जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत का यदि वास्तविक दर्शन करना है तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चैन्नई में नहीं गांवों में जाकर कीजिए, जहां गरीबी एवं बेकारी की समस्या सुरसाा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, जहां तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी की कमी के चलते प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का पूर्ण विदोहन सम्भव नहीं हो पा रहा है, वहां जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है एवं जनाधिक्य की समस्या विद्यमान है। ऐसी परिस्थिति वाले देश के लिए कृषि विकास के साथ ग्रामीण रोजगार सृजन की अनिवार्यता को नकारा नहीं जा सकता।

माना कि पिछले पांच दशकों में गांवों की स्थिति में सुधार हुआ है किन्तु इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता क्योंकि ग्रामीण जीवन आज भी असुरक्षित है। कृषि में मशीनीकरण के उपयोग के बढ़ते खेतिहर मजदूरों के सामने बेरोजगारी की गंभीर समस्या रात दिन बढ़ती जा रही है। हालांकि पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए विभिन्न योजनायें संचालित थीं, जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण युवाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम (ट्राइसेम), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम (आरएलईजीपी), ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (डबाकरा) एवं जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) इत्यादि। इनमें से अधिकांश योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों में से गरीब परिवारों का चयन किया जाता है तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार यथा योग्य क्रियाओं को छांटकर, चयन कर, उन परिवारों या व्यक्तियों को उन आर्थिक क्रियाओं का संचालन करने हेतु अनुदान एवं पूंजी उपलब्ध करायी जाती है, परन्तु इन योजनाओं का लाभ निर्धन को न मिल कर गैर निर्धन को ही मिला है। इसलिए निर्धनों की आर्थिक स्थिति में सुधार कम ही दिखाई दिया।

अधिनियम की आवश्यकता क्यों?

गौर तलब है कि योजना कोई भी हो, उसका क्रियान्वयन तो पंचायत स्तर पर ही होता है, योजनाओं की क्रियान्विति सरपंच/प्रधानों की इच्छा पर ही निर्भर करती है। पिछली पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत भी ग्रामीण रोजगार योजनायें संचालित की गयी, जो एक से एक अच्छी योजनाएं थीं परन्तु उन योजनाओं का लाभ सरपंचों/प्रधानों के चहेतों को ही मिला, चाहे वे इस परिधि में आते हों या नहीं। इसके पीछे एक ही तर्क हो सकता है – भारतीय संविधान का लचीलापन, जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन के दोषी सरपंच/प्रधान साफ बच निकलते हैं, और देखा–देखी अन्य सरपंच/प्रधानों के भी हौंसले बुलन्द होते हैं। इसी कारण विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत संचालित ग्रामीण रोजगार योजनायें अधिक प्रभावी न हो सकी क्योंकि योजना कोई भी हो सभी के क्रियान्वयन का मूल स्रोत पंचायत ही है।

केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना को लेकर जो गंभीरता दिखाई है वह वाकई सराहनीय है। सरकार ने संसद में विधेयक पारित करवाकर इस योजना को कानून का दर्जा भी दिला दिया। यानी जिन जिलों में यह योजना लागू की गयी है वहां के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को वर्ष भर में सौ दिन का रोजगार पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (अधिनियम 2005) का श्री गणेश वर्तमान प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने यू.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में आंध्रप्रदेश के अनन्तपुर जिले के बादूलापल्ली गांव में 2 फरवरी, 2006 को दीप प्रज्जवलित कर अपने उद्बोधन भाषण से किया। यह योजना फिलहाल 200 जिलों (150 जिले जवाहर रोजगार योजना वाले एवं 50 चयनित अन्य जिले) में क्रियान्वित की जाएगी, सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के पश्चात् 5 वर्ष में देश के संपूर्ण 600 जिलों में लागू कर दी जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत परिवार के एक वयस्क को ही लाभ मिलेगा।

इसके लिए पंचायत मे पंजीकरण कराना होगा जहां पर एक जॉब कार्ड बनेगा जो पांच वर्ष तक वैध रहेगा। पंजीकरण के बाद कार्य के लिए आवेदन करने के 15 दिन बाद भी यदि संबंधित व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं होगा तो उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। योजना का 90 प्रतिशत खर्च केंद्र सरकार उठायेगी और शेष 10 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारें। बेरोजगारी भत्ते का भार राज्य सरकारों पर डाला गया है। केंद्र चाहता है कि राज्य सरकारें योजना क्रियान्वयन में लापरवाही न बरतें।

समाज का एक वर्ग अर्से से रोजगार के अधिकार की मांग कर रहा है। रोजगार गारन्टी योजना इस दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। रोजगार के जरिये गरीबी उन्मूलन संभव है। इसलिए गरीबी उन्मूलन के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर देना ही होगा।

यह सही है कि वर्ष में केवल सौ दिन का काम देकर गरीबी उन्मूलन संभव नहीं। फिर परिवार के एक ही वयस्क को रोजगार का यह अधिकार दिया गया है। हां, बेरोजगारी और बदहाली में जी रहे लोगों के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थोड़ी राहत का काम जरूर करेगी। इसके लिए यह जरूरी है कि इसका क्रियान्वयन ढंग से हो और इसे भ्रष्टाचार का शिकार होने से रोका जाये। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना जैसी कई प्रमुख योजनायें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। केंद्र और राज्य सरकारें वास्तव में रोजगार गारंटी योजना की सफलता चाहती हैं तो इसके क्रियान्वयन पर पूरी निगरानी रखनी होगी।

राष्ट्रीय गामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005

इस अधिनियम को और अधिक विस्तार से समझने के लिए निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया है:

उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार के अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक वयस्क सदस्य को कम से कम सौ कार्य दिवसों का रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को आजीविका प्रदान करना है।

रोजगार की गारंटी

प्रत्येक परिवार के अकुशल वयस्क सदस्य को हर वित्त वर्ष में कम से कम सौ दिन के रोजगार की गारंटी है। एक परिवार एक वर्ष में सौ दिनों का काम पाने का हकदार है।

ग्रामीण परिवारों का पंजीकरण

काम का इच्छुक प्रत्येक परिवार ग्राम पंचायत में अपने वयस्क सदस्यों के नाम, उम्र, लिंग और पता देकर पंजीकरण करवा सकता है। पंजीकरण 5 वर्ष तक वैध है।

महत्वपूर्ण दस्तावेज – जॉब कार्ड

ग्राम पंचायत पंजीकृत परिवार को फोटोग्राफ युक्त जॉब कार्ड जारी करेगी। इस जॉब कार्ड पर पंजीकरण संख्या अंकित होगी। यह जॉब कार्ड पांच वर्ष के लिए वैध होगा।

कार्य के लिए आवेदन

रोजगार पाने के लिए पंजीकृत परिवार के प्रत्येक वयस्क को अधिकार है कि वह ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी (ब्लॉक/पंचायत समिति स्तर पर) को लिखित आवेदन दे और तारीख युक्त पावती प्राप्त करे। आवेदन लगातार कम से कम 14 दिनों के लिए किया जाना चाहिए।

महिलाओं को प्राथमिकता

महिलाओं को लिए प्राथमिकता दी जायेगी जिससे कि रोगगार पाने वालों में से कम से कम एक तिहाई (33 प्रतिशत) संख्या महिलाओं की हो।

समयबद्ध रोजगार आवंटन

- आवेदन करने अथवा रोजगार की मांग करने के 15 दिनों के अन्दर ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार दिया जायेगा।
- ग्राम पंचायत पत्र के माध्यम से आवेदकों को 15 दिन के अन्दर यह सूचित करेगी कि कब और कहां काम के लिए उपस्थित होना है। ग्राम पंचायत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक आम सूचना लगाई जायेगी।

बेरोजगारी भत्ते का भुगतान

यदि आवेदक को कार्य की मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो उसे निर्धारित शर्त के अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। यदि वह व्यक्ति या उसके स्थान पर उसके परिवार का अन्य व्यक्ति आवंटित कार्य के लिए उपस्थित नहीं होता है तो वह बेरोजगारी भत्ते का आगे हकदार नहीं होगा। यह भत्ता राज्य सरकार के निश्चित भार 10 प्रतिशत से दिया जायेगा।

न्यूनतम मजदूरी की गारंटी

- राज्य, कृषि श्रमिकों के लिए लागू न्यूनतम 60 रूपये मजदूरी देगा।
- मजदूरी का भुगतान कार्य पूर्ण होने के 2 सप्ताह के भीतर किया जायेगा। मजदूरी का एक हिस्सा दैनिक आधार पर नकद रूप में दिया जा सकता है।
- कार्य, आवेदक के निवास स्थान से 5 कि.मी. की परिधि के भीतर दिया जायेगा। यदि उसके बाहर रोजगार दिया जाता है तो 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी।
- प्रत्येक कार्य स्थल पर पीने का पानी, छाया, विश्राम स्थल और प्रथामिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध कराई जायेगी।
- यदि कार्य स्थल पर लाये जाने वाले बच्चों की संख्या 5 से अधिक है तो किसी व्यक्ति को बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी जायेगी और ऐसे व्यक्ति को अन्य श्रमिकों की तरह किये गये कार्यों का भुगतान किया जायेगा।
- कार्य स्थल पर रोजगार के दौरान शारीरिक क्षति होने पर श्रमिक का राज्य सरकार द्वारा मुफ्त इलाज कराया जायेगा।

स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन

प्राथमिकता के क्रम में निम्नलिखित कार्य किये जा सकते हैं:

- जल संरक्षण एवं जल संग्रहण।
- सूखा निवारण, वन रोपण और वृक्षारोपण।
- सिंचाई की नहरें, जिसमें मध्यम एवं लघु सिंचाई कार्य शामिल हैं।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवारों के भू–स्वामियों की भूमि अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों की भूमि के लिए अथवा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए सिंचाई सुविधायें।
- पारंपरिक जल निकायों का नवीनीकरण, जिसमें तालाबों से गाद निकालना शामिल है।
- भूमि विकास।
- बाढ़ नियंत्रण एवं ड्रेनेज सहित कार्यों का संरक्षण।
- बारहमासी सड़क संपर्क।
- अन्य ऐसे कार्य जिन्हे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित कर सकती है।
- कार्यक्रम में ठेकेदारों की मनाही अर्थात प्रवेश निषेघ।

अधिनियम का क्रियान्वयन

- ग्राम सभा/पंचायत किये जाने वाले कार्य प्रस्तावित करेगी। क्रियान्वयन में पंचायतों की प्रमुख भूमिका होगी।
- हर कार्य के लिए समुदाय के सहयोग से निगरानी एवं सतर्कता समितियों का गठन होगा। इन समितियों में स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं (एनजीओ) की भी भागीदारी रहेगी।
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्रियान्वित करने वाली सभी एजेंसियां अपने कार्य के लिए जनता के प्रति जिम्मेदार होंगी।
- कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही होगी।
- यह कानून प्रथम चरण में केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित किये गये 200 जिलों में 2 फरवरी, 2006 को अधिसूचित कर लागू कर दिया गया है। इन 200 जिलों में देश के सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा।
- 5 वर्ष में संपूर्ण देश में लागू हो जायेगा।

आशा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को एक अधिनियम के रूप में क्रियान्वित कर संपूर्ण देश के गरीब परिवार लाभान्वित होंगे।

(राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लेखक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, हेलक (राज्य) में शिक्षक हैं।)

ग्रामीण विकास में वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति (ए.डी.आर.) की भूमिका

बंशी धर सिंह

भारत एक प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का देश है। यहां की लगभग 72 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि 'भारत की आत्मा गांवों में बसती है' अर्थात् गांव भारत की हृदयस्थली हैं। इसलिए यदि भारत का विकास करना है तो सबसे पहले गांवों का विकास करना होगा। इसके लिए आवश्यक है कि ग्रामीण जनता को मूलभूत सुविधाएं जैसे रोजगार, आवास, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल आदि उपलब्ध करायी जाये। इसके अतिरिक्त यदि देखा जाये तो स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक ऐसी समस्याएं है जो न केवल ग्रामीण अपितु सम्पूर्ण देश के विकास में बाधक हैं। इसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है ग्रामीणों के बीच विवाद और उसका त्वरित निपटारा न होना। जिससे अधिकांश ग्रामीण अपना अधिकतर समय, धन एवं ऊर्जा अपने विवाद का समाधान कराने में व्यर्थ कर देता है। यदि उनके बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा यथाशीघ्र हो जाये तो, वे आपस में मिलजुलकर स्वयं अपना, गांव का एवं देश का विकास करने में योगदान करेंगे। विवाद का निपटारा एवं न्याय प्राप्त करने के लिए भारत में, संविधान द्वारा न्यायपालिका की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। परन्तु भारत में न्यायपालिका वादों के बोझ से चरमरा गई है। यहां पर वादों का निपटारा होने में काफी समय लग जाता है। जिससे त्वरित न्याय प्राप्त करना सम्भव नहीं है। जिससे वादी तथा प्रतिवादी दोनों का धन तथा समय का नुकसान होता है। साथ ही दोनों पक्षकारों के बीच मनमुटाव भी हो जाता है। ऐसी स्थिति निश्चित ही ग्रामीण विकास में बाधक साबित होती है।

भारत में ग्रामीणों के मध्य विवाद के निपटारा के लिए जो सबसे प्राचीन, सरल, सस्ता एवं सुलभ, शीघ्र न्याय प्राप्त करने का साधन था, वह था 'पंचायत'। जिसे अंग्रेजों के शासन काल में पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया गया। परन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत सरकार ने इसे पुनः जीवित किया और कानूनी स्वरूप प्रदान कर दिया। पंचायत व्यवस्था के साथ–साथ ग्रामीण विवादों का निपटारा कराने का जो सबसे अच्छा माध्यम उभरकर आया वह है वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति (ए.डी.आर)। इसके माध्यम से ग्रामीणों के विवादों का निपटारा सरल, सुलभ, सस्ता एवं शीघ्रता से किया जा सकता है। वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति द्वारा न्याय प्राप्त करने की अवधारणा भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। पुरातन काल में गांव के लोग अपने विवाद चौपाल पर 'पंच परमेश्वर' के माध्यम से निपटा लिया करते थे। वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति इसी पुरातन व्यवस्था का परिष्कृत रूप है। न्यायिक निर्णय जिसमें कि एक पक्षकार विजयी होता है और दूसरा पराजित होता है। इससे पक्षकरों के बीच में कटुता, उत्पन्न होती है, जो सामाजिक सौहार्द्र के लिए उचित संकेत नहीं है। इसलिए यदि आपसी समझौते से विवाद का हल होता है तो पक्षकारों के मध्य सद्भाव बना रहता है। वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति पक्षकारों के बीच आपसी द्वेष व रंजिश को समाप्त करने का काम करती है। वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति के अन्तर्गत निम्नलिखित आते हैं:–

1– माध्यस्थम् 2– सुलह 3– लोक अदालत 4– बीच–बचाव

माध्यस्थम् एवं सुलह के लिए प्रक्रिया एवं वैधानिकता की व्यवस्था माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत की गई है। लोक अदालत के लिए प्रक्रिया एवं वैधानिकता की व्यवस्था विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत की गई है। बीच–बचाव को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत वैधानिक माना गया है। ये सभी व्यवस्थाएं परम्परागत न्यायालय से बाहर न्याय प्राप्त करने की व्यवस्था है। इसमें सिविल एवं आपराधिक दोनों तरह के मामलों का निपटारा किया जा सकता है परन्तु उन्हीं अपराधिक मामलों का निपटारा हो सकता है जिसका सम्बन्ध किसी अशमनीय अपराध से हो। जिन मामलों में समझौता किया जा सकता हो।

वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति के लिए भारतीय विधि आयोग एवं मालीमथ समिति के सुझाव के बाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वर्ष 1999 में संशोधन द्वारा एक नई धारा 89 जोड़ी गई, जिसमें इसे मान्यता प्रदान की गई है। यह धारा पहली जुलाई, 2002 से प्रभावी हो गई है। इस धारा के अनुसार जब न्यायालय को यह प्रतीत हो कि विवाद में वैकल्पिक विवाद निपटारे के लिए ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पक्षकरों को स्वीकार्य हो सकते हैं तब न्यायालय निपटारे के निबंधनों को तय करके पक्षकारों को उनकी टिप्पणी हेतु सौंप देगा और ऐसी टिप्पणी प्राप्त करने के बाद उन निबंधनों के अधीन माध्यस्थम्, सुलह, न्यायिक निपटान जिसमें लोक अदालत द्वारा निपटारा भी सम्मिलित है या बीच–बचाव

में से किसी भी ढ़ंग से विवाद को निपटारे के लिए निर्देशित कर सकेगा।

माध्यमस्थम् द्वारा विवाद निपटारा के लिए माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार यदि विवाद के पक्षकार अपने विवाद का निपटारा माध्यस्थम् द्वारा करवाना चाहते हैं तो, सबसे पहले उन्हें आपस में माध्यस्थम् करार करना होगा कि उनके बीच उत्पन्न विवाद का निपटारा माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसके पश्चात् दोनों पक्षकार एक–एक माध्यस्थ को नियुक्त करते हैं। तत्पश्चात् दोनों माध्यस्थ मिलकर एक तीसरे माध्यस्थ की नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार तीनों माध्यस्थ मिलकर माध्यस्थम् अधिकरण कहलाते है। माध्यस्थम् अधिकरण को वही अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त होती हैं जो विवाद के पक्षकार माध्यस्थम् करार द्वारा माध्यस्थम् अधिकरण को प्रदान करते हैं। माध्यस्थम् अधिकरण पक्षकरों के साथ समान व्यवहार एवं प्राकृतिक न्याय का पालन करेगा। इस अधिकरण पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 लागू नहीं होगा। माध्यस्थम् अधिकरण का स्थान पक्षकार आपसी सहमति से तय करेंगे। यदि पक्षकार स्थान पर सहमत नहीं हो पाते है तो स्थान का चयन माध्यस्थम् अधिकरण पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखकर निर्धारित करेगा। इसी तरह माध्यस्थम् अधिकरण अपनी कार्यवही उस भाषा में करेगा जो पक्षकार निर्धारित करते हैं। माध्यस्थम् अधिकरण विवाद के दोनों पक्षकारों से दावा एवं प्रतिरक्षा के सम्बंध में दस्तावेज एवं साक्ष्य लेगा तथा उनकी सुनवाई एवं कार्यवाही लिखित में करेगा। माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान माध्यस्थम् अधिकरण सुलह या अन्य कार्यवाहियों का उपयोग कर सकता है। यदि माध्यस्थम् कार्यवाही के दौरान पक्षकार आपस में विवाद का निपटारा कर लेते हैं तो माध्यस्थम् अधिकरण कार्यवाही का पर्यवसान कर देगा और पक्षकारों के अनुरोध पर माध्यस्थम् पंचाट के रूप में अभिलिखित करेगा। जिसका वही स्तर एवं प्रभाव होगा, जो अन्य माध्यस्थम् पंचाट का होता है। यदि पक्षकारों के बीच आपस में विवाद का निपटारा नहीं होता है तो माध्यस्थम् अधिकरण कार्यवाही को आगे जारी रखेगा तथा बहुमत के आधार पर माध्यस्थम् पंचाट जारी करेगा। जो कारण सहित, लिखित में एवं माध्यस्थ द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होगा। माध्यस्थम् पंचाट अंतिम तथा क्रमशः पक्षकारों एवं उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी होगा। इसके विरूद्ध न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। माध्यस्थम् पंचाट पक्षकारों पर उसी तरह प्रवर्तित होगा, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत न्यायालय की एक डिक्री लागू होती है।

सुलह द्वारा विवाद का निपटारा करने के लिए माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1966 के भाग–III के अंतर्गत प्रावधान किये गए हैं। विवाद के पक्षकार यदि सुलह द्वारा विवाद का निपटारा करना चाहते हैं तो विवाद का कोई भी पक्षकार विवाद के विषय का संक्षिप्त उल्लेख करते हुए अन्य पक्षकार को सुलह के लिए लिखित में आमंत्रण भेजेगा। यदि दूसरा पक्षकार सुलह के आमंत्रण को लिखित में स्वीकार करता है तब सुलह कार्यवाही प्रारम्भ हो जाती हैं। तत्पश्चात् दोनों पक्षकार एक–एक सुलहकर्ता को नियुक्ति करते है। दोनों सुलहकर्ता विवाद के पक्षकारों से विवाद की सामान्य प्रकृति एवं विधिक तथ्यों एवं साक्ष्यों को प्रस्तुत करने का अनुरोध करेगा तथा इसकी जानकारी दोनों पक्षकारों को देगा। सुलहकर्ता वस्तुपरकता, ऋजुता तथा न्याय के सिद्धान्तों से मार्गदर्शित होगा। सुलहकर्ता विवाद के निपटारे के सम्बन्ध में पक्षकारों से बैठकों में उपस्थित होने एवं सुझाव आमंत्रित करेगा। तत्पश्चात् जब सुलहकर्ता को यह प्रतीत होता है कि तथ्यों में निपटारे के तत्व मौजूद है जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकते है तब वह संभावित करार के निबंधनों को तैयार करेगा तथा अवलोकनार्थ पक्षकारों को सौंप देगा। पक्षकारों के अवलोकनों की प्राप्ति के बाद ऐसे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए सुलहकर्ता सम्भावित करार के निबंधन को पुनः तैयार कर सकेगा। यदि पक्षकार विवाद के निपटारे पर सहमत हो जाते हैं तो वे एक लिखित करार तैयार कर सकते हैं। यदि पक्षकारों द्वारा अनुरोध किया जाता है तो सुलहकर्ता निपटारा करार तैयार कर सकेगा अथवा तैयार करने में मदद कर सकता है। जब निपटारा करार पर दोनों पक्षकार हस्ताक्षकर कर देते हैं एवं सुलहकर्ता उसे अभिप्रमाणित कर देता है तो वह अंतिम तथा क्रमशः पक्षकारों तथा उसके अधीन दावा करने वाले व्यक्तियों पर बाध्यकारी हो जाता है। निपटारा करार के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती है तथा यह भी पक्षकारों पर उसी तरह प्रवर्तित होगा जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत न्यायालय की एक डिक्री लागू होती है।

बीच–बचाव विवादों के निपटारे की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति मध्यस्थ (बीच) का कार्य करता है। वह विवाद के दोनों पक्षकरों के मध्य बीच–बचाव करके मामले का निपटारा करवाता है। यह मध्यस्थ व्यक्ति तटस्थ होता है तथा एक ऐसे समझौते पर पक्षकारों की सहमति प्राप्त करता है जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य होती है। वह पक्षकारों के विधिक अधिकारों को ध्यान में रखकर विवाद का ऐसा हल निकालता है जिससे दोनों पक्षकार संतुष्ट हो। समझौते को एक करार का रूप दे दिया जाता है। जो पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। पक्षकारों द्वारा समझौते के स्वीकार हो जाने से विवाद का निपटारा हो जाता है।

लोक अदालत, पक्षकरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने एवं उनके बीच सोहार्द्र बना रहे, इसी उद्देश्य से विधिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 से 22 में इसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रावधान किया गया। लोक अदालत का आयोजन–

- प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, या
- प्रत्येक जिला प्राधिकरण, या
- सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या
- प्रत्येक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, या

• तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा किया जा सकता है।

लोक अदालत ऐसे अन्तरालों और स्थानों पर तथा ऐसी अधिकारिता के प्रयोग के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए आयोजित की जा सकती है जैसा कि लोक अदालत आयोजित करने वाला उक्त कोई प्राधिकरण अथवा कोई समिति उचित समझे।

लोक अदालत की अधिकारिता वह होगी जो ऐसे न्यायालय में लंबित मामले या किसी ऐसे विषय पर होगी जो उस न्यायालय की अधिकारिता में है और जो उसमें संस्थित नहीं किया गया है। जिसके लिए वह लोक अदालत आयोजित की गई है।

लोक अदालत मामलों का संज्ञान विवाद के पक्षकारों की सहमति से या मामले का कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है कि निपटारे के लिए उसके मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर दिया जाए और ऐसा न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है कि ऐसे निपटारे के अवसर है, या न्यायालय स्व–प्रेरणा से संतुष्ट है कि मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान किए जाने के लिए उपयुक्त है, वहां न्यायालय ऐसे मामले को लोक अदालत को निर्देशित कर देगी। परन्तु जहां न्यायालय विवाद के किसी एक पक्षकार के आवेदन पर या स्वप्रेरणा से मामले को लोक अदालत में भेजना चाहती हो, वहां मामले को लोक अदालत में तब तक निर्देशित नहीं करेगी जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो। तत्पश्चात् लोक अदालत मामले के दोनों पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले कीं सुनवाई करेगी तथा पक्षकारों के बीच समझौता या मामले का निपटारा कराएगी। ऐसा करने में वह न्याय, साम्या तथा शुद्ध अंतःकरण से कार्य करेगी तथा विधि के अन्य सिद्धान्तों का पालन करेगी। यदि मामले में समझौता या निपटारा नहीं होता है तो लोक अदालत मामले को यदि वह लम्बित मामला था तो उस मामले के रिकार्ड को विधि के अनुसार निपटाने के लिए उस न्यायालय को वापस भेज देगी जिस न्यायालय से वह मामला लोक अदालत को निर्दिष्ट किया गया था। परन्तु जहां लम्बित मामला नहीं था वहां लोक अदालत उस मामले के पक्षकारों को समझा देगी कि वे न्यायालय में कार्यवाही करें।

जब लोक अदालत मामले का निपटारा या पक्षकारों के बीच कोई समझौता करा लेती है तब वह पंचाट पारित करती है। लोक अदालत द्वारा पारित पंचाट सिविल न्यायालय की डिक्री या जैसा भी मामला हो, किसी अन्य न्यायालय का आदेश माना जाएगा। लोक अदालत द्वारा दिया गया प्रत्येक पंचाट अंतिम तथा विवाद के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा और इस पंचाट के विरूद्ध कोई अपील नहीं होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति में विवाद के पक्षकारों को अपने विवाद का निपटारा परम्परागत न्यायालय से इतर अन्य संस्थाओं से कराने की सुविधा प्राप्त होती है और इन सभी सुविधाओं में परम्परागत न्यायालय की तरह की प्रक्रिया और विभिन्न औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक नहीं होता है। जिसकी वजह से जो परम्परागत न्यायालय में न्याय प्राप्त करने में देर हो जाती है, वह इस तरह न्याय प्राप्त करने में नहीं हो पाती है। दूसरे इस तरह न्याय प्राप्त करना परम्परागत न्याय से काफी सस्ता, सरल, सुगम एवं शीघ्र भी होता है। इसमें पक्षकारों को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वे आपस में सहमति द्वारा अपने विवाद का निपटारा किस तरह की संस्था के माध्यम से कराना चाहते हैं। वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति में संस्थाओं द्वारा दिये गये पंचाट की वैधानिकता न्यायालय की डिक्री के समान और अन्तिम होती है तथा इसके विरूद्ध अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। इससे दोनों पक्षकार बाध्य होते हैं। चूंकि इस तरह न्याय प्राप्त करने में पक्षकारों को पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उनकी सहमति होती है और किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसलिए विवाद के पक्षकारों के बीच विवाद का निपटारा होने पर कोई मतभेद या कटुता उत्पन्न नहीं होती है तथा उनके बीच सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध बने रहने से ग्रामीण निश्चित रूप से अपने कार्यों पर ध्यान देंगे और अपने धन, समय, श्रम एवं अपने मस्तिष्क का उपयोग अपने विकास, ग्रामीण विकास एवं देश के विकास में कर सकेगें। इसलिए आवश्यक है कि ग्रामीणों द्वारा वैकल्पिक विवाद निपटारा पद्धति को अपनाकर अपने धन, श्रम एवं समय का उपयोग ग्रामीण एवं देश के विकास में किया जाए।

(लेखक लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय में वरिष्ठ प्रवक्ता हैं)

लेखकों से

कुरुक्षेत्र के लिए मौलिक, अप्रकाशित लेखों का स्वागत है। रचना दो प्रतियों में टाइप की हुई हो और उसके साथ मौलिकता का प्रमाण–पत्र संलग्न हो। कुरुक्षेत्र में साहित्यिक रचनाएं प्रकाशित नहीं की जाती हैं। अस्वीकृत रचना लौटाने के लिए कृपया डाक टिकट लगा और अपना पता लिखा लिफाफा लगाएं। लेख संपादक, कुरुक्षेत्र कमरा नं. 655/661, 'ए' विंग, गेट नं. 5, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली–110011 के पते पर भेजें।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार

रवीन्द्र त्रिपाठी

बौद्धिक सम्पदा से आशय मानव मस्तिष्क एवं बुद्धि से किसी डिजाइन, प्रौद्योगिकी व वस्तु का व्यक्ति व संस्था द्वारा आविष्कार करना है। विकास क्रम में बौद्धिक सम्पदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह मानव मूल्यों के विकास एवं अनुरक्षण तथा जीवनोपयोगी वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में सहायक है। यह मानव जीवन यापन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की प्रति व्यक्ति प्रचुर उपलब्धता थी। प्रयोगकर्ताओं का दबाव कम था। परंतु जनसंख्या और आवश्यकता वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर प्रयोगकर्ताओं का दबाव अधिक तेजी से बढ़ा है। अब सामाजिक जीवन की क्रियाविधि में बौद्धिक संपदा की भूमिका श्रम और पूंजी की तुलना में अधिक हो गयी है। बौद्धिक सम्पदा का लाभ उसके आविष्कारक और प्रयोगकर्ता को न्यायोचित आधार पर प्राप्त होना चाहिए। इसलिए बौद्धिक संपदा में अधिकार का तत्व प्रमुख होता रहा है। बौद्धिक संपदा पर अधिकार से आशय बौद्धिक सम्पदा का किसी अन्य के द्वारा प्रयोग किये जाने पर आविष्कारक से स्वीकृति लेने और आविष्कारक को प्रतिफल ले सकने की व्यवस्था है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार का संबंध स्वत्वाधिकार से है। स्वत्वाधिकार से आशय किसी राष्ट्र, व्यक्ति अथवा संस्था के उस अधिकार से है जिससे वह अपनी वस्तु, पदार्थ, उत्पाद, आविष्कार, ट्रेडमार्क अथवा बौद्धिक सम्पदा के किसी भी पक्ष का स्वामी होता है। स्वामी की अनुमति के बिना न उसे बेचा–खरीदा जा सकता है और न ही उसे परिवर्तित या नष्ट किया जा सकता है।

बौद्धिक ज्ञान पर स्वामित्व व पेटेन्ट प्राप्त करना कराना तो भारतीय परंपरा थी ही नहीं, पश्चिम में भी यह प्रथा बहुत बाद में आयी। इंग्लैंड में सर्वप्रथम 1623 में पेटेंट कानून बना जिसे 'एस्टीट्यूट ऑफ मोनोपोली' कहा गया। यह कानून फ्रांस में 1762 और यू.एस.ए में 1790 में बना। अन्य देशों ने भी इस संदर्भ में कानून बनाये। बीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध आते–आते यह अनुभव होने लगा था कि विभिन्न देशों में पेटेंट कानून में समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। अतएव जुलाई, 1967 में पेरिस में वर्ल्ड इन्टलेक्चुअल प्रापर्टी आर्गनाइजेशन-WIPO की स्थापना हुई थी। यह बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु कार्य करता है। इस संगठन को 1974 में सयुंक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था बना लिया था। 'बर्न कन्वेंशन' साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के सरंक्षण से संबद्ध है। यह भी अनुभव किया जा रहा था कि विश्व व्यापार की क्रियाविधि में बौद्धिक संपदा के व्यापार संबद्ध पक्ष के नियमन हेतु कोई सर्वमान्य और बहुपक्षीय विधान नहीं है। प्रत्येक देश ने अपनी बौद्धिक संपदा से संबद्ध एक देश की व्यवस्था और कानूनों का उल्लघंन दूसरे देश की व्यवस्था और कानून के अनुसार अनुचित नहीं रह जाता था जो विनियोगकर्ताओं के लिए हानिकर था। अतः बौद्धिक संपदा के व्यापार संबद्ध पक्ष पर बहुपक्षीय संदर्भ में संगत सिद्धांत और नियम बनाये गये।

व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार पर समझौता

विश्व व्यापार संगठन में व्यापार संबद्ध अधिकार (TRIPs) के संदर्भ में नियम बनाये गये। इसमें बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु तथा बौद्धिक संपदा सृजित करने वाले के लिए सम्यक प्रतिफल प्राप्त कर सकने की दशायें सम्मिलित की गयी हैं ताकि समग्र रूप से बौद्धिक संपदा का विकास हो। व्यापार से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकार पर समझौता (ट्रिप्स) बौद्धिक संपदा अधिकार पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों पर आधारित है। इसमें यह व्यवस्था है कि (i) व्यापार प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के बुनियादी सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाए? (ii) बौद्धिक संपदा अधिकारों का पर्याप्त संरक्षण कैसे हो? (iii) विभिन्न देश इन अधिकारों का प्रर्वतन कैसे करें? (iv) विवादों का निपटारा किस प्रकार हो? (v) नई व्यवस्था लागू होने के दौरान विशेष संक्रमणकालीन व्यवस्थाएं क्या हों? यह निम्नलिखित सात प्रकार की बौद्धिक संपदा पर लागू होता है।

(1) पेटेंट – पेटेंट आविष्कारों पर संपत्ति का अधिकार प्रदान करते हैं। आविष्कार ऐसा होना चाहिए जो एक खास समस्या का व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करे। पेटेंट के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आविष्कार का नया होना, आविष्कार की कड़ी से गुजरना और औद्योगिक उपयोग के लायक होना जरूरी है। समझौते में प्रावधान है कि देश तकनीक में हर क्षेत्र में आविष्कार के लिए उत्पाद तथा प्रक्रिया दोनों क्षेत्र के लिए पेटेंट प्रदान करेंगे।

(2) कॉपीराइट – कॉपीराइट के अंतर्गत संरक्षण के दायरे में साहित्यिक, वैज्ञानिक और कलात्मक अभिव्यक्ति के सभी प्रकार आते हैं। यह मौलिक होनी आवश्यक है। विचार भले ही मौलिक न हो, परंतु अभिव्यक्ति का तरीका मौलिक होना चाहिए। कॉपीराइट के स्वामी अन्य लोगों को अपनी अनुमति के लिए उसके उपयोग से रोक सकते हैं।

(3) ट्रेडमार्क – ट्रेडमार्क पर हुए समझौते में 'ट्रेडमार्क' की परिभाषा, ट्रेडमार्क धारक का एकमात्र अधिकार, ट्रेडमार्क के

उपयोग के लिए विशेष शर्तें लगाए जाने का निषेध, ट्रेडमार्क का निरस्तीकरण आदि पर नियम सम्मिलित हैं। ट्रेडमार्क की परिभाषा एक ऐसे चिह्न के रूप में दी गई है जो एक औद्योगिक या व्यावसायिक उपक्रम के उत्पादों को अन्य उपक्रमों के उत्पादों से अलग करता है। यह चिह्न शब्दों, अक्षरों, अंकों, आकृतियों और रंगों के मेल के रूप में हो सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर लगातार पिछले तीन वर्ष से इसका उपयोग न किया जा रहा है तो किसी ट्रेडमार्क को अलग किया जा सकता है।

(4) औद्योगिक डिजाइन – समझौते के दायरे में औद्योगिक डिजाइन आते हैं जो उत्पाद की आकृति रेखाओं, मूलभाव और रंगों आदि के रूप में व्यक्त होते हैं। समझौता सदस्य देशों से नए एवं मौलिक औद्योगिक डिजाइनों की रक्षा करने को कहता है।

(5) एकीकृत सर्किट का लेआउट डिजाइन – अगर अन्य प्रावधान न हों तो यह समझौता सदस्य देशों से एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन की रक्षा करने को कहता है।

(6) ट्रेड सीक्रेट – ट्रिप्स समझौता पहली बार ट्रेड सीक्रेट या जानकारियों को संरक्षण देता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कानूनी रूप में कोई गोपनीय सूचना है जिसका मूल्य है तो उसे उसकी अनुमति के बिना किसी अन्य को उपयोग करने से रोकने का अधिकार है। जांच के लिए आंकड़े मांगने और जांच करने का सरकार का अधिकार बना रहेगा ताकि औषधि या अन्य रसायनों का विपणन अधिकार देने के पहले सरकार दावों की पुष्टि कर सके।

(7) ज्योग्राफिकल इन्डिकेशन – कई उत्पाद क्षेत्र विशिष्ट होते हैं। उनकी पहचान क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। इन उत्पादों की ख्याति प्रकृति और मनुष्य के दीर्घकालीन दृढ़ प्रयास का परिणाम होती है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांरित होती है। भारतीय मसाले, ढाका का मलमल, दार्जलिंग चाय, चीन का सिल्क, अरब के घोड़े, भारत का बासमती चावल, अल्फान्जो आम, नागपुर के संतरे, इलाहाबाद के अमरूद, बीकानेरी भुजिया आदि क्षेत्र विशिष्ट उत्पादन के उदाहरण हैं। ट्रिप्स समझौते में 'ज्योग्राफिकल इन्डिकेशन' के आधार पर इनको संरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यदि संदर्भित उत्पादन मूल देश में संरक्षित हो और दीर्घकाल से चलन के बाहर न हों।

बौद्धिक संपदा अधिकार में पेटेंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं पेटेंट का प्रावधान अत्यंत विवादास्पद बना है। विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार प्रावधान के अनुसार प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र उत्पाद अथवा प्रक्रिया के अन्वेषण पर पेटेंट उपलब्ध होगा बशर्तें कि वे नये हों, उनमें अन्वेषणात्मक घटक हों तथा वे औद्योगिक उपयोग हेतु सक्षम हों। यह बौद्धिक संपदा के संरक्षण की व्यापक व्यवस्था करता है। पेटेंट प्राप्तकर्ता को पेटेंट प्राप्त करने की प्रक्रिया में अपने आविष्कार के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। पेटेंट के धारक को इसे उत्तराधिकार में हस्तांरित करने का भी अधिकार होगा। उत्पाद पेटेंट के संदर्भ में पेटेंट अधिकार की व्यवस्था किसी अन्य को पेटेंट कराये गये उत्पाद को बनाने, विक्रय और आयात हेतु रोकती है। उक्त अधिकार के उल्लंघन की अवस्था में साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व उल्लंघनकर्ता पर होगा अर्थात उल्लंघन करने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि उसने बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। पेटेंट की अवधि आवेदन की तिथि से 20 वर्ष की होगी।

व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार प्रावधान (ट्रिप्स) भारत के 1970 के पेटेंट कानून से सर्वथा भिन्न है। भारत में किसी आविष्कारक का 5 से 7 वर्ष का पेटेंट अधिकार दिया गया है। इस अवधि में आविष्कार के प्रयोग और वितरण पर देश के भीतर पूर्ण स्वामित्व होगा। परंतु इसके देश के बाहर होने वाले उपयोग पर आविष्कारक का स्वत्वाधिकार नहीं रहता है। यह खाद्य सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर लागू होता है। दवाओं, रासायनिक प्रक्रिया एवं उत्पाद पर केवल 5 या 7 वर्ष के लिये लागू होता है। परंतु इस अवधि में भी सरकार जनहित में पेटेंट अधिकार वापस ले सकती है। पेटेंट आयात के संदर्भ में यह व्यवस्था की गयी कि पेटेंट आयात राजकीय एवं जनहित में सरकारी तंत्र द्वारा किया जायेगा। इसमें शोधकर्ता एवं अध्ययन के लिये किसी पेटेंट की व्यवस्था नहीं की गयी है। शोध एवं अध्ययन हेतु किसी पेटेंट का कोई भी उपभोग कर सकता है। यह नाभिकीय ऊर्जा, कृषि प्रणाली, बागान प्रणाली, जैव प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और उत्पाद को छोड़कर लागू किया जाता है। पेटेंट स्वीकृति के बाद लाइसेंस की व्यवस्था है जिसे 'अधिकार के लिये लाइसेंस' कहा जाता है। इससे पेटेंट का नियमन किया जा सकता है और जनहित में पेटेंट को निरस्त किया जा सकता है। दूसरी ओर ट्रिप्स की व्यवस्था में न तो अधिकार के लिए अनिवार्य लाइसेंस ओर न ही पेटेंट को निरस्त करने की व्यवस्था है।

विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के अनुसार सदस्य देशों को यह विकल्प दिया गया कि वे विश्व व्यापार संयोजन के प्रभावी होने के दस वर्ष तक की अवधि में या तो विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अनुसार पेटेंट व्यवस्था लागू करें अथवा पेटेंट के संदर्भ में ट्रिप्स से संगत अपना कानून अर्थात सूई जेनरिस बनायें। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन के व्यापार संबद्ध बौद्धिक संपदा अधिकार प्रावधान के समझौते के अनुसार सदस्य देशों को अपने पेटेंट कानून में तदनुसार परिवर्तन और संशोधन करना है अथवा 1 जनवरी, 2005 तक ट्रिप्स के संगत अपने पेटेंट कानून में संशोधन करना था। विश्व व्यापार संगठन लागू होने के बाद भारत में अपने पेटेंट कानून में 1999, 2002 और 2003 में संशोधन किया गया। अन्ततः 23 मार्च, 2005 को 'भारतीय पेटेंट

कानून 1970' का संशोधन किया गया। इस प्रकार 1 जनवरी, 2005 से भारत का पेटेंट कानून विश्व व्यापार संगठन के पेटेंट कानून के संगत बन गया है। इस प्रकार किसी भी अन्वेषण पर चाहे वह प्रक्रिया हो या उत्पाद पेटेंट कानून लागू होगा बशर्ते कि उसमें नव्यता और नयापन हो। अब अन्वेषक को उसकी प्रौद्योगिकी के प्रत्येक क्षेत्र में बौद्धिक संपदा पर 20 वर्ष का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। पेटेंट धारक का यह अधिकार उसकी अगली पीढ़ी के लिए भी हस्तांतरणीय होगा। इस पेटेंट कानून में सबसे मुख्य बात ये है कि विवाद की स्थिति में साक्ष्य देने का दायित्व प्रतिवादी पर होगा, ट्रिप्स की व्यवस्थानुसार यद्यपि मानव एवं पशुओं के उपचार के लिए निदान शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान और माध्यमों तथा सूक्ष्मजीवियों के अतिरिक्त पौधों एवं वनस्पतियों पर हुये शोध एवं अन्वेषण तथा बौद्धिक संपदा यद्यपि परिधि से बाहर है। परंतु अमरीकी उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार 1980 में डायमंड बनाम चक्रवर्ती मुकदमें में जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के लिये कार्य कर रहे भारतीय वैज्ञानिक आनंद मोहन चक्रवर्ती को एक नये बैक्टिरिया पर पेटेंट अधिकार प्राप्त हो गया। इसने जीवन को पेटेंट की परिधि में ला दिया। इस निर्णय के कुछ समय बाद से ही पौधे, वनस्पतियों, सूक्ष्म जीवियों, मानव कोशिकाओं आदि पर पेटेंट अधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया चल पड़ी।

ट्रिप्स से संगत संशोधित पेटेंट कानून, 2005 लागू होने से भारत 1970 के पूर्व की स्थिति में आ गया है जब उत्पादक संस्थान अपना उत्पाद एकाधिकार बनाए रखने में समर्थ थे। उनको उत्पाद पेटेंट अधिकार था। इस कारण भारतीय कंपनियां इन उत्पादों में प्रवेश नहीं कर सकती थीं। दवाईयों के क्षेत्र में यह समस्या अधिक जटिल थी। उत्पाद पेटेंट लागू होने के कारण दवाईयों की सामान्य कीमत में वृद्धि हो रही है। कई गंभीर और जीवनरक्षक बीमारियों के दवाओं के दाम बढ़ने लगे हैं और दुनिया के विभिन्न देशों में सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे उत्पन्न होने लगे हैं। अमरीका में 11 सितंबर, 2000 के बाद फैली एन्थ्रेक्स बीमारी के लिये पेटेंट युक्त दवा अपर्याप्त हो गयी और सरकार को पेटेंट धारक कंपनी का पेटेंट निरस्त करना पड़ा। यह स्थिति अन्यत्र कहीं भी उत्पन्न हो सकती है। इसी चिंता से डब्ल्यू.टी.ओ को दोहा सम्मेलन, नवंबर 2001 में यह घोषणा करनी पड़ी "ट्रिप्स समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराते हुए घोषणा करते हैं कि समझौते की व्याख्या और क्रियान्वयन इस तरह किया जाये और किया जाना चाहिये जिससे डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के अधिकारों की रक्षा हो सके और सभी दवायें उपलब्ध हो सकें।"

भारत विभिन्न फसलों और वनस्पतियों का उद्गम स्थल है अब ट्रिप्स समझौते की व्यवस्थानुसार बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न जड़ी–बूटियों, वनस्पतियों, फसलों और जीव–जंतुओं पर अपना पेटेंट अधिकार प्राप्त कर सकती हैं। फसल बीजों और वनस्पतियों पर पेटेंट अधिकार प्राप्त हो जाने की स्थिति में कृषकों के लिये इनका प्रयोग पूर्ववत सुलभ न रह सकेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां पीढ़ियों से भारतीय कृषकों और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किये गये बीजों और पौध प्रजातियों में सामान्य परिवर्तन करके अपने स्वयं के अन्वेषण के नाम पर भारत की संपन्न जैविक विविधता पर अपना अधिकार स्थापित कर सकती हैं। अभी तक ही कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न वनस्पतियों और कृषि उत्पादकों पर पेटेंट अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। यूएसए के यूनाईटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कार्यालय ने भारतीय हल्दी और नीम पर पेटेंट अधिकार स्वीकृत कर दिया। इसके विरोध में सीएसआईआर ने विविध साक्ष्य दिये और सफलता पाई। इसी प्रकार बाहर की कंपनियों ने तुलसी, करेला, जामुन और चावल का पेटेंट कर लिया था जिसे लंबी लड़ाई के बाद पेटेंट से बाहर किया गया। अब जीन हस्तांतरण की प्रक्रिया द्वारा इन बीजों को अत्यंत लाभदायक और उत्पादक बनाया जा सकता है। इन बीजों को बचाये रखने के लिये आवश्यक है कि बीज व्यापार में वैदेशिक क्षेत्र के निर्बाध प्रवेश को रोका जाये अन्यथा जैव संपदा पर भी भारतीय स्वामित्व न रह जायेगा। भारतीय कृषि प्रणाली में दूर अतीत से कृषकों ने अपने लगन और परिश्रम से विभिन्न फसलों के पृथक स्वाद, गुणवत्तायुक्त, बीमारियों को सहन कर सकने की क्षमता, विविध परिपक्वता अवधि और गुणधर्म वाले बीजों की एक शक्तिशाली श्रृंखला तैयार की थी जो हरित क्रांति आरंभ होने के समय से ही क्रमशः ढ़हने लगी। परंपरागत बीज चलन से बाहर होने लगे हैं। मोटे अनाजों की तो कई प्रजातियां सवां, कोदौं, रागी आदि चलन से बाहर हो गए हैं। कृषि हस्तक्षेप कृषि की सहज क्रियाशीलता में बाधक होगा। ❁

(लेखक यूनाइटेड इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट, इलाहाबाद के प्रबंध विभाग में प्रवक्ता हैं)

कुरुक्षेत्र मंगाने का पता

विज्ञापन और प्रसार प्रबंधक
प्रकाशन विभाग
पूर्वी खंड-4, तल-7
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066

मूल्य एक प्रति	:	सात रुपये
वार्षिक शुल्क	:	70 रुपये
द्विवार्षिक	:	135 रुपये
त्रिवार्षिक	:	190 रुपये

विदेशों में (हवाई डाक द्वारा)

पड़ोसी देशों में	:	500 रुपये (वार्षिक)
अन्य देशों में	:	700 रुपये (वार्षिक)

किसानों के लिए कृषि लागत कम करने का जरिया बनी जीरो टिलेज तकनीक

हरीश तिवारी

भारत में किसानों की सबसे बड़ी समस्या कृषि के लिए जरूरी वस्तुओं की लागत में लगातार होने वाली वृद्धि है। एक ओर जहां साल–दर–साल डीजल, कीटनाशक, उर्वरक और बीजों की कीमतों में वृद्धि हो रही है वहीं किसानों को कड़ी मेहनत के बाद भी फसलों की उचित कीमत नहीं मिल पाती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। एक सर्वे के मुताबिक पिछले 15 सालों के दौरान तकरीबन 10 फीसदी किसानों ने कृषि से अन्य व्यवसायों की ओर रुख किया है। कृषि लागत को कम करने के लिए कृषि वैज्ञानिक नए–नए शोध कर रहे हैं ताकि किसानों को बढ़ती लागत से राहत मिल सके।

तकरीबन आठ साल पहले अस्तित्व में आई जीरो टिलेज तकनीक किसानों के लिए लागत कम करने का बेहतर जरिया बन गई है। इस तकनीक के सफल इस्तेमाल का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है कि पिछले आठ सालों के दौरान देश के तकरीबन 20 लाख हेक्टेयर में किसान इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है अगले कुछ सालों के दौरान इस तकनीक का इस्तेमाल अन्य किसान भी करने लगेंगे। यह तकनीक खासतौर से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और गेहूं उत्पादक राज्यों में इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। उत्तरी राज्यों में अब तक तकरीबन 20 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में जीरो टिलेज के जरिए खेती की जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले दो साल में 40 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में यह तकनीक अपनाई जाएगी। इसमें 10 लाख हेक्टेयर सालाना की बढ़ोत्तरी हो रही है। हालांकि कृषि वैज्ञानिक यह भी दावा करते हैं कि इस तकनीक से फसल की पैदावार में भी वृद्धि होती है।

जीरो टिलेज तकनीक कृषि की ऐसी तकनीक है जिसमें फसल खेतों से काटने के बाद खेत में बचे रेजीडयू यानी पुआल को जलाया नहीं जाता है और जीरो टिलेज तकनीक के माध्यम से नई फसल के लिए उर्वरक के साथ बीज खेतों में बोया जाता है। इससे जहां दोबारा उर्वरक डालने के खर्च से बचा जा सकता है। वहीं खेत की बार–बार जोताई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेजीडयू के खेत में रहने से पोषक तत्व जमीन में बरकरार रहते हैं और पानी की खपत कम होती है। इस तकनीक से जमीन की ज्यादा जोताई नहीं की जाती है। जबकि अन्य तकनीकों में खेत को कई बार जोता जाता है, जिसमें किसान को काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान खेत को तैयार करने के लिए 6 से 7 जोताई करते हैं और इसमें परंपरागत तरीके से की जाने वाली विधि से प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम बीज की खपत होती है जबकि जीरो टिलेज के माध्यम से 102.5 किलोग्राम बीज का उपयोग होता है। इसके साथ ही इस तकनीक के जरिए बोई जाने वाली फसल के बीज का अंकुरण दो दिन पहले ही हो जाता है। फसल को खरपतवार भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इस तकनीक से खरपतवार उपर नहीं आ पाते हैं। जिससे फसल को नुकसान नहीं होता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, श्री मंगल राय के मुताबिक जीरो टिलेज तकनीक के जरिए फसलों की बुआई के लिए 'इनपुट कॉस्ट' यानी लागत में कमी आती है। इससे पानी की बचत भी काफी होती है। जमीन में पानी का स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। लिहाजा इस तकनीक के इस्तेमाल से किसान 25 फीसदी से ज्यादा पानी की बचत कर सकता है। श्री राय के मुताबिक उत्तरी राज्यों में इस तकनीक के जरिए हर साल करीब 4 से 6 सौर करोड़ रुपये की बचत हो रही है। श्री राय ने बताया कि पहले खेतों में फसल रेजीडयू यानी पुआल को जला दिया जाता था। लेकिन इस तकनीक के बाद खेतों में पुआल को जलाया नहीं जाता है। जो पानी के संरक्षण के साथ ही जमीन की पोषण क्षमता बरकरार रखने में काफी मददगार है।

श्री राय के मुताबिक महज आठ सालों में यह तकनीक उत्तरी राज्यों में काफी मशहूर हो गई है। फिलहाल इन राज्यों में बीस लाख हेक्टेयर क्षेत्र में इस तकनीक के माध्यम से खेती की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर और हरियाणा में तकरीबन 10 लाख हेक्टेयर में इस तकनीक का प्रयोग हो रहा है। श्री राय के अनुसार इसमें हर साल करीब दस लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की बढ़ोत्तरी हो रही है। श्री राय मानते हैं कि अगले दो साल में 40 लाख हेक्टेयर भूमि इस तकनीक के दायरे में आ जाएगी। अब बिहार में भी यह तकनीक काफी मशहूर होने लगी है।

पंजाब में इस तकनीक को कम अपनाया गया है। जबकि राज्य के अमृतसर जिले में इस तकनीक को विकसित किया गया है। आईसीएआर द्वारा पंजाब में इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने के लिए फील्ड डेमोंस्ट्रेशन किया जा रहा है। अगर पंजाब के किसान इस तकनीक का इस्तेमाल करें तो इससे पंजाब के जल स्तर को संरक्षित करने में मदद मिल सकती है। क्योंकि पंजाब में जमीन के पानी का स्तर काफी नीचे जा रहा है। इस तकनीक से पंजाब और हरियाणा में कार्बन की मात्रा .5 फीसदी से घटकर .2 फीसदी रह गई है।

सामुदायिक बीज बैंक से किसानों की बेहतरी

एल. सी. जैन

हाल ही में प्रख्यात कृषि अर्थशास्त्री वाई के अलग ने "भारत के किसानों की खस्ता हालत" के बारे में चिंता व्यक्त की, और कहा कि खासकर "बीजों के मामले में तो हमें नए सिरे से योजना बनानी होगी।" वे संकर बीजों और बीटी कॉटन के बारे में बात कर रहे थे।

लेकिन किसान अपनी ही तरह से बीजों की तलाश कर रहे हैं। यह बात और है कि वे संकर किस्म के बीजों से अलग दूसरे बीजों पर जोर दे रहे हैं। वे सामुदायिक बीज बैंक, ग्रीन फाउंडेशन के बीजों पर निर्भर कर रहे हैं। वे अब समझने लगे हैं कि कृषि में आनुवांशिक विविधता के चलते फसलों और पशुओं को नए कीटों और बीमारियों को झेलने में तो मदद मिलती ही है, इससे पर्यावरण और जलवायु भी बदलती है।

संकर बीजों के आने से पहले समुदाय द्वारा रखे जा रहे बीज ही खेती में आत्म–निर्भरता का आधार हुआ करते थे। दुनिया में लगभग 60 प्रतिशत खेतिहर जमीन पर पारंपरिक या सीमांत किसानों द्वारा खेती की जाती है। दुनिया भर में आजीविका के लिए जरूरी महत्वपूर्ण आनुवांशिक विविधता का संरक्षण महिलाएं ही करती हैं। प्रत्येक प्रजाति में जो विविधता देखने में आती है, वह चकित कर देने वाली है। उदाहरण के लिए 'ओराइजा सातीवा' चावल की 50 हजार से 20 लाख तक प्रजातियां हैं। निर्वाह योग्य खेती के लिए बीज बहुत जरूरी होता है। अगर बीज नहीं तो कुछ भी नहीं है। किसान इस बात को भली–भांति समझता है।

सामुदायिक कृषि में पारंपरिक किस्मों के संरक्षण की स्थिति में ग्राम स्तर की सुविधाएं आती हैं और सामुदायिक कृषि की प्रक्रिया में सामुदायिक बीज बैंक एक अभिन्न अंग होता है। दो एकड़ खेतिहर जमीन का मालिक मुकप्पा पूजार हिसाब लगाते हुए कहता है, "अगर हम देसी बीज इस्तेमाल करते हैं और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद कर देते हैं तो मुझे यकीन है कि हम साल में पांच हजार रुपए तो बचा ही लेंगे।

बीज बैंक आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर वनजा राम प्रसाद याद करती हुई कहती हैं, "हमने मात्र पांच महिला किसानों, मुट्ठी भर बीज, मवेशी घर और कर्नाटक की सीमा के साथ लगते हुए तमिलनाडु की शुष्क जमीन के टुकड़ों पर थल्ली में सामुदायिक बीज बैंक नेटवर्क की शुरूआत की थी। शुरू में उन्होंने बुजुर्गों से इस्तेमाल किए जाने वाले और विलुप्त या सालों से इस्तेमाल न किए जाने के कारण भुला दिए जाने वाले बीजों के बारे में जानकारी इकट्ठी की। जिन किसानों ने अपनी जमीन में जगह दी उनके खेतों से प्राप्त बीजों के बहुगुणन का काम शुरू किया। बीजों की शुद्धता बनाए रखने के लिए बीज बैंक के सदस्यों ने कुछ नियम बनाए कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाएगा। कलम्मा, कहती है, "समय–समय पर हम खेतों में जाते हैं और देखते है कि किसान नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं।"

कोलार जिले के कुरुबरहल्ली की महिला किसान 47 वर्षीय पापम्मा की जिंदगी उसके गांव में बीज बैंक परियोजना के आरंभ होने के बाद बदल गई। उसके पास पांच एकड़ जमीन थी जिसमें से कुछ तो वर्षा पर निर्भर थी और कुछ में सिंचाई सुविधाएं मौजूद थीं। आज उसके घर में भी एक बीज बैंक है। उसके बीज बैंक में रागी को तीन, धान की चार, बाजरे की छह, तिलहन की तीन, दलहन की चार और सब्जियों के बीजों की 37 किस्में हैं। अब आप पापम्मा को किसान कहेंगे या एक वैज्ञानिक ?

आपने कभी जैव बम के बारे में सुना है ? यह नेलमंताला के एक किसान विजय कुमार का आविष्कार है। यह एक कीटनाशक है जिसे कड़वे पत्तों को मिलाकर बनाया जाता है क्योंकि यह सोचा जाता है कि किसी भी कड़वी चीज में कीड़ों को दूर रखने की क्षमता होती है। नीम, एक्का, होंजे, निशांदारा और नीम की छाल को एक थैले में भर लिया जाता है और इस थैले को ऐसी जगह पर एक उथले से गड्ढे में रख दिया जाता है जहां से होकर पानी धान के खेत में प्रवेश करता है। पानी इस थैले से होकर बहता है और अपने साथ पत्तों के कड़वे रस को लेकर जाता है। इस प्रकार इससे कई तरह के कीड़े दूर रहते हैं।

वनजा इस प्रयास के बुनियादी महत्व को समझाती है। जब समुदाय भागीदारी वाले अनुसंधान के लिए तैयार होते हैं तो ज्ञान उनका हिस्सा बन जाता है और यह उन्हें अपनी पारिस्थितिकी को बनाए रखने में मदद करता है। खाद्य सुरक्षा और बीज सुरक्षा आपस में इतनी मजबूती से जुड़ी होती है कि एक के बने रहने पर ही दूसरे का अस्तित्व कायम रहता है। वे सहज ही जानते हैं कि बीज ही जीवन की शुरूआत है और उसे हवा में छितराने से एक नई शुरूआत होती है।

(साभारः एशियन एज)

स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच

बिहार स्वयं सहायता निर्माण के मामले में भारत को एक नई दिशा देने की स्थिति है और इसका उदाहरण इसका गवाह बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का खुदीराम बोस स्टेडियम तब बना जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक स्वयंसेवी संगठन निर्देश के बैनर के तले हजारों हजार की संख्या मे स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक स्वय सहायता समूह की महिलाएं न सिर्फ एक बड़े मैदान को भर दिया बल्कि मुजफ्फरपुर की सड़कें भी समूह की महिलाओं से पट गई। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित रैली एवं सभा का उद्‌घाटन किया। उद्‌घाटन भाषण में माननीय मंत्री डा. सिंह ने कहा कि आज की रैली देखने से ऐसा लगता है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह योजना गरीब भारत की तस्वीर बदलने लगी है। उन्होंने स्वयंसेवी संगठन 'निर्देश' के द्वारा गठित मुजफ्फरपुर जिले के कांटी, मड़वन, गोतीपुर प्रखंड के लगभग 900 समूह की करीब 10,000 महिलाओ की एकता देख कही कि वह दिन दूर नहीं कि पिछड़ेपन का प्रतीक बन चुका बिहार विकास मामले में भारत को एक नई दिशा देगा। उन्होंने स्वयंसेवी संगठनों का आह्वान किया कि गरीब एवं बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए ऊपर गरीबी एवं बेरोजगारी का कलंक को मिटाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है। इस योजना के समूह गतिविधियों पर विशेष बल दिया जाता है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गांव के विकास के लिए चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि स्वयं सहायता समूह का निर्माण भारत सरकार की एक क्रांतिकारी कदम है जिसके जरिये हम न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं बल्कि एकजुट होकर सामाजिक कुरीतियां, नारी उत्पीड़न, छुआछूत, ऊंच–नीच के भेदभाव को भी मिटा सकते हैं। डा. सिंह ने कहा कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत जिन गांवों में स्वयं सहायता समूह का निर्माण हुआ है वहां से गरीबी एवं बेरोजगारी इस कदर भागना शुरू किया कि वे सरकार के इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए आगे आएं और स्वयं सहायता समूह निर्माण को एक जन आदोलन का रूप दे। निर्माण को और अधिक चुस्त एवं दुरस्त बनाने की दिशा में आवश्यक पहल की करने की आवश्यकता जताई। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। बल्कि देश की आधी आबादी महिलाओं द्वारा क्रांतिकारी कदम उठाये जाने से ग्रामीण भारत की तस्वीरें बदलने लगी है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस योजना को अधिक सही ढंग से जमीन पर उतारने से कम समय में हम अपने देश के ऊपर बेरोजगारी एवं गरीबी रूपी कलंक को मिटा कर आर्थिक विकास के क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर उभरने में मदद मिलेगी। स्थाई आय सृजन करने एवं निर्धनता रूपी कोढ़ को मिटाने के लिए स्वरोजगार की दिशा में स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक सार्थक क्रांतिकारी सोच है। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश के व्यक्तियों के समूह में आपसी सहयोग की संभावना से रोजगार के अवसर के साथ–साथ ऊंच–नीच छुआछूत जातीय एवं धार्मिक उन्माद जैसी सामाजिक कुरीतियां भी मिटती दिखाई दे रही है। आज जिस समाज से स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना एस.जी.एस.वाई की पहुंच हो रही है गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले स्वयं सहायता समूह निर्माण कर रहे हैं वहां से गरीबी, बेरोजगारी एवं सामाजिक उत्पीड़न उस तरह भाग रहा है जैसे रोशनी देखते अंधकार। भारत की तस्वीर बदलने की दिशा में सार्थक सोच रखने वाले सांसद ले लेकर जिला स्तरीय पंचायत के सभी जन प्रतिनिधि के लिए एक गंभीर चुनौती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के क्रांतिकारी कदम को समाज के अंतिम लोगों तक ले जाने की दिशा में जुट गए और स्वयं सहायता समूह निर्माण को जन आंदोलन के स्वरूप दें। लेकिन हाल के दिनों में ग्राम श्री एवं सरस मेला का जो परिणाम उभरकर आया है वह स्वयं सहायता समूह के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मेला सरकारी दिखावा ज्यादा, सामानों की बिक्री का माध्यम कम रहा। जरूरत इस बात की है कि इन मेलों को व्यावहारिक बनाया जाए ताकि स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित सामानों को एक अच्छा बाजार मिल सके। कई जगहों से स्वयं सहायता समूह निर्माण के बाद बैंकों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने की शिकायत आ रही है। यह सत्य है कि जब बैंक इस दिशा में बहुत आगे बढ़कर साथ नहीं दे तो मजदूरोन्मुखी सरकार की यह अति महत्वाकांक्षी योजना दम तोड़ देगी। इस योजना में लक्ष्य का 50 प्रतिशत महिलाओं का समूह बनाना है। समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण देना तथा समूह और बैंक के बीच एक कड़ी बनने में

अधिकारियों का आगे आना जैसी प्रमुख समस्याएं दिख रही हैं। जिसे शीघ्र समाधान करने की जरूरत है।

इसके पूर्व बिहार के मुजफ्फरपुर, भगवानपुर के एक मैदान से निकले 10,000 महिलाओं के जत्थे से पूरा शहर अस्त–व्यस्त हो गया। घंटों यातायात व्यवस्था चरमरा गई। रैली ज्योंहि खुदी राम बोस स्टेडियम में पहुंची लगा कि पूरे मैदान में जन सैलाब उभर गया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं रैली से लेकर माननीय मंत्रीजी के उद्‌घाटन भाषण तक जिस अनुशासन एवं धैर्य का परिचय दिया उससे यह साफ दिख रहा था कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न वे सिर्फ बेरोजगारी दूर की है बल्कि समाज को अनुशासित एवं संगठित होकर एक नई दिशा भी देंगे। 'निर्देश' द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को माननीय मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह के अलावा संस्था के सचिव डा. सत्येन्द्र कुमार सिंह, अदिथि के कार्यकारी सचिव गणेश प्रसाद सिंह, तिगुल के प्रबंध निदेशक एस.एन. व्होरी, बिहार राज्य महिला विकास निगम के जमीज अख्तर खान आदि ने संबोधित किया।

(भूपाल भारती, सहायक निजी सचिव, ग्रामीण विकास मंत्री)

स्व–सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों का विपणन

ग्रामीण विकास मंत्री डॉ0 रघुवंश प्रसाद सिंह ने लोकसभा में बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्नलिखित माध्यमों से स्व–सहायता समूहों की उनके उत्पादों के विपणन में मदद करता है :–

- भारत के विभिन्न राज्यों में राष्ट्र स्तरीय (आईआईटीएफ सरस) और क्षेत्र स्तरीय सरस मेलों का आयोजन।
- स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेष परियोजनाओं अर्थात राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान आदि के अंतर्गत उनके उत्पादों के डिजाइन में सुधार।
- एसजीएसवाई विशेष परियोजनाओं के अंतर्गत 8 राज्यों में ग्रामीण हाट जैसी विपणन संबंधी आधारभूत सुविधाओं के सृजन में मदद।
- लेखा, विपणन आदि में उन्हें उचित प्रशिक्षण।
- उनके उत्पादों के ई–कॉमर्स में उनकी मदद।
- एसजीएसवाई आधारभूत सुविधा कोष के अंतर्गत प्रतिवर्ष प्रति जिला ग्राम विकास एजेंसी 5 लाख रुपए मुहैया कराकर।

तथापि, राज्य सरकारों और जिला ग्राम विकास एजेंसियों द्वारा मंत्रालय की सहायता से इन सभी प्रयासों को निष्पादित एवं कार्यान्वित किया जाता है।

महाराष्ट्र सरकार से पुणे, औरंगाबाद और नागपुर में और मेलों का आयोजन करने के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ है। तथापि, सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक राज्य में प्रति वर्ष केवल एक सरस मेला आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग में विशेष कृषि उपज योजना

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री कमलनाथ ने रोजगार सृजन को खासकर अर्ध–शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए दो नई स्कीमों को घोषणा की। ये स्कीमें हैं– (1) भारी संख्या में रोजगार सृजन की संभावना वाले कुछ औद्योगिक उत्पादों के निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम (2) जिन बाजारों में भारत का निर्यात अपेक्षाकृत कम है और जिन बाजारों को भारतीय निर्यातक ऊंची ढुलाई लागत और अविकसित नेटवर्क की वजह से अनदेखा करते रहे हैं, हालांकि ये भावी बाजार हैं, इन बाजारों में पहुंच के लिए फोकस मार्किट स्कीम।

फोकस प्रोडक्ट स्कीम के तहत अधिसूचित उत्पादों के निर्यात कारोबार के 50 फीसदी पर निर्यात के फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य को 2.5 फीसदी की शुल्क–ऋण सुविधा की अनुमति दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ फोकस मार्किट स्कीम के तहत अधिसूचित देशों को सभी उत्पादों के निर्यात के एफओबी मूल्य का 2.5 फीसदी की शुल्क ऋण सुविधा की अनुमति दी गई है। ये दोनों स्कीमें टारगेट प्लस स्कीम का स्थान लेंगी।

मंत्री महोदय ने ग्रामीण क्षेत्रों को विदेश व्यापार स्कीम का फायदा पहुंचाने के लिए घोषणा की कि ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को कृषि विशेष उपज योजना में शामिल किया जा रहा है और इस योजना का नाम बदलकर विशेष कृषि उपज और ग्राम उद्योग योजना रखा जा रहा है। इसका उद्देश्य इस विस्तारित स्कीम के तहत ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को निर्यात के एफओबी मूल्य का 5 फीसदी की दर से शुल्क मुक्त स्क्रिप प्रदान करना है।

बसंत सरस मेला–2006

ज़िल्ले रहमान

अगर आप शिल्प कला के शौकीन हैं और ग्रामीण शिल्पकारों की खूबसूरत कलाकृतियां खरीदना चाहते हैं तो यह समय सबसे उपयुक्त है। ऐसा न समझे कि शिल्पकार इस मौसम में अपनी कलाकृतियां बनाते हैं, बल्कि बात यह है कि भारत सरकार इन शिल्पकारों की कलाकृतियां बनाते हैं, बल्कि बात यह है कि भारत सरकार इन शिल्पकारों की कलाकृतियों को एक प्लेटफार्म प्रदान करने के लिए इस समय एक राष्ट्रीय स्तर के मेले का आयोजन करती है। बसंत सरस मेला के नाम से प्रसिद्ध इस मेले में देशभर के ग्रामीण शिल्पकार पिछले दिनों दिल्ली हाट में आए हुए थे।

ग्रामीण शिल्प तथा संस्कृति को व्यापक फलक देने के उद्देश्य से हर वर्ष लगने वाला बसंत सरसे मेला लोगों को खूब आकर्षित करता है। इस वर्ष 12 से 24 अप्रैल तक चले इस मेले में ग्रमीण शिल्पियों के उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का कार्यक्रम था। मेले का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने किया। इस साल भी मेले में ग्रामीण शिल्प की खूबसूरती के नजारे खूब दिखे।

लघुचित्रकारी का नया रूप और परंपरा को दर्शाती आधुनिकता का नमूना यहां एक अलग ही रंग बिखेरे हुए था। हर राज्य के लोकजीवन की बहुरंगी छटा को बिखेरती कलाकृतियां काबिलेतारीफ तो थी ही, उनकी उपयोगिता उनके महत्व को और स्थापित करने वाली थी। इसे देखकर ऐसा लगा जैसे गंवई परिकल्पना को पंख लग गए हों। यहां खासकर गैर सरकारी संगठनों की यह कारगुजारियों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण शिल्पियों ने इस मेले में खाने–पीने की चीजों से लेकर फर्नीचर, हाथ की बुनाई व कताई किए गए तरह तरह के कपड़े की प्रदर्शनी लगाई थी। कोल्हापुरी चप्पल, सैंडिल जो 150 से 350 रुपए के रेंज में थे। कश्मीर की मशहूर पश्मीना शॉल्स, मध्य प्रदेश की चंदेरी साड़ी, बनारसी साड़ी, गर्मी के मौसम के लिए फार्मल वियर की रेंज, सिल्क व कॉटन की साड़ियां, हरियाणा की कशीदारी के अलावा असम, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम आदि राज्यों के क्रॉफ्ट्समैन ने अपने शिल्पकारी को बखूबी संजोया हुआ था। इन क्राफ्ट्समैन ने उत्कृष्ट पच्चीकारी का नमूना पेश किया। इसके अलावा बेहतरीन हथकरघा एवं बुनाई के नमूने उपलब्ध थे। डिजाइनर बांस व बेंत के साजो–सामान, सुगंधित जड़ी–बूटियां व मसाले, बागवानी उत्पाद के स्टॉल्स पर भी लोगों की भीड़ जुटी थी। हैंडलूम व कशीदाकारी को विशेष तौर पर बढ़ावा देना भी बसंत सरस का मुख्य मकसद था। लेकिन उत्साह पिछले बसंत सरस मेले जैसा नहीं था।

बेंत व बांस के बने सभी तरह के घरेलू साज व सामान जिन्हें देखकर लग रहा था कि कामगार मजदूरों ने बड़ी ही तल्लीनता के साथ तैयार किया था। उनकी मेहनत व लगन उनके काम और चेहरे को देखकर लगायी जा सकती थी। दरअसल, इन शिल्पकारों के सामने जो एक गंभीर समस्या है वह इस प्रदर्शनी में आए दुकानदारों से बात कर सामने आई। इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है कच्चे माल का पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाना और यदि उन्हें मिलता भी है तो परेशानी के बाद और बिना ऊंचे मूल्य चुकाए नहीं मिल पाता। इससे उनकी लागत मूल्य बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरत है बस इन उद्योगों के आय एवं सम्पति के केंद्रीकरण को बढ़ावा न देकर विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित करने की अनेक ऐसी कलाएं यहां देखने को मिली जो मशीनों से उत्पादित नहीं की जा सकती। इन पर कलात्मक नमूने, उत्तम किस्म की कढ़ाई, नक्काशी का काम आदि इसके लिए तो हस्तकौशल की ही आवश्यकता होती है। भारत में कुशल श्रमिकों का भंडार है। यहां कुशल कामगारों के हाथों में अनेक कलाकारियां आज भी बखूबी हैं और मगर ये अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस मेले को देखकर ऐसा लगा कि यहां साधारण तकनीकी ज्ञान, कम पूंजी एवं मानवीय दक्षताओं एवं कलात्मक रुचियों का उपयोग करके हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। लाखों वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है। अधिकाधिक संख्या में बेरोजगारों को रोजगार भी प्रदान किया जा सकता है।

लेकिन इसके बरअक्स, यहां खरीददारी करने आए लोगों से बताया कि इतनी कम कीमत पर दिल्ली में और कहीं सामान नहीं मिल सकता। विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने अपनी सांस्कृतिक कला प्रदर्शनों के जरिए अपनी छाप छोड़ी। लोगों ने दिल्ली हाट में खरीदारी के साथ–साथ उन राज्यों के कलाकारों (खासतौर से राजस्थान व गुजरात) की कलाओं को जमकर सराहा। जाहिर है यह प्रदर्शनी उन दस्तकारों व शिल्पियों के लिए इस साल भी अविस्मरणीय और यादगार अनुभव जैसा ही रहा जो बीते सालों में रहा। उसी तरह दिल्ली वालों ने उनका जमकर स्वागत किया।

(स्वतंत्र पत्रकार)

The RAU'S IAS experience...

...incisive, intensive & innovative.

Learn from the Best. Invest in yourself.

THE VISION

Rau's IAS Study Circle was established as a top ranking institute nearly 50 years ago, solely with the aim of helping serious students achieve success in Civil Services Exam by providing the highest quality coaching. The method, content & teaching standards established by the Study Circle have become synonymous with success in the minds of civil service students.

THE PERFORMANCE

Our 2004 Exam Results: Seven positions secured by our students in first 20 and 41 in first 100 with overall 181 total selections. As regards the past achievements, Study Circle has contributed nearly one-third of the total selections done for Civil Services by UPSC since 1953.

It is a well known fact that Rau's is the most trusted and recommended name all over the country for IAS, PCS & Judicial Services Coaching.

Interview Guidance - 2005

Interview Guidance for Civil Services Exam 2005, in highly focused new format. Weekly batches immediately after the results of Main Exam, 2005.

Contact personally or write for prospectus with a DD/MO for Rs.50/- favouring Rau's IAS Study Circle.

THE PROGRAMMES

Civil Services/PCS Exam - 2006/07

- Personal Guidance (English Medium) is available for - General Studies/ Essay, History, Sociology, Public Administration, Geography, Psychology, Law & Commerce.
- पर्सनल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - सामान्य अध्ययन / निबंध, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन एवं भूगोल में उपलब्ध।
- Postal Guidance in English Medium available for - General Studies, History, Sociology, Public Administration and Geography.
- पोस्टल गाइडेंस (हिन्दी माध्यम) - केवल सामान्य अध्ययन एवं भारतीय इतिहास में उपलब्ध।
- Hostel facility arranged.

New batches for 2006/07 Exam, start from 2nd June, 2006

RAU'S IAS STUDY CIRCLE

309, Kanchanjunga Bldg., 18, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi-110001. Phone : 23318135-36, 23738906-07, 55391202, 39448880-81, Fax: 23317153,
Visit : www.rauias.com

The Original Rau's / Rao's - Since 1953

KH-05/06/01

आर. एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2006-08
आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.
दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-55/2006-08

R.N./708/57
P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2006-08
ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-55/2006-08
to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

प्रो. उमाकांत मिश्र, निदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़, नई दिल्ली-110003 द्वारा प्रकाशित और मुद्रित।
मुद्रक: अरावली प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स प्रा. लि., डब्ल्यू-30 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया-II, नई दिल्ली-110 020 : संपादक : स्नेह राय